खण्ड-217, अंक-2
मंगलवार, 22 भाद्रपद, शक संवत् 1882
(13 सितम्बर, 1960 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 217 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६०

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	८३–८६
प्रश्नोत्तर	८७–१०६
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६०–६१ का प्रथम पूरक) विधेयक, १९६० (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	१०६
देहरादून में ननकू पासी की कथित हत्या के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग	१०६–१०७
सदन के भावी कार्यक्रम के संबंध में जानकारी	१०७–११०
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९६० (विचार जारी)	११०–१६२
भुवाली सैनेटोरियम की समिति के लिये चुनाव तिथि बढ़ाने की सूचना ..	१६२
नत्थियां	१६३–१६६

उत्तर प्रदेश विधान सभा

LATURE LIBRARY
NOV 1960

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १३ सितम्बर, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३२५

अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आर्थर सी० प्राइस, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
किशनसिंह, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री

घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
धनीराम, श्री
धरणधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती

बेचनराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बंजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भोखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद सुलेमान अथमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री

रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखराम दास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह बिसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री, श्री महावीरसिंह, भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, १३ सितम्बर, १९६०

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

थोलिंगमठ तथा कैलास मानसरोवर यात्रियों की सुरक्षा

१—श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)—क्या सरकार को ज्ञात हुआ है कि प्रदेश के अन्तर्राष्ट्रीय सीमान्त में स्थित प्रख्यात थोलिंग मठ को चीनी सेनाओं ने नष्ट कर दिया है और वहां संभाल कर रखे गये हजारों बौद्ध तथा भारतीय संस्कृति से सम्बन्धित ग्रन्थों को भी नष्ट कर दिया है ?

गृह उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—प्रश्न का विषय अन्तर्राष्ट्रीय होने के कारण भारत सरकार से सम्बन्धित है ।

२—श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या यह सही है कि इस वर्ष भी कैलास-मानसरोवर की यात्रा करने हेतु कुछ यात्री गये हैं ? यदि हां, तो उनकी सुरक्षा हेतु प्रदेशीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां, कुछ यात्री इस वर्ष भी गये हैं । तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के लिये कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है । इन यात्रियों के जान माल की सुरक्षा का कार्य भार भारत सीमा के भीतर सदा से ही जिले की सामान्य पुलिस पर रहा है । भारत सीमा के बाहर से इस सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या माननीय गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जब सरकार को इस बात का ज्ञान था कि इस साल कैलास में यात्रियों को जाने से चीन के लोग रोकने वाले हैं तो क्यों नहीं विशेष सुरक्षा का इन्तजाम यात्रियों के लिये किया गया जो उत्तर प्रदेश से भेजे गये ?

श्री रामस्वरूप यादव—दूसरे देश के अन्दर विशेष सुरक्षा का प्रबन्ध यह देश नहीं कर सकता है । जाने वाले यात्रियों को यह समझा दिया गया था कि इस वर्ष न जायं, क्योंकि चीन से ऐसी सूचना आयी थी कि वहां झगड़े की वजह से उचित नहीं होगा कि यहां के यात्री इस वर्ष आवें ।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय सुरक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आपने किसी विज्ञप्ति द्वारा या किसी प्रकार से यात्रियों को सूचित कर दिया था कि वहां यह कहा गया है कि खतरे की संभावना है, इसलिये इस साल नहीं जाना चाहिये ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां, चेक पोस्ट्स पर सूचित कर दिया जाता था । उससे पहले कई जिलाधीशों को जहां जहां से यात्री जाने वाले थे उनको सूचना दी गई थी, कुछ ऐसे लोग थे जो यात्रियों को ले जाया करते थे उनको भी सूचित कर दिया गया था, लेकिन फिर भी यात्री गये ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—क्या मंत्री महोदय को ज्ञात है कि थोलिंग मठ ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय स्थान है जिसमें उत्तर प्रदेश के अधिकांश निवासी दिलचस्पी रखते हैं ? यदि हां, तो यह सूचना केन्द्र से प्राप्त कर वह सदन को अवगत करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—यह बौद्धों का मठ है, उसमें यहां के यात्री जाते हैं ;

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—बहुत संख्या में ।

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, प्रश्नकर्त्ता ने जिस मठ का जिक्र किया है, अगर आपकी आज्ञा हो तो यह जानना चाहूंगा कि यह हमारे देश के अन्दर है या हमारे देश की सीमा के बाहर है ?

श्री अध्यक्ष—वह तो सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि केन्द्रीय सरकार से पूछ कर सूचना देने को आप तैयार हैं या नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव—सदन को सूचना देने को तैयार नहीं हूं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—मंत्री महोदय ने कहा कि सरकार ने जिलाधीशों को सूचना दे दी थी कि वह यात्रियों को इस बारे में अच्छी तरह से हिदायत कर दें, तो क्या सरकार ने इस बात की भी जानकारी हासिल की कि जिलाधीशों ने यात्रियों को इस बारे में जो हिदायतें दीं वह किस तरह से दीं और क्या हिदायतें दीं ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां, इसका प्रचार काफी हुआ था । इसी कारण अब की बार बहुत कम यात्री गये हैं ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या यह सही है कि मानसरोवर और कैलास के यात्रियों के लिये पहले कुछ सरकार की धर्मशालायें या मकान थे, कुछ तारघर थे । १९५४ के समझौते के मुताबिक भारत और चीन के बीच यह तय हुआ था कि चीन की भूमि में जो धार्मिक स्थान हैं वहां आने जाने की व्यवस्था होगी । तो क्यों चीन को मना करना पड़ा कि आप न जाइये तीर्थ यात्रा के लिये, यह मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह सही है कि साइनो-इंडियन ऐग्रीमेन्ट, १९५४ में हुआ था, उसमें बहुत सी सुविधाओं का वायदा उन्होंने किया था और इस देश ने भी वायदा किया था । लेकिन जब पिछले वर्ष उनका पहला पत्र आया तो सरकार ने यह लिखा कि उस ऐग्रीमेन्ट के खिलाफ आप ऐसी बातें क्यों लिखते हैं और इस वर्ष जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे देश के अन्दर स्थिति ऐसी है कि सम्भव हो सकता है कि यात्रियों को कुछ कष्ट हो या कोई दूसरी कठिनाई हो जाय इस लिये उचित यह समझते हैं कि यात्रियों को यही परामर्श दिया जाय कि इस वर्ष वह यात्रा न करें ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार की सूचना के अनुसार कितने लोग कैलास और मानसरोवर की यात्रा करने इस वर्ष गये थे और क्या उसमें से कुछ लोग वहां से यात्रा करके सकुशल लौट भी आये हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—मई के महीने में तीन गये, जून में ५ गये, जुलाई में तीन गये और एक अगस्त से तीन सितम्बर तक २३ गये, इस तरह से कुल ३४ गये थे और यह सूचना मिली है कि एक साधू जब वापिस आ रहा था उसके सिर पर पत्थर गिर गया जिससे वह मर गया ।

श्री अध्यक्ष—उस साधू के अलावा बाकी लोग क्या सकुशल वापस आ गये ?

श्री रामस्वरूप यादव—एक अगस्त से तीन सितम्बर के बीच में जो लोग गये वह सब वापस नहीं आये हैं, जो वापस आ गये हैं उनमें से एक की मृत्यु इस कारण से हुई ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने कैलास-मानसरोवर के यात्रियों के सम्बन्ध में कोई पत्र, आदेश या सुझाव यू० पी० सरकार के पास भेजे हैं ? यदि हां, तो क्या ?

श्री रामस्वरूप यादव—भारत सरकार और प्रादेशिक सरकार का पत्र-व्यवहार इस सम्बन्ध में होता रहा है । वहां की सरकार भारत सरकार को ही लिखती है और वहां से हमारे पास सूचना आती है । उसी के आधार पर मैंने बताया कि पिछले वर्ष जब उनका पत्र आया तब यह लिखा गया कि सन् १९५४ के एग्रीमेन्ट के खिलाफ वह ऐसी बात क्यों सोच रहे हैं, लेकिन इस

वर्ष फिर उन्होंने कहा कि हमारी कठिनाई है, हम यह चाहते हैं कि वहां के यात्री सुरक्षित रहें सम्भव है पूरी सुरक्षा हम न दे पायें इसलिये यात्रियों को यही परामर्श दिया जाय कि वह इस वर्ष यात्रा पर न आयें, उसी के आधार पर हमने परामर्श भी दिया लेकिन फिर भी कुछ यात्री गये ।

बाराबंकी की एक मिल के आटे में अखाद्य पदार्थों की मिलावट

३—श्री गोविंदसिंह बिष्ट** (जिला अल्मोड़ा) तथा **श्री हिम्मतसिंह** (जिला बुलन्दशहर)—न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि पिछले हफ्ते बाराबंकी की एक आटा मिल में गेहूं के साथ सोप स्टोन आदि अखाद्य पदार्थ मिलाने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उपरोक्त मिल में सोप स्टोन व उसके साथ मिलाया हुआ आटा मिला जो जहरीला होता है ? यदि हां, तो सरकार ने आटा मिलों में खाद्य पदार्थ को मिलावट रोकने के लिये क्या-क्या कदम उठाये हैं ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—जी हां, बाराबंकी की एक आटा मिल में शंका होने पर आटा बेजड़ा आदि के नमूने ३१-८-६० को लिये गये और उनको विश्लेषण के लिये पबलिक ऐनालिस्ट, उत्तर प्रदेश के पास भेजा गया । उनकी रिपोर्ट से ऐसी मिलावट मालूम पड़ती है जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है । उचित कानूनी कार्यवाही की जा रही है । सरकार अखाद्य पदार्थों की मिलावट रोकने के लिये बराबर खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, १९५४ (Prevention of Food Adulteration Act) के अन्तर्गत कार्यवाही करती है ।

श्री गोविंदसिंह बिष्ट—माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो रिपोर्ट आई है उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—रिपोर्ट इस प्रकार से है :—

1. No gluten present in the sample.
2. Ash—37.2 per cent.
3. Microcosmic salt bead test for silicates—Positive.
4. Alcoholic acidity as Y2 SO4—0.13 per cent.
5. *Microscopy*—Contains barley flour and Lathyrus Sativus flour and no wheat flour or gram flour and am of the opinion that the sample is of nature which contains 27.2 per cent of ash due to the presence of silicates and it also contains flour of Lathyrus Sativus which contains toxic ingredients injurious to health.

श्री गोविंदसिंह बिष्ट—सिलीकेट वगैरह जहरीली चीजों से चूंकि आदमी के मरने का डर होता है इसलिये मंत्री जो फूड एडल्टरेशन ऐक्ट में इन जहरीली चीजों के मिलाने वालों के लिये कड़ी सजा की व्यवस्था करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—इनके ऊपर मुकदमा चलेगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—सन् १९५४ से जब से यह ऐक्ट बना है अब तक खाद्य पदार्थों की मिलावट में इससे क्या असर हुआ है ?

श्री अध्यक्ष—यह आम सवाल है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—अगर आम राय यह है कि कानून बेकार साबित हुआ है तो उसमें संशोधन होना चाहिये लेकिन पहले मंत्री जी ने कहा था कि संशोधन की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिये मैं इसका प्रभाव जानना चाहता हूं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—कुछ कभी हुई है लेकिन एग्जैक्टली बताना मुश्किल है।

श्री गोविंदसिंह विष्ट—जैसे दूध में पानी मिलाने से स्वास्थ्य को हानि नहीं पहुंचती है तो जहरीली चीजों के मिलाने वालों के लिये मंत्री जी सख्त सजा का संशोधन लाने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अभी हमने ऐसा कोई विचार नहीं किया है।

श्री देवनारायण भारतीय—बाराबंकी मिल की मिलावट को देखते हुए और यह देखते हुए कि प्रांत में बहुत दिनों से मांग चली आ रही है कि आटे की जगह गेंहूं दिया जाय, क्या मंत्री जी गेंहूं दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—यह तो खाद्य मंत्री से पूछना होगा।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनकी रिपोर्ट के आधार पर इस आटे में कितना परसेन्ट खाद्य पदार्थ था और कितने परसेन्ट अखाद्य पदार्थ थे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अखाद्य पदार्थों को परसेन्टेज बता दिया है, माइनस कर लीजिये।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा का प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

*१-२—आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ) (अनुपस्थित) तथा श्री बादामसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—[स्थगित किये गये।]

*३—श्री प्रतापसिंह—[स्थगित किया गया।]

सार्वजनिक निर्माण विभाग परामर्शदात्री समिति जिला बाराबंकी द्वारा पारित प्रस्ताव

*४—श्रीमती सरस्वती देवी शुक्ल (जिला गोंडा)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि परामर्शदात्री समिति, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला बाराबंकी द्वारा २० दिसम्बर, १९५८ से अब तक सार्वजनिक निर्माण सम्बन्धी पारित प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव भी कार्यान्वित नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण उप-मंत्री (श्री महावीरसिंह)—यह प्रश्न नहीं उठता क्योंकि "सार्वजनिक निर्माण विभाग जिला परामर्शदात्री समिति" की प्रक्रिया नियमावली के नियम १४ के अनुसार उक्त समिति का कार्य केवल परामर्श देना ही है। उन परामर्शों को विभाग द्वारा मानना अनिवार्य नहीं है।

*५—श्रीमती सरस्वतीदेवी शुक्ल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बाराबंकी ने किन-किन तिथियों में सरकार को उक्त प्रस्तावों से अवगत कराया है ?

श्री महावीरसिंह—२४ फरवरी, १९५९ की बैठक में पारित प्रस्ताव २३ जुलाई, १९५९ को तथा ३१ जुलाई, १९५९ व २१ नवम्बर, १९५९ के पारित प्रस्ताव ५ फरवरी, १९६० को सरकार को भेजे गये।

श्रीमती सरस्वतीदेवी शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कोई भी प्रस्ताव कार्यान्वित करने के लिये शासन के विचाराधीन नहीं है?

श्री महावीरसिंह—कुछ प्रस्ताव नयी सड़कों के लिये थे, उन पर विचार हो रहा है। एक प्रस्ताव वहां से यह आया था कि जिला परिषद् के अभियन्ता को समिति का सदस्य बनाया जाय, उसके लिये आर्डर्स जारी हो गये हैं। इस समिति के जिला अन्तरिम परिषद् में उप-समिति की तरह कार्य करने के प्रस्ताव को हमने रद्द कर दिया है।

श्रीमती सरस्वतीदेवी शुक्ल—क्या बाराबंकी की सार्वजनिक निर्माण समिति का कोई प्रस्ताव जनहित में नहीं समझा गया?

श्री महावीरसिंह—यह सवाल तो किसी जवाब से निकलता नहीं है।

श्री प्रतापसिंह—क्या सरकार ने बाराबंकी जिले में और दूसरे जिलों में सार्वजनिक निर्माण समितियां इसलिये बनाई हैं कि वे सरकार को परामर्श दें ताकि सरकार को निर्माण कार्य करने में आसानी हो? यदि हां, तो सरकार अपने निर्णयों पर फिर विचार करेगी ताकि बाराबंकी में सड़कों का निर्माण हो?

श्री महावीरसिंह—उनके परामर्श पर सरकार विचार करती है।

[१३ सितम्बर, १९६० के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न।]

*१–३—**श्री राम सुन्दरपांडेय** (जिला आजमगढ़)—[स्थगित किये गये।]

कैराना के निकट जमुना का पुल बनाने की योजना

*४—**आचार्य दीपंकर** (जिला मेरठ) (अनुपस्थित)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि पंजाब तथा यू० पी० के पश्चिमी जिलों की यातायात सुविधा के लिये कैराना (मुजफ्फरनगर) के पास बनने वाला जमुना का पुल कब बनना शुरू हो जायगा और उसके लिये कौन से गांव के पास स्थान चुना गया है?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—प्रथम भाग—भारत सरकार की स्वीकृति आने के बाद।

द्वितीय भाग—कैराना के पास मावी ग्राम के समीप।

*५–६—**श्री प्रतापसिंह**—[स्थगित किये गये।]

दिपवा बांध के पुल का फाटक ठीक कराने की प्रार्थना

*७—**श्री अब्दुल रऊफ लारी** (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या गोंडा जिले में बलरामपुर म्युनिसिपैलिटी एरिया में दिपवा बांध के पुल का फाटक खराब हो गया है और उसके ठीक से खुलने और बन्द न होने के कारण सैकड़ों एकड़ फसल डूब जाती है और बर्बाद हो जाती है? यदि हां, तो सरकार कब तक पुल के फाटक को ठीक करायेगी? और यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गिरधारीलाल—दिपवा बांध का सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं है।

*८–१०—**श्री हरिदत्त काण्डपाल** (जिला अल्मोड़ा)—[स्थगित किये गये।]

*११–१२—**श्री चिरंजीलाल जाटव** (जिला एटा)—[स्थगित किये गये।]

*१३—**श्री राम दुलारे मिश्र** (जिला कानपुर)—[२० सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*१४-१५—श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—[स्थगित किये गये ।]

*१६—श्री अब्दुल रऊफ लारी—[स्थगित किया गया ।]

*१७-१८—श्री नारायणदत्त तिवारी—[स्थगित किये गये ।]

मायापुर ड्रेन बनाने की योजना

*१९—श्री अयोध्याप्रसाद आर्य (जिला देवरिया)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया, तहसील सलेमपुर के अन्तर्गत मायापुर ड्रेन बनाने की योजना है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)—जी हां, इस योजना के लिये भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है और उस के प्राप्त होने के बाद निर्माण कार्य आरम्भ किया जायेगा ।

*२०—श्री अयोध्याप्रसाद आर्य—उपरोक्त ड्रेन पर कुल कितनी धनराशि व्यय की जायगी, ड्रेन की लम्बाई क्या होगी और कितने पुल किन-किन स्थानों पर बनेंगे ?

श्री धर्मसिंह—इस ड्रेन पर लगभग ९१,११३ रु० व्यय होगा । इस की लम्बाई लगभग ११ मील होगी । १० पुलियां तथा २ पैदल यात्रियों के लिये पुलियां निम्नलिखित स्थानों पर बनेंगी ।

पुलियां

१	मील	१	फर्लांग	०	पर
२	,,	२	,,	०	पर
३	,,	३	,,	७ १/२	पर
४	,,	५	,,	४ १/२	पर
५	,,	६	,,	४	पर
६	,,	७	,,	७	पर
७	,,	९	,,	४ १/२	पर
८	,,	९	,,	७ १/२	पर
९	,,	१०	,,	३ १/२	पर
१०	,,	१०	,,	६ १/२	पर

पैदल यात्रियों के लिये पुलियां

१	मील	०	फर्लांग	३ १/२	पर
२	,,	७	,,	२ १/२	पर

श्री अयोध्याप्रसाद आर्य—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही इस समय किस स्टेज पर है और कब तक निश्चित रूप से पूरी हो जायेगी ?

श्री धर्मसिंह—भूमि प्राप्त करने के लिये लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४ के सेक्शन ४ और ६ के अन्तर्गत ५ मार्च और १ अप्रैल, १९६० को विज्ञप्ति जारी की गई है और शीघ्र से शीघ्र लेने की कोशिश की जा रही है ।

श्री अयोध्याप्रसाद आर्य—मायापुर ड्रेन से जो अन्तरप्रान्तीय मार्ग पहियारी होते हुये गया है क्या उस पर कोई पुल बनाने की व्यवस्था मंत्री जी करने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह--फिलहाल जो पुल बतलाये जा चुके हैं वही हैं। और आवश्यकता हुई तो बाद में विचार कर लिया जायगा।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मायापुर ड्रेन कहां से शुरू होगी और कहां तक जायगी और इससे कितना क्षेत्र लाभान्वित होगा?

श्री धर्मसिंह—यह तो देवरिया जिले में बनायी जायगी। कहां से आरम्भ होगी, इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है। वह सब भूमि जिस को इससे लाभ होगा ४,६०० एकड़ के करीब है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतावेंगे कि इस ड्रेन के बनाने में ९१ हजार रुपया व्यय होगा तो क्या इसका निर्माण श्रमदान के द्वारा भी होगा? यदि हां, तो श्रमदान के द्वारा कितने रुपये की बचत होगी?

श्री धर्मसिंह—जहां तक श्रमदान का ताल्लुक है वह ५ मील तक की लम्बाई के लिये है। इसकी लम्बाई ११ मील है इसलिये इसके लिये श्रमदान की कोई शर्त नहीं है लेकिन फिर भी अगर कोई श्रमदान करना चाहेगा वह वेलकम है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह ड्रेन कच्ची होगी या पक्की?

श्री धर्मसिंह—पक्की में बहुत खर्चा होता है इसलिये कच्ची का ही प्राविजन है।

*२१—**श्री उल्फतसिंह** (जिला बदायूं)—[नवें गुरुवार के लिये स्थानान्तरित किया गया।]

*२२—**श्री मुक्तिनाथराय** (जिला आजमगढ़)—[२० सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*२३-२४—**श्री रघुवीरराम** (जिला गाजीपुर)—[स्थगित किये गये।]

नहर शाखा, इटावा के हरिचन्द्रपुर रजबहे को बढ़ाने की प्रार्थना

*२५—**श्री भजन लाल** (जिला इटावा) (अनुपस्थित)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जिला इटावा के अन्तर्गत नहर शाखा इटावा के रजबहा हरिचन्दपुर को पूर्व की ओर मौजा अमआहार, तेम्मापुर व कनमऊ तक २ मील बढ़ाने का विचार कर रही है?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं।

*२६—**श्री भजनलाल** (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि बिना नहर के पानी के करीब उस ओर लगभग एक हजार एकड़ रकबा असिंचित रह जाता है?

श्री धर्मसिंह—जी हां।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो रकबा असिंचित रह जाता है इसका प्रबन्ध करने के लिये सरकार कोई योजना निकट भविष्य में सोच रही है?

श्री धर्मसिंह—फिलहाल कोई योजना नहीं है। रामगंगा योजना जब लागू होगी तो उस वक्त उसका विचार किया जायगा।

नोट:—तारांकित प्रश्न २५-२६ श्री मोतीलाल अवस्थी ने पूछे।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ऐसी कोई योजना क्यों नहीं सोच रहे हैं जिससे कि इस सम्बन्ध की दिक्कत दूर हो सके ?

श्री धर्मसिंह—जहां तक इस का सम्बन्ध है, जैसा कि प्रश्न में कहा था और मैंने उत्तर अभी दिया रामगंगा योजना जब कार्यान्वित होगी तो उसको भी उस वक्त लिया जा सकेगा और उस पर विचार होगा।

*२७–२८—**श्री रामप्रसाद नौटियाल** (जिला गढ़वाल)— [स्थगित किये गये।]

*२९–३०—**श्री ब्रजनारायण तिवारी** (जिला देवरिया)—[२० सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

बेसोगांव नहर में पानी की कमी

*३१—**श्री मुक्तिनाथराय**—सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है कि आजमगढ़ जिले में शारदा कैनाल का पानी ठेकमा या लालगंज डिस्ट्रीब्यूटरी द्वारा बेसो–गांगी नहरों में डाल दिया जाय ताकि प्रत्येक सीजन में सिंचाई की जा सके ?

श्री धर्मसिंह—ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

*३२—**श्री मुक्तिनाथराय**—यदि हां, तो कब तक ?

श्री धर्मसिंह—प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मुक्तिनाथराय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या यह सही है कि बेसो–गांव नहर से केवल एक सीजन की सिंचाई हो सकती है इसलिये जिससे दोनों सीजन की सिंचाई हो सके वैसा सरकार कोई प्रबन्ध कर रही है ?

श्री धर्मसिंह—फिलहाल तो पानी की कमी है।

श्री मुक्तिनाथराय—मान्यवर, मैं यह पूछना चाहता हूं कि बेसो गांव और शिकमा लालगंज के पास से जो नहर जा रही है उसमें अगर इसको मिला दिया जाय तो उसके मिलाने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री धर्मसिंह—हमारे पास उतना पानी नहीं है, इसलिये उसमें नहीं गिराया जा सकता।

*३३—**श्री ऊदल** (जिला वाराणसी)—[दसवें बुधवार के लिये स्थानान्तरित किया गया ।]

*३४–३६—**श्री गरीबदास** (जिला जालौन)—[स्थगित किये गये।]

*३७—**श्री लायकसिंह चौधरी** (जिला मैनपुरी)—[स्थगित किया गया।]

*३८–३९—**श्री भुवनेश भूषण शर्मा** (जिला इटावा)—[स्थगित किये गये ।]

विक्रमपुर-बक्सर मार्ग पक्का करने की प्रार्थना

*४०—**श्री भगवती सिंह विशारद**—सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिला उन्नाव के सार्वजनिक निर्माण विभाग की सलाहकार समिति ने दिनांक ४ अक्तूबर, १९५९ को सर्वसम्मति से विक्रमपुर-रुझि हाई-ऊंचागांव–बक्सर मार्ग को प्राथमिकता प्रदान करते हुये तृतीय पंचवर्षीय योजना में पक्की कराने का प्रस्ताव स्वीकार किया है ?

श्री महावीरसिंह—जी हां । इस सड़क को तीसरी प्राथमिकता दी गई थी ।

*४१—**श्री भगवतीसिंह विशारद**—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिले के अधिकारियों ने भी इस सड़क के महत्व को ध्यान में रखते हुये तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसे पक्की कराने का सुझाव सरकार के पास भेजा है ?

श्री महावीरसिंह—जी हां । इस सड़क को पांचवीं प्राथमिकता दी गई थी ।

*४२—**श्री भगवती सिंह विशारद**—सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनको दिनांक २३-३-६० का भेजा हुआ कोई ऐसा स्मृति-पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्नाव जिले की अन्तरिम जिला परिषद् के सदस्यों ने इस सड़क को प्राथमिकता प्रदान करते हुये तृतीय पंचवर्षीय योजना में पक्की कराने की मांग की है ?

श्री महावीरसिंह—जी हां ।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिला परिषद् के सदस्यों के द्वारा भेजे गये आवेदन-पत्र में मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री महावीरसिंह—यही है कि यह सड़क बहुत जरूरी है ।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस बात को देखते हुये कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की सलाहकार समिति ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया, जिला अधिकारियों ने सुझाव दिया और परिषद् के समस्त सदस्यों द्वारा सरकार को इस सड़क के बारे में स्मृतिपत्र भेजा गया, क्या सरकार इस सड़क की महत्ता को देखते हुए तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसको शामिल करेगी ?

श्री महावीरसिंह—यद्यपि इस सड़क के निर्माण की सिफारिश अन्तरिम जिला परिषद् ने नहीं की है फिर भी अन्तरिम जिला परिषद् द्वारा सुझाव देने के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य लिया जायगा तो इसको भी तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने का विचार है ।

हाइडेल कर्माशियल डिवीजन, रुड़की के कार्यालय से फाइलों की चोरी

*४३—**श्री ऊदल**—सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि रुड़की के राजकीय हाइडेल कार्माशियल डिवीजन के कार्यालय से १९२३ से मई, १९६० तक की २८ मन फाइलों को चुराकर बेच दिया गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री धर्मसिंह—सरकार को ज्ञात हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के हाइडिल कर्माशियल डिवीजन, रुड़की के कार्यालय से फाइलें गायब हुई हैं और इस के सम्बन्ध में पुलिस तथा उक्त परिषद् द्वारा जांच की जा रही है । यह सूचना सरकार के पास इस समय उपलब्ध नहीं है कि फाइलें किस वर्ष की हैं और उनका वजन क्या है ।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अब तक की जो जांच हुई है उस पर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है या नहीं ? पुलिस के कौन से अधिकारी तथा परिषद् के कौन से अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं ?

श्री धर्मसिंह—इसमें दो क्लर्क सस्पेंड कर दिये गये हैं और इसके साथ ही गिरफ्तार भी हुये हैं । इसके अलावा वहां के दो और कर्मचारी जो कि बरकन्दाज और चपरासी हैं, वे भी सस्पेंड कर दिये गये हैं । रुड़की खास के पुलिस इनवेस्टिगेशन आफिसर इस मामले की जांच कर रहे हैं ।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस विभाग में फाइलें चोरी होने के पहले कुछ गबन की भी शिकायत हुई थी ? यदि हां, तो उन फाइलों में जो सन् २३ से ६० तक की फाइलें चोरी चली गयी हैं, उनमें वे गबन की फाइलें भी तो नहीं हैं ?

श्री धर्मसिंह—ऐसी बात नहीं है ।

श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)—क्या यह सही है कि इन फाइलों में वे फाइलें भी शामिल हैं जो बिजली कंज्यूमर्स के पिछले एरियर्स से संबंधित हैं ?

श्री धर्मसिंह—क्या और किस तरह की फाइलें हैं, इन सब की जांच की जा रही है। अभी इसके बारे में कुछ निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन फाइलों का पता कब लगा और कैसे लगा ?

श्री धर्मसिंह—१२-७-६० को जब स्टेशनरी क्लर्क अपने कार्यालय में गये तो उनको मालूम हुआ कि कुछ स्टेशनरी वहां मिसिंग है। पूरे तौर पर इसकी सूचना १४-७-६० को हुई, तब बाद में उस पर कार्यवाही की गयी ।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय सिंचाई मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो हाइडेल कमर्शियल डिवीजन के इंचार्ज थे उनके खिलाफ कोई कार्यवाही सरकार ने अभी तक नहीं की है, जैसा कि कहा गया कि क्लर्क और चपरासियों को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन जो डिवीजन के इंचार्ज थे और जिनकी निगाह उन फाइलों पर रहनी चाहिये थी उनके खिलाफ ऐक्शन नहीं लिया गया है ?

श्री धर्मसिंह—जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया कि अभी इसकी पूरे तरीके से जांच की जा रही है, जब जांच की रिपोर्ट आ जायगी और यदि उसमें उनका हाथ हुआ तो उन पर भी कार्यवाही की जायगी ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो तथा कथित २८ मन की फाइलें चोरी गयी हैं उनमें से अब तक कुछ फाइलें कहीं से बरामद भी हुई हैं ?

श्री धर्मसिंह—जी हां, रद्दी बेचने वाले से कुछ फाइलें बरामद हुई हैं पुलिस के द्वारा ।

श्री प्रतापसिंह—जिन क्लर्कों और चपरासियों को निकाला गया है, उनका हाथ उन फाइलों की चोरी में था, क्या यह साबित हो गया है ?

श्री धर्मसिंह—जी हां, उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है। जहां तक चपरासियों का सम्बन्ध है, उन्होंने दो क्लर्कों का नाम भी बतलाया, तब इन चारों के खिलाफ कार्यवाही की गयी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो फाइलें बरामद हुई हैं वे किस विषय से संबंधित हैं ?

श्री धर्मसिंह—वे एलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से संबंधित हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब १४-७-६० को पता लग गया कि फाइलें चोरी गयी हैं, तो आज तक उनके बारे में सरकार यह पता नहीं लगा सकी कि वे किस विषय की थीं और कितनी थीं और इतनी ढिलाई की ?

श्री धर्मसिंह—जैसा कि मैंने निवेदन किया है उसकी पूरे तरीके से जांच हो रही है। क्योंकि जो कुछ फाइलें बरामद हुई हैं वे बहुत काफी तादाद में हैं, इसलिये उनकी भी पूरे तरीके से छानबीन की जा रही है और इसमें कुछ समय लग सकता है।

श्री गौरी शंकर राय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन लिपिकों को प्राथमिक जांच के आधार पर सस्पेंड किया गया है और जो लिपिकों ने स्वीकारोक्ति की है, इस आधार पर क्या उन्हें यह पता लगा है कि जो फाइलें गायब हुई हैं, उनमें अधिकांश ऐसी हैं जो रुपये-पैसे से संबंधित हैं?

श्री धर्मसिंह—फिलहाल तो उसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी क्योंकि बहुत सी फाइलें हैं। उनके बारे में नहीं कहा जा सकता कि किस विषय की फाइलें हैं।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो फाइलें मिली हैं वे कितनी हैं और क्या जो गायब हुई हैं उनका वजन २८ मन के करीब है, ऐसी सूचना उनके पास है?

श्री धर्मसिंह—यह हमारे पास सूचना नहीं है कि फाइलों का वजन २८ मन के करीब है। लेकिन जो कुछ सूचना प्राप्त हुई है वह यह है कि उन फाइलों का वजन १२ मन ३८ सेर के करीब है जो बरामद हुई हैं।

श्री गौरीशंकर राय—अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। जितने प्रश्न पूछे गये हैं, मंत्री जी ने यही बताया कि हाइडिल डिपार्टमेन्ट की फाइलें थीं। यह तो सब जानते हैं कि हाइडिल के दफ्तर में हाइडिल की ही फाइलें होंगी। तो वह इवेसिव आन्सर दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—उन्होंने तो विभागों से सूचना मांगी है, अभी स्पष्ट सूचना उनके पास है नहीं।

श्री बेवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—माननीय मंत्री जी ने अनेक प्रश्नों के उत्तर में कहा कि सूचना नहीं है, जहां हो रही है, तो क्या मंत्री जी जब जांच पूरी हो जाय और पूरी सूचना आ जाय तो सदन के सामने रखने की कृपा करेंगे?

श्री धर्मसिंह—जब सूचना प्राप्त हो जायगी उस वक्त ही विचार कर लिया जायगा कि वह मुनासिब है या नहीं।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—जो २८ मन के करीब फाइलें गईं वह एक आदमी के वश की बात नहीं है, तो किस सवारी के ऊपर ले जाई गईं दफ्तर से?

(हंसी—कोई उत्तर नहीं दिया गया)

*४४—**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)—[स्थगित किया गया।]

मनकापुर में बिजली की दर ज्यादा होना

*४५—**श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह** (जिला गोंडा) (अनुपस्थित), **कुंवर श्रीपालसिंह** तथा **श्री बलदेवसिंह** (जिला गोंडा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नीचे लिखे स्थानों पर (क) कोल्ड स्टोरेज और (ख) औद्योगिक कार्यों के लिये बिजली शक्ति प्रति यूनिट किस दर से देती है और उस पर कितनी राजकीय बिजली ड्यूटी लगाई जाती है: (१) लखनऊ शहर, (२) मेरठ शहर, (३) फैजाबाद शहर, (४) हापुड़ शहर, (५) बस्ती शहर, (६) (६) गोरखपुर शहर, (७) मनकापुर (जिला गोंडा)?

श्री धर्मसिंह—यह सूचना संलग्न सूची में दी हुई है। कोल्ड स्टोरेज और औद्योगिक कार्यों पर खर्च होने वाली बिजली पर १-४-१९५९ से बिजली कर नहीं लिया जाता है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १६३-६४ पर)

*४६—**श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह** (अनुपस्थित), **कुंवर श्रीपालसिंह** तथा **श्री बलदेवसिंह**—क्या सरकार देहाती क्षेत्रों में बिजली के रेट में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा कुछ रियायत करेगी ?

श्री धर्मसिंह—ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री बलदेवसिंह—श्रीमन्, मेरठ और हापुड़ में ५ नया पैसा पर यूनिट पड़ता है और मनकापुर में २५ नया पैसा पड़ता है, तो इस बात को देखते हुये कि देहात को प्रोत्साहन देना चाहिये, क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि कम से कम मेरठ और हापुड़ या लखनऊ के मुकाबले मनकापुर में भी कर दे ?

श्री धर्मसिंह—माननीय सदस्य इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जहां तक हापुड़ का सम्बन्ध है, वहां पर बिजली की ज्यादा मांग है । जहां पर ज्यादा मांग है वहां लाइन आदि पर खर्च कम होता है, लेने वाले ज्यादा होते हैं तो कम खर्च आकर पड़ता है । जहां तक मनकापुर का सम्बन्ध है वह छोटा-सा स्थान है और थोड़े से कंज्यूमर्स हैं, इसलिये थोड़ा-सा रेट में फर्क है ।

श्री बलदेवसिंह—मंत्री जी ने बताया कि थोड़ा सा रेट में फर्क है। लेकिन श्रीमन्, पांच गुने का फर्क है। मेरठ, हापुड़ और लखनऊ में ६ नये पैसे का रेट है और १ नये पैसे की छूट है जबकि वहां पर २५ नये पैसे हैं । तो इतने बड़े अन्तर को देखते हुये सरकार क्यों इस पर ध्यान नहीं देती जब कि सरकार की नीति है कि ग्रामोद्योग को तरक्की दी जाय ?

श्री धर्मसिंह—जैसा कि मैंने निवेदन किया, जितनी ज्यादा आबादी है और जितने ज्यादा कंज्यूमर्स हैं और जितना ज्यादा लोड खर्च होता उतने ही रेट्स आटोमेटीकली कम हो जाते हैं। जैसे कानपुर ऐसा स्थान है जहां सबसे ज्यादा बिजली खर्च होती है तो उससे रेट में अन्तर पड़ जाता है । हापुड़ और मनकापुर की आबादी में अन्तर तो है ही, यही मैंने निवेदन किया ।

श्री गौरीशंकर राय—क्या यह सही है प्रदेश के एक ही रीजन में देहाती इलाकों में ही विभिन्न जगहों से ली जाने वाली और एक ही प्रकार खपत होने वाली बिजली पर १ और तीन का अन्तर है । जैसे उदाहरण के लिये मिर्जापुर और बनारस रीजन में बिड़ला का रेट अगर १ है तो साधारण कंज्यूमर्स को ३ का रेट पड़ता है ?

श्री धर्मसिंह—यह तो स्थानों के ऊपर निर्भर करता है । यह बात सही है कि कहीं कुछ रेट है कहीं कुछ रेट है ।

श्री शिवराजसिंह यादव—देहाती क्षेत्रों में ट्रांसमिशन लाइन के लाइन रेंटल्स में परिवर्तन करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

श्री धर्मसिंह—इसके लिये नोटिस चाहिये ।

श्री बलदेवसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार ने कोई कोटा निर्धारित कर रखा है कि जब इतनी यूनिट बिजली खर्च हो तब रेट कम किया जाय ? यदि हां, तो वह कोटा क्या है ?

श्री धर्मसिंह—इस तरह का कोई कोटा निर्धारित नहीं है। जैसा मैंने कहा, जहां बिजली की ज्यादा मांग है उसमें उतना बिजली के रेट में अन्तर पड़ जाता है ।

*४७—**श्री ऊबल**—[स्थगित किया गया ।]

*४८-५०—**श्री शिवप्रसाद नागर**—[स्थगित किये गये ।]

*५१—**श्री ओंकारनाथ** (जिला मिर्जापुर)—[२० सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

*५२—**श्री राजाराम शर्मा** (जिला बस्ती)—[स्थगित किया गया ।]

हरगनपुर माइनर नहर योजना

*५३—**श्री लायकसिंह चौधरी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील शिकोहाबाद, जिला मैनपुरी में हरगनपुर माइनर बनने की जो योजना थी उसमें क्या प्रगति हो रही है ?

श्री धर्मसिंह—हरगनपुर माइनर का निर्माण-कार्य राम गंगा बांध बन जाने व उससे अतिरिक्त पानी उपलब्ध होने पर हाथ में लिया जायेगा ।

श्री लायकसिंह चौधरी—मंत्री जी बतायेंगे कि राम गंगा का बांध कब तक बनने की आशा है ?

श्री धर्मसिंह—तृतीय पंचवर्षीय योजना में शायद सम्भव हो सके ।

*५४—**श्री कोतवालसिंह भदौरिया** (जिला फर्रुखाबाद)—[२० सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

रूरा-दिवियापुर नहर सड़क

*५५—**श्री भजनलाल** (अनुपस्थित)—क्या सरकार रूरा, जिला कानपुर से दिवियापुर, जिला इटावा तक कैनाल रोड को अन्य सड़क के अभाव में पक्का करने का इरादा रखती है ?

श्री महावीरसिंह—इस सड़क के रूरा-झींझक भाग को तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिये विचार किया जा रहा है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि पूरी हो गई है इसमें इस सड़क को पक्का करने में कहां तक प्रगति हो पायी है ?

श्री महावीरसिंह—अभी तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का सवाल ही कहां आया है ?

श्री मोतीलाल अवस्थी—मेरा प्रश्न यह है कि इस सड़क को पक्का करने के बारे में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कहां तक प्रगति हो पायी है ?

श्री अध्यक्ष—वह तो यह कह रहे हैं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिए विचार कर रहे हैं, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उस पर काम कैसे हो सकता है ?

श्री मोतीलाल अवस्थी—मेरा प्रश्न यह है कि कोई एस्टीमेट वगैरह बना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कहीं, इसकी पूछ हुई या नहीं ? कोई प्रगति उसमें हुई ?

श्री अध्यक्ष—जिस चीज के ऊपर विचार ही नहीं किया गया तो उसकी प्रगति अपने आप कैसे हो जायगी ?

नोट:—तारांकित प्रश्न ५५ श्री मोतीलाल अवस्थी ने पूछा ।

*५६—**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी** (जिला झांसी)—[२० सितम्बर, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

सार्वजनिक निर्माण विभाग उद्योगशाला, मेरठ के कर्मचारियों का शिकायती-पत्र

*५७—**आचार्य दीपंकर** (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि १६ नवम्बर, १९५९ को मेरठ की सार्वजनिक निर्माण विभाग की उद्योगशाला के कर्मचारियों ने अभियन्ताओं द्वारा राजकीय संपत्ति के अपहरण एवं भ्रष्टाचार की ठोस मिसालें सरकार के सामने रखी थीं ?

श्री गिरधारीलाल—सार्वजनिक निर्माण विभाग की उद्योगशाला, मेरठ के कर्मचारियों ने इस संबंध में १६ नवम्बर, १९५९ को एक शिकायती-पत्र मुख्य अभियन्ता के पास भेजा था।

*५८—**आचार्य दीपंकर** (अनुपस्थित)—यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उनके संबंध में उसने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री गिरधारीलाल—उपरोक्त शिकायती-पत्र में दिए गए आरोपों की जांच कर ली गई है और जो आरोप सही पाए गए हैं उनसे संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने का प्रश्न विभाग में विचाराधीन है।

दोहरीघाट पम्प नहर संबंधी अनुमानित व्यय

*५९—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दोहरीघाट पम्प नहर का पहले जो तखमीना था वह कितने-कितने रुपये का अलग-अलग मदों में बनाया गया था और जून, १९६० तक कितना-कितना रुपया अलग-अलग मदों में व्यय हुआ है ?

श्री धर्मसिंह—सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—मंत्री जी बतायेंगे कि सूचना एकत्रित करने में इतने विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री धर्मसिंह—सरकार के पास कुछ सूचना आयी थी, उससे सरकार संतुष्ट नहीं थी, इसलिये और सूचना प्राप्त करने के लिये कार्यवाही की गई। इसलिये थोड़ी बहुत देर हो गई।

श्री रामसुन्दर पांडेय—यह सूचना कब तक एकत्र हो जायगी ?

श्री धर्मसिंह—समय बताना तो संभव नहीं है, लेकिन शीघ्रता की कोशिश की जा रही है।

श्री मदन पांडेय—प्रश्न के प्रथम भाग में अलग-अलग मदों का तखमीना क्या था, यह पूछा गया। क्या यह सूचना भी एकत्रित नहीं हुई है ? अगर हो गई है तो इसको मंत्री जी देंगे ?

श्री धर्मसिंह—मैंने अभी निवेदन किया कि कुछ सूचना आयी थी जो अपर्याप्त थी, इसलिये और सूचना मंगायी गई है। जब तक सूचना पूरी तरह से प्राप्त न हो जाय तब तक सदन में किसी प्रकार की सूचना देना संभव नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव—जो सूचना सरकार के पास पहले आयी थी वह किस माने में कम थी और किन निर्देशों के साथ वापस की गई ?

श्री धर्मसिंह—अनेक प्रकार की सूचना इस प्रश्न से संबंधित है, इस समय मेरे पास डिटेल नहीं है।

झांसी कमिश्नरी में निर्माण-कार्य

*६०—**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी कमिश्नरी में (झांसी, जालौन, बांदा, हमीरपुर जिला) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किस जिले में कितने मील पक्की सड़कें और किस जिले में किन-किन नाले-नदियों के पुल किस स्थान पर बनाने का निश्चय किया गया था और उसमें से दिसम्बर, १९५९ तक कितनी सड़कें और कौन-कौन से पुल बन चुके हैं और बाकी कब तक बन जाने की आशा है ?

श्री महावीरसिंह—यह सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रक्खी सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १६५–१६६ पर)

*६१—**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी**—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि तहसील महरौनी, जिला झांसी में १९४७ से जुलाई, १९५९ तक कितने मील पक्की सड़कें किस स्थान पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनवाई गईं ?

श्री महावीरसिंह—इस बीच ललितपुर-महरौनी पक्की सड़क का पुनः निर्माण किया गया था।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—मंत्री जी बतायेंगे कि सेकेन्ड फाइव ईयर प्लान में कोई संशोधन अभी हाल में किया गया है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री महावीरसिंह—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुछ संशोधन जरूर हुआ था।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—उक्त संशोधन कब हुआ था ?

श्री महावीरसिंह—यह संभवतः १९५६ में हुआ था, ठीक तारीख के लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—माननीय मंत्री जी ने जो आज सूचना दी है उसमें झांसी जिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १६ मील ७ फर्लांग सड़कों का लक्ष्य बताया है और ११ अगस्त, १९५९ को प्रश्न संख्या ८ का उत्तर देते हुए माननीय धर्म सिंह ने ३६ मील सड़कों का लक्ष्य झांसी जिले के लिये बताया था। तो दोनों में से कौन-सा उत्तर सही है ?

श्री महावीरसिंह—मालूम तो दोनों ही सही देते हैं, क्योंकि कुछ नयी सड़कें उसमें शामिल कर ली गयी थीं, उन सबको मिलाकर बताया गया है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—३६ मील नयी सड़कें बनाने का और २७ मील पिछड़े क्षेत्र के लिये लक्ष्य था, तो क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उनका आज का लक्ष्य सही है या ११ अगस्त, १९५९ को दिया गया उत्तर सही है ?

श्री महावीरसिंह—जब तक जिस तारीख का आप जिक्र कर रहे हैं वह चीजें हमारे सामने न हों, ठीक तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जैसा मैंने अर्ज किया, संभवतः ऐसा मालूम होता है कि जो माइलेज में फर्क हुआ वह इसलिये था कि कुछ सड़कें बैकवर्ड इलाके के लिये ली गयी थीं, संभवतः वही शामिल हैं।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—प्रश्न संख्या ६० के उत्तर में जो लक्ष्य आपने बताया है कि झांसी में १६ मील ७ फर्लांग, जालौन में ४३ मील ५ फर्लांग, बांदा में ६८ मील १ फर्लांग और हमीरपुर में ६० मील ६ फर्लांग का लक्ष्य है और जो इस बीच में बनी हैं जालौन में २० मील ६ फर्लांग, बांदा में १८ मील, हमीरपुर में १२ मील ६ फर्लांग, उसमें झांसी में एक मील भी सड़क नहीं बनी है, तो क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की झांसी जिले के साथ इस उपेक्षापूर्ण नीति का क्या कारण है और यह उपेक्षापूर्ण व्यवहार कब तक रखने का सरकार ने निश्चय किया है ?

श्री महावीरसिंह—श्रीमन्, आपके रहते हुए इस सदन में तो किसी की हिम्मत नहीं है जो झांसी के साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार कर सके ।

श्री अध्यक्ष—आप फैक्ट्स के बारे में कहिये । वे कहते हैं कि क्यों एक मील का भी निर्माण वहां पर नहीं हुआ ? उपेक्षापूर्ण व्यवहार न सही, कोई और कारण हो वह बताइये।

श्री महावीरसिंह—श्रीमन्, कार्य चल रहा है । असल में बहुत सी सड़कों के प्रोपोजल्स आये जिसकी वजह से कुछ देरी हो गयी ।

श्री शिवराजसिंह यादव—क्या माननीय मंत्री जी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काल में झांसी कमिश्नरी के प्लान टार्गेट्स पूरे कर पायेंगे ?

श्री महावीरसिंह—जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनायी गयी तो इस बात का ध्यान रखा गया था कि जितना धन सड़कों के लिये मिल रहा है उससे कुछ ज्यादा की सड़कें रख ली जायं ताकि उनको स्पिल ओवर करके तृतीय पंचवर्षीय योजना में रख लिया जाय और ठीक उसी के अनुसार कार्य हो रहा है ।

श्री ऊदल—जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि झांसी जिले की उपेक्षा नहीं की जाती है उसको देखते हुए जितने मील सड़कें उन्होंने ली थीं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पूरी करने के लिये और उसमें से अब तक एक मील भी नहीं बन पायी तो जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का बचा हुआ समय है इसके अन्दर उनको पूरा करने की कृपा करेंगे ?

श्री महावीरसिंह—यह प्रश्न इसलिये नहीं पैदा होता, क्योंकि मैंने बताया कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जितना रुपया मिला था उससे ज्यादा की सड़कें बनाने का विचार था । जैसे १६ करोड़ रुपया मिला था, लेकिन २४ करोड़ रुपये की हमने योजना बनायी । तो हमारा मतलब यह है कि इस कार्यकाल में ६० फीसदी पूरा कर लेंगे और बाकी स्पिल ओवर हो जायगा ।

श्री गज्जूराम (जिला झांसी)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि झांसी में जो १६ मील लम्बी सड़कों के बनाने का लक्ष्य रखा गया है उसमें से कितनी बन चुकी है और कितनी बाकी हैं ?

श्री महावीरसिंह—९ मील लम्बी जो झांसी–जखोरा सड़क है उसमें कार्य करने के लिये जनवरी, १९५८ में हुक्म दिया गया था और कार्य चल भी पड़ा है । अभी बांसी बार सड़क का सरकार के पास एस्टीमेट नहीं आया है ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या मंत्री जी मेरी सूचना को सही मानकर बतायेंगे कि बांसी-बार सड़क पर कोई काम नहीं हुआ है और बांसी-जखोरा सड़क पर आज तक केवल कुछ मिट्टी पड़ने के सिवाय कोई काम नहीं हुआ है? यह सड़कें १९५८ में मंजूर की गई थीं और तब से आज तक कोई काम न होने का क्या कारण है ?

श्री महावीरसिंह—जैसा कि बताया जा चुका है, अगर वह पूरा उत्तर सुन जायं तो उनकी समझ में आ जायगा । मैंने यह अर्ज किया कि बांसी–बार सड़क का एस्टीमेट नहीं आया है और बांसी–जखोरा सड़क पर जनवरी, १९५८ में काम करने का आदेश दिया गया था और जैसा कि आपने स्वीकार किया है, उस पर काम शुरू हो चुका है ।

श्री अध्यक्ष—वह पूछते हैं कि काम कब तक पूरा हो पायेगा ।

श्री महावीरसिंह—बांसी-जखोरा सड़क की सितम्बर, १९६१ तक होने की संभावना है और बांसी बार सड़क के लिये सितम्बर, १९६२ है।

कटेहर व जाल्हूपुर परगने के नलकूप तथा सुल्तानीपुर परगने की नहर

*६२—श्री लोकनाथसिंह (जिला वाराणसी)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कटेहर व जाल्हूपुर परगने, जिला वाराणसी में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुल कितने ट्यूबवेल लगे तथा कितने काम कर रहे हैं ?

श्री धर्मसिंह—द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत कटेहर परगने में १० व जाल्हूपुर परगने में ३ नलकूप अब तक बनाये गये हैं। इनमें से पहले में पांच व दूसरे में सभी काम कर रहे हैं।

*६३—श्री लोकनाथसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परगना सुल्तानीपुर, जिला वाराणसी की नहर पूरी हो गई और उससे सिचाई होती है ?

श्री धर्मसिंह—जी हां, नहरों का निर्माण-कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। दानगंज तथा किराकत रजबहों पर सिचाई १३६६ फसली खरीफ से व रसरा रजबहा पर रबी १३६७ फसली से आरम्भ हो गई थी।

श्री लोकनाथसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कटेहर परगने में जो दस नलकूप बनाये गये उनमें से पांच ही क्यों काम कर रहे हैं ?

श्री धर्मसिंह—यह गत वर्ष बन कर तैयार हुए हैं और उन पर नवीन बिजली लाइन बनाई जा रही है और बिजली पहुंचाने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

श्री लोकनाथसिंह—श्रीमन्, मैंने प्रश्न किया था कि सुल्तानीपुर परगना, जिला वाराणसी की नहर पूरी हो गई और उससे कितनी सिचाई हुई, मंत्री जी ने जबाब दिया कि नहरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। दानगंज तथा किराकत रजबहों पर सिचाई १३६६ फसली खरीफ व रसरा रजबहा पर रबी १३६७ फसली से आरम्भ हो गई थी तो क्या वह बतायेंगे कि किराकत और दानगंज रजबहे किस जिले में हैं ?

श्री धर्मसिंह—किस जिले में यह पड़ते हैं, इसके लिये तो सूचना की आवश्यकता है लेकिन जैसा कि प्रश्न के उत्तर में निवेदन किया है वह यह है कि दानगंज तथा किराकत रजबहों से सिचाई १३६६ फसली खरीफ से व रसरा रजबहा पर १३६७ फसली रबी से आरम्भ हो गई थी।

श्री लोकनाथसिंह—क्या मंत्री जी इस सूचना को सही मानकर कि १५ अगस्त, १९६० तक नहर खुली हुई नहीं थी और न सिचाई हुई थी पुनः इसकी जांच करायेंगे ?

श्री धर्मसिंह—वैसे जांच करा ली जायगी लेकिन जैसा कि निवेदन किया दानगंज व किराकत रजबहे पूर्णतया बन चुके हैं और रसरा माइनर पर भी काम हो गया है लेकिन थोड़ा सा काम बाकी है।

श्री ऊदल—क्या मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि जो नहर बनाई गई है इससे किसानों को पानी नहीं मिल रहा है ? इसके लिये वह क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री धर्मसिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है। नहर बनने के बाद गूलें वगैरह बनाने का कुछ काम बाकी रह जाता है, इसलिये थोड़ा सा समय लगता है। उस पर कार्य हो रहा है।

श्री लोकनाथसिंह—क्या माननीय सिचाई मंत्री को ज्ञात है कि सुल्तानीपुर परगने में आखिर में यह नहर कहां जा कर गिरती है ?

श्री धर्मसिंह—डिटेल के लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री गौरीशंकर राय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो कटेहर में दस ट्यूबवेल बने हैं, जिनके संबंध में कहा गया कि पांच पर बिजली नहीं है, बाकी जो पांच ट्यूबवेलों पर बिजली है, उनमें पानी ले जाने के लिये नालियां नहीं बनी हैं इसलिये वे नहीं चल रहे हैं ?

श्री धर्मसिंह—यह बात गलत है । बल्कि यह बात सही है कि पांच ट्यूबवेल जिनका जिक्र किया गया वह चल रहे हैं ।

भीरा-पलिया सड़क में हस्तगत भूमि का मुआवजा

*६४—**श्री बंशीधर शुक्ल** (जिला खीरी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला खीरी में भीरा-पलिया रोड जिसका कि नया निर्माण हुआ है उसमें कितने किसानों की कितनी-कितनी जमीनें पड़ी और कितनों को क्या मुआवजा दिया गया ? यदि नहीं दिया गया, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—प्रथम भाग—वांछित †सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रखी हुई सूची में दी हुई है ।

द्वितीय भाग—मुआवजा लेने के लिये दिनांक ३०-८-६० निश्चित की गई परन्तु इस तिथि को काश्तकार नहीं आये इस कारण मुआवजा नहीं दिया जा सका । उन्हें पुनः ७-९-६० को मुकाम भीरा में बुलाया गया था ।

*६५—**श्री बंशीधर शुक्ल** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि भीरा-पलिया रोड से संबंधित उपर्युक्त काश्तकारों का उपर्युक्त जमीन का लगान अब तक क्यों नहीं काटा गया और उसे पटवारी के खाते से अलग क्यों नहीं किया गया ?

श्री गिरधारीलाल—क्योंकि लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट के अन्तर्गत संबंधित आराजी का नियमानुकूल दखल अभी नहीं हो पाया है ।

बीरपुर पम्प कैनाल निकालने की प्रार्थना

*६६—**श्री मुक्तिनाथराय**—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या गाजीपुर जिले में बीरपुर ग्राम के पास गंगा नदी से बीरपुर पम्प कैनाल निकाल कर सिंचाई की व्यवस्था करने के निमित्त इस वर्ष सरकार के पास कोई सुझाव आया है ? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री धर्मसिंह—बीरपुर में सिंचाई की व्यवस्था करने के निमित्त एक प्रार्थना-पत्र आया था, परन्तु उसमें किसी पम्प कैनाल का सुझाव नहीं है । पम्प द्वारा पानी उठाना अल्प व्यय साध्य (Economical) नहीं होगा ।

श्री मुक्तिनाथराय—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई की व्यवस्था के लिये जो प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था उस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री धर्मसिंह—जो प्रार्थना-पत्र आया था उसमें जो एरिया है उसमें अधिकतर बाढ़ आदि आ जाती है, ऊबड़ खाबड़ सा एरिया है । इसलिये फिलहाल उस पर कोई विचार नहीं हो सकता है ।

---

† सूचना छापी नहीं गई ।

श्री मुक्तिनाथराय--क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो सूचना सरकार को दी गयी है वह बिलकुल ठीक नहीं है, बिलकुल गलत है, सरकार इसे पुनः निरीक्षण करवायेगी, और वहां के जन प्रतिनिधियों से जानकारी प्राप्त करके पुनः सिंचाई की व्यवस्था कोई हो, इस पर सरकार विचार करेगी ?

श्री धर्मसिंह--जो सूचना दी गयी है वह ठीक दी गयी है और जो माननीय सदस्य ने प्रार्थना-पत्र दिया था उसका उत्तर भी दे दिया गया है। यदि उनकी जानकारी में कोई और भी इस प्रकार की बात हो, तो लिख कर के भेजें, उस पर कार्यवाही की जायगी।

कुसेपुरा गांव को पहुज नदी से खतरे का भय

*६७--**श्री गरीबदास**--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि क्या ग्राम कुसेपुरा, थाना रामपुरा, परगना व जिला जालौन को पहुज नदी से जलमग्न होने का खतरा पैदा हो गया है ?

श्री धर्मसिंह--फिलहाल कोई खतरा नहीं है। किन्तु यदि नदी का वर्तमान रुख जारी रहा तो सम्भव है कि ऐसा हो जाये।

*६८--**श्री गरीबदास**--क्या सरकार के पास उक्त ग्राम के नागरिकों ने प्रार्थना-पत्र देकर नदी कटाव को मोड़ने के लिये प्रार्थना की है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री धर्मसिंह--जी हां। गत वर्ष एक ऐसा पत्र जिलाधीश के पास आया था, किन्तु उस समय गांव को कोई खतरा नहीं था।

श्री गरीबदास--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले वर्ष जो प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था तब कोई खतरा नहीं था, इस समय खतरा जो हो रहा है, इसके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं जिससे खतरे से खाली हो जाय ?

श्री धर्मसिंह--यह बात ठीक है कि पिछले वर्ष जब प्रार्थना-पत्र आया था उस वक्त कोई खतरा नहीं था। अब उस पर सरकार कुछ न कुछ सोच रही है।

श्री ब्रजनारायण तिवारी--माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि जो वर्तमान रुख नदी का है उससे खतरा सम्भव है, तो क्या सरकार के सामने ऐसी कोई योजना है जिससे नदी का वर्तमान रुख समाप्त हो जाय ?

श्री धर्मसिंह--जैसा कि मैंने निवेदन किया, जहां तक इस गांव का सम्बन्ध है, इस पर विचार कर रहे हैं कि उसका क्या प्रबन्ध किया जाय।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गांव कुसेपुरा पहुज नदी से कितने फासले पर है ?

श्री धर्मसिंह--इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष--आप जागरुकी के सवाल बहुत करते हैं।

श्री गरीबदास--गांव जो है वह बिलकुल नदी के ऊपर है, दस कदम का भी फासला नहीं है। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या कृपया वह बतायेंगे कि गांव जब कट जायगा तब वह कोई कदम उठायेंगे या गांव कटने के पहले ही कदम उठाने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह—नियमों के अनुसार यह जिलाधीश महोदय का काम है कि जब इस प्रकार का कोई खतरा होता है तो उसके लिए प्रबन्ध करें। या तो आबादी को हटा लें या और जो प्रबन्ध मुनासिब हो वह करें। जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं कि बहुत थोड़ा फासला है वैसी बात नहीं है।

श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जैसा उन्होंने कहा कि जिलाधीश का कर्तव्य है तो जिलाधीश के कर्तव्य के साथ-साथ कुछ प्रान्तीय सरकार का भी कर्तव्य है और जैसा कि उन्होंने कहा कि कुछ न कुछ सोच रहे हैं, तो सरकार क्या सोच रही है?

श्री धर्मसिंह—यदि उनको पूरे तरीके से खतरा कोई हो गया तो उनको वहां से हटाया जाय या फिर और किसी दूसरी जगह बसाया जाय, यही प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री बलदेवसिंह—माननीय गरीबदास ने अपनी आंखों से देखा है और सरकार दूसरे की आंखों से देख कर बात कह रही है, तो क्या माननीय सदस्य की देखी बात को सही मानकर उनको सुरक्षा का कोई उपाय सरकार निकालेगी?

श्री धर्मसिंह—वह तो मैंने अभी निवेदन किया कि वह जो माननीय सदस्य ने यह कहा है कि दस कदम का ही फासला रह गया है वह बात गलत है। जैसा कि मैंने कहा है कि यह जिलाधीश महोदय का काम है कि इस तरह का कोई खतरा आता है तो वह प्रबन्ध करें, तो वह प्रबन्ध करेंगे।

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६०-६१ का प्रथम पूरक), विधेयक, १९६०

सचिव, विधान सभा—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सदन को यह सूचना देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६०-६१ का प्रथम पूरक) विधेयक, १९६० जो विधान सभा द्वारा ८ सितम्बर, १९६० को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से, बिना किसी सिफारिश के १२ सितम्बर, १९६० को वापस प्राप्त हो गया है।

देहरादून में ननकू पासी की कथित हत्या के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग

श्री अध्यक्ष—अब नियम ५२ के अनुसार ध्यान आकृष्ट करने के लिए मेरे पास जो विषय भेजे गए थे उसमें से मैंने श्री गोविन्द सिंह बिष्ट का एक स्वीकार किया है जो इस प्रकार है—

"दिनांक २२ जून, १९६० को देहरादून की पुलिस ननकू पासी पुत्र दुलारे को सुबह उसके खेत से पकड़ कर ले गयी, जिसके तीन चार घंटे बाद उसकी लाश सीताराम वाले मकान के कुएं से निकली। लाश को पुलिस ने ननकू की स्त्री को न देकर जलवा दिया। डाक्टर पर भी दबाव दिया गया कि वह पोस्ट मार्टम में डूबने के कारण मृत्यु होना लिखे। मगर उन्होंने चोट लगने से मौत होना बताया है, डूबने से नहीं। इसके विरोध में २४ जून को देहरादून में बहुत बड़ा जलूस भी निकला। नगरवासियों के भीषण रोष को देख कर जिलाधीश ने जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से इसकी जांच करायी, पर उन पर नाजायज दबाव डाला गया है। जांच का नतीजा भी दबाया गया है यद्यपि पुलिस का कहना है कि यह बात गलत है और उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। अब पुलिस ने उक्त विधवा और गवाहों को अपने थाने में बुला बुला कर तंग

करना शुरू कर दिया है और झूठी धमकी दी जा रही है। वहां पर विषम परिस्थिति व अरक्षा का वातावरण बन गया है। इस घटना पर प्रकाश डालने के लिये माननीय गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया जाता है।"

तो माननीय गृह मंत्री जी अपना वक्तव्य कब देंगे ?

गृह उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—दो दिन बाद दे सकूंगा। १५ तारीख को दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष—ठीक है। कोई हर्ज नहीं।

सदन के भावी कार्यक्रम के सम्बन्ध में जानकारी

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—अध्यक्ष महोदय, कल जो घोषणा हुई थी, १६ तारीख तक सदन के चलने की उसके सम्बन्ध में आपने अभी अपनी कोई सम्मति अथवा आदेश नहीं दिया और उस सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता था।

श्री अध्यक्ष—उसके बारे में मैंने कह दिया था कि उठने के बारे में तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन फिर कब बैठने वाले हैं उस बारे में मैं विचार करूंगा। ६ अक्तूबर से वे दुबारा बैठने को कहते हैं। तो जो काम बाकी रह गया है उसका अन्दाजा मैं लगा लूंगा और उस हिसाब से बतलाऊंगा सदन को।

श्री गौरीशंकर राय—आपने उठने के बारे में आज्ञा दे दी है। अब इतनी जल्दी उठने की बात कुछ विचित्र है। आपकी घोषणाओं की सेक्टिटी तो कुछ होनी चाहिये ? २३ तारीख तक के लिये हम लोग यहां आते हैं और १६ को ही कार्यक्रम समाप्त हो जाता है।

श्री अध्यक्ष—आपका कहना बिल्कुल वाजिब है। मैं सरकार से यह कहूंगा कि जो घोषणा वह करे वह कुछ विचार के साथ होनी चाहिये और उसे फिर बार बार बदलना, यह बात उसकी ख्याति ऊंची नहीं करती। विचित्र नारायण जी यहीं बैठे हैं, वे सुन लें। मतलब यह है कि एक दफा मुझ से कहा गया कि सदन २३ तक चलेगा और पहले भी इसी तरह का नोटिस था। उसके बाद रिवाइज होकर प्रोग्राम आया तो उसमें भी २३ तारीख रख दी गयी और अब १६ को उठने की बात आ गयी और सदन का कार्यक्रम चार दिन पहले ही समाप्त हो जाता है। तो यह बार बार का परिवर्तन, मैं समझता हूं, उचित नहीं है।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—श्रीमन्, यह एक आक्षेप सा है, इसलिये कुछ कफियत दे दूं। सरकार का विचार २३ तक चलाने का था, लेकिन इस आदरणीय सदन के विरोधी दलों के नेताओं ने इच्छा प्रकट की कि २० तारीख को पितृ लोग उठ रहे हैं, इसलिये उस दिन सदन न बैठे। तो सोचा यह गया कि जब २० तारीख को छुट्टी करते हैं तो अच्छा होगा कि १६ को ही समाप्त कर दें। इस वास्ते यह किया गया। सरकार का कोई खास आग्रह नहीं था। बदकिस्मती यह है कि वह रेस्पांसिव है पब्लिक ओपीनियन की।

(श्री देवनारायण भारतीय, श्री गौरीशंकर राय तथा श्री गोविन्द सिंह बिष्ट ने एक साथ बोलना प्रारम्भ कर दिया।)

श्री अध्यक्ष—अगर आप तीनों एक साथ बोलना शुरू कर देंगे तो काम नहीं चलेगा। भारतीय जी, आप अपनी बात कहें।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि विरोधी दल के नेताओं ने उनसे यह प्रार्थना की थी कि सदन बजाय २३ के १६ को ही समाप्त कर दिया जाय। मैं उनसे यह निवेदन करता हूं कि वे इस बात को स्पष्ट कर दें कि किस विरोधी दल के नेता ने उनसे ऐसा कहा था। कम से कम सोशलिस्ट पार्टी की ओर से मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूं, मैंने उनसे नहीं कहा।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—अगर सोशलिस्ट पार्टी का यह दावा है कि वही एक विरोधी दल है तो मैं अपनी बात को वापस लिये लेता हूं। यह ठीक है कि उनकी राय हमें प्राप्त नहीं हुई थी, और यह हमारा दुर्भाग्य है कि उनकी राय हमें बहुधा प्राप्त होती भी नहीं है।

श्री गौरीशंकर राय—श्रीमन्, अगर किसी व्यक्ति विशेष ने निवेदन किया हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मेरी जानकारी में जो निवेदन किया गया था वह केवल एक ही दिन सदन न बैठने के लिये था, यह नहीं कि १९ तारीख के बाद काफी समय के लिये सदन उठ जाये।

श्री गोविंदसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—श्रीमन्, शनीचर के दिन शाम को मेरी टेलीफोन पर श्री लक्ष्मीरमण आचार्य जी से बातचीत हुई थी, और उन्होंने मुझे यह बतलाया था कि कुछ लोगों की यह राय है कि २० तारीख को सदन की बैठक न हो, क्योंकि उस दिन पितृ-विसर्जन है। हमने उस पर कहा कि ठीक है। फिर एक यह बात भी चली कि उसके बाद सदन की बैठक न हो, तो हमने कहा कि हमारी तो मामूली पार्टी है, और लोगों से भी राय ले ली जाय। इस पर उन्होंने यह कहा कि पालीवाल जी की भी राय है और त्रिलोकीसिंह जी की भी राय है। तो मैंने कहा था कि जब सभी लोग कह रहे हैं तो मुझे भी एतराज नहीं है। इस बात पर हमने सुझाव मान लिया था।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—अध्यक्ष महोदय, मैं उन लोगों में से हूं जिन्होंने अपनी इस बात के लिये स्वीकृति दी। मैंने अपनी पार्टी की तरफ से स्वीकृति दी थी कि १९ तारीख के बाद सदन की बैठक न हो। मैं तो जो बात कहता हूं उससे पीछे नहीं हटता हूं। लेकिन यह बात चली यूं कि २० तारीख को पित्र विसर्जन है, उसके पश्चात् नवरात्रि शुरू हो जाती है। इस बीच में कुछ धार्मिक हिन्दुओं को कठिनाई हो सकती है। इस पर माननीय इन्दुभूषण गुप्त जो ने नेता सदन से बात भी की थी। उस पर उन्होंने कहा था कि १९ तारीख को छुट्टी रहेगी। उसके बाद यह दोनों बातें तय हो गयीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन, जहां तक मेरी जानकारी है, कोई प्रस्ताव हमारी तरफ से भी नहीं हुआ कि २० तारीख के बाद सदन की बैठक न हो। केवल २० तारीख की बात थी और उस दिन की छुट्टी के लिये हमने मान लिया था।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह स्पष्ट हो गया है। अब यह प्रोग्राम तो बन गया, लेकिन आइन्दा के लिये मैं कहना चाहता हूं कि प्रोग्राम जो बना करे वह इन सब बातों को ध्यान में रख कर बना करे। नवरात्रि या अमावस्या यह ऐसी चीजें हैं जो पत्रे में दी होती हैं और हर साल आती हैं, और कब होंगी यह पंचांग में दिया रहता है। मैं समझता हूं माननीय विचित्रनारायण जी इस चीज को विचित्रता समझते भी नहीं शायद। लेकिन आइन्दा जो प्रोग्राम बने वह इन सब बातों का खयाल रख कर बनना चाहिये।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—श्रीमन्, यह पितृ विसर्जन सब माननीय सदस्यों से कराया जायेगा या केवल उनसे जिनके पितृ नहीं हैं? (हंसी)

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—श्रीमन्, नियम समिति ने लंच के सम्बन्ध में जो संशोधन स्वीकार किया था और अपनी स्वीकृति दी थी, वह कब से लागू किया जायेगा?

श्री अध्यक्ष—उसमें तो यह है कि कुछ संशोधन आ चुके हैं मेरे पास और जब संशोधन आ जाते हैं तो फिर रूल्स कमेटी के पास वे वापस भेजे जाते हैं। मैंने उसके लिये परसों का समय रखा है और परसों कमेटी हो जाने के बाद १६ तारीख को उसका फैसला इस सदन के सामने फिर से रख कर होगा। क्योंकि कई संशोधन आ गये हैं, इसलिये मेरे लिये लाचारी है।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—मुझे एक निवेदन करना है कि अब तक जो प्रोग्राम बताया गया है उससे यह तो मालूम होता है कि अक्तूबर में यह सदन फिर बैठेगा और उस समय जो और काम हैं वह भी आवेंगे। सहकारिता का विधेयक आने वाला है उस कार्यक्रम में। तो मैं निवेदन करूंगा कि वह प्रोग्राम आ चुका है। अगर उस बिल की कापियां तैयार हों और सदन में बटवा दी जायं तो हम लोग पहले से विचार कर लें।

श्री अध्यक्ष—मेरे पास तो उसकी नोटिस अभी तक आयी नहीं। यहां पर सहकारिता मंत्री या उपमंत्री नहीं हैं। मैं समझता हूं कि उसके बारे में विचार पहले से हो जाय तो ठीक ही है। आपका कहना ठीक ही है। मैं उनसे परामर्श कर लूंगा और फिर उस पर जैसा होगा किया जायगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—मेरा निवेदन यह है कि अगर यह निश्चित मालूम हो जाय कि ६ अक्टूबर के बाद जब हम बैठेंगे तो कितना काम है और कितने दिन तक सत्र चलेगा...

श्री अध्यक्ष—क्या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं और आपको इस तारीख से कोई अड़चन हो तो आप मुझे बतला सकते हैं। मैं सरकार से भी पूछ लूंगा कि कितना उनके पास काम है। लेकिन मैं यह चाहता हूं कि जो निश्चय अब हो वह निश्चय पक्का हो और उसमें फेर बदल नहीं होना चाहिये।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने कहा कि फैसला ऐसा हो जो पक्का हो और वह बदला न जाय। रिवाइज्ड प्रोग्राम हमारे सामने, श्रीमन्, आ गया था और उसके हिसाब से हमने अपने प्रोग्राम बना लिये। मैंने तो १० दिन तक पांडु और लीपूलेक का दौरा तय कर लिया है और दूसरे सदस्यों ने भी ऐसे ही प्रोग्राम बनाये होंगे। इस सत्र में आप देख रहे हैं कि जिला परिषद् बिल को हम कितनी गम्भीरता से पास कर रहे हैं। उसके बाद हमारे सामने कोई महत्वपूर्ण बिल नजर नहीं आ रहा है। कोआपरेटिव मिनिस्टर ने कहा था कि कोआपरेटिव बिल आयेगा।

श्री अध्यक्ष—आप मेरे कमरे में बात कर लीजियेगा।

श्री प्रतापसिंह—दूसरी बात प्राइवेट प्रस्तावों की है। प्रोग्राम छप कर आ गया है। २२ और २३ को हमारे बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव आने वाले हैं। वह छप गये हैं और आप जानते ही हैं कि एक बार छपाने में कितना पैसा लगता है। हमारे अधिकारों के आप रक्षक हैं।

श्री अध्यक्ष—ठीक है, आप यह सब लिखित मेरे पास भेज दीजियेगा।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—हम लोगों को इस कार्यक्रम के बारे में निश्चित सूचना कब तक मिल जायगी?

श्री अध्यक्ष—अभी नेता सदन भी नहीं हैं। वह १५ तारीख को आयेंगे, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा निश्चित रूप से कि क्या प्रोग्राम है।

श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)—श्रीमन्, २ तारीख को गांधी जयन्ती है और आगे फिर दीवाली आ जायगी। इसलिये ६ से क्यों आरम्भ किया जाता है ३ तारीख से ही आरम्भ कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—आप अपना लिखित सुझाव भेज दें।

श्री गोविंदसिंह विष्ट—श्रीमन्, दफा ५२ के अन्तर्गत एक प्रश्न की सूचना देने के लिये आपने १५ तारीख निश्चित की थी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर मंत्री जी को कोई आपत्ति न हो तो बजाय १५ के १६ कर दें।

गृह उप-मंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष—ठीक है, तो वह अब १६ तारीख को होगा।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९६० (क्रमागत)*

खंड ३१

अधिनियम के अधीन अधिकारों का प्रयोग और कृत्यों का संपादन

(१) प्रत्येक क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद्, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अपने को प्रदत्त तथा सौंपे गये या प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग और कृत्यों का संपादन करेगी।

(२) इस अधिनियम या तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी, राज्य सरकार किसी भी समय अपने किसी भी विभाग द्वारा जिले के या उससे नीचे के स्तर पर तत्समय संपादित किसी कृत्य को किसी क्षेत्र समिति अथवा समस्त क्षेत्र समितियों या किसी जिला परिषद् अथवा समस्त जिला परिषदों को सौंप सकती है और इस प्रकार सौंपे गये कृत्य को वापस ले सकती है।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—हमें इसमें "सौंपने के बाद वापस ले सकती है" इसपर एतराज है, इतने ही के हम विरुद्ध हैं। श्रीमन्, आज के समाजवादी युग के बारे में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन राजाओं की बात जो हुआ करती थी वह वापस नहीं हुआ करती थी। सरकार राजा है, जो चीज वह किसी को दे दे फिर उसको अगर वापस लेने की बात कहे तो यह सरकार को शोभा नहीं देता।

श्री अध्यक्ष—आपने अपने प्रस्ताव को उपस्थित भी कर दिया या नहीं?

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—मेरा नाम नहीं पुकारा।

श्री अध्यक्ष—मैंने सब का पुकारा, लेकिन आप बातें करते रहें तो क्या हो?

कुंवर श्रीपालसिंह—मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ३१ के उपखंड (२) की पंक्ति ५ में शब्द "सौंप सकती है" के आगे का वाक्य निकाल दिया जावे। इसमें "के" छपने से रह गया है। इस प्रकार सरकार अपने आपको पीछे हटने के लिये एक रास्ता निकाल रही है जो कि सरकार के लिये शोभा नहीं देता। एक अधिकार देने के पहले १० मर्तबा सोच लें, समझ लें लेकिन उसको देने के बाद, एक मर्तबा तलवार बाहर निकल कर म्यान में न रखी जा सके इसीलिये मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मंत्री जी राज्य की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए मेरे इस छोटे से संशोधन को मान लेंगे।

श्री अध्यक्ष—(श्री मदन पांडेय से) आप सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका भी संशोधन उसी तरह का है जैसा कि कुंवर श्रीपाल ने उपस्थित किया है।

श्री मदन पांडेय—अध्यक्ष महोदय, मुझे कुंवर श्रीपाल सिंह के संशोधन का समर्थन करना है। इस खंड में इस बात की व्यवस्था की गयी है कि राज्य सरकार जिन-जिन कामों को चाहे उन्हें परिषद् को सौंप सकती है और चाहे तो उन्हें वापस भी ले सकती है। मैं इस सम्बन्ध में सरकार को, खास तौर से मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि बार-बार अधिकारों के विकेन्द्रीकरण का सवाल इस सदन के सामने रखा जाता है, और इसको बगैर सिलेक्ट कमेटी में स्वीकार कराये हुए ही यहां से पास कराना चाहती है। मैं कहता हूं कि अधिकार देकर फौरन वापस

---

* १२ सितम्बर, १९६० की कार्यवाही से।

ले लेना अगर सरकार की मर्जी पर छोड़ दिया जाय, जो कि केवल ब्यूरोक्रेसी के ही इशारे पर चलती हो, तो यह खतरे से खाली नहीं होगा। इसमें कोई शक नहीं अगर सन् १९६२ में यह सरकार बदल जाय, दूसरी सरकार आ जाय जो ब्यूरोक्रेसी पर आधारित न हो, वैसी सरकार अगर इस बिल को पेश करती तो हमें कोई एतराज नहीं था लेकिन वर्तमान सरकार को हम कदम कदम पर देखते हैं कि अगर कानपुर में फायरिंग हो जाय तो ब्यूरोक्रेसी जो कह देगी उसे मान लेगी, कोई तबादला करने का सवाल हो, कोई मुकदमा चलाने का सवाल हो, कोई भूमि हस्तांतरण करने की बात हो या कोई अन्य प्रश्न हो उसमें ब्यूरोक्रेसी जो चाहती है उसका समर्थन आंख मूंद कर यह सरकार करती है।

चूंकि इस वर्तमान सरकार के काल में ही इन परिषदों और समितियों का चुनाव होना है, उनका निर्माण होना है इसलिये इस सरकार को हमें यह अधिकार देते हुए कि सरकार कोई भी कृत्य जब चाहे दे सकती है और जब चाहे ले सकती है, संकोच होता है। इसीलिये माननीय श्रीपाल सिंह के संशोधन का समर्थन करते हुये हर्ष होता है कि उन्होंने ऐसा संशोधन पेश किया और सदन को आगाह किया कि इस तरह से इस सरकार को अधिकार न दें कि वह जब चाहे जो अधिकार दे और जब चाहे तब एक कलम से उनको वापिस ले ले जिससे जनता द्वारा चुनी हुई परिषद् एक मिनट में पंगु हो जाय।

हमारे स्वायत्त शासन मन्त्री जो स्वयं विकेन्द्रीकरण के बहुत बड़े पक्षपाती हैं और उनके विचारों से जो परिचित हैं वह आशा भी करते हैं कि इस प्रकार की जनता द्वारा चुनी हुई जो परिषद् हो उसको जो अधिकार दिये जायं उनको सरकार किसी सेक्रेटरी या कलेक्टर के इशारे पर वापस न ले ले। मैं समझता हूं कि वह भी इस बात को पसन्द करेंगे क्योंकि इसमें किसी प्रकार के मैलेशश आइडिया, मनोवृत्ति या मोटिव की बात नहीं है। सरकार सरकार ही होती है, आज अगर उनकी सरकार है तो कल इस तरफ की भी हो सकती है, जो पाबन्दी आज उनपर लगेगी वह कल जो दूसरी सरकार आयेगी उसपर भी लगेगी। इसलिये मैं उनसे कहूंगा कि जिस वातावरण में वह ऐसा सोच रहे हैं वह बदल भी सकता है उस वक्त हमारी कही हुई बातें उनको याद आयेंगी। इसलिये आज से ही उन बातों को याद करके ऐसी व्यवस्था करें जो कि न उनको ही अधिक अधिकार प्रदान करने वाली हों और न किसी दूसरे को ही अधिक अधिकार प्रदान करने वाली हों। इन शब्दों के साथ में इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

*श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय श्रीपाल सिंह जी के संशोधन का समर्थन करता हूं। उन्होंने यह कहा कि राजा लोग जो कह देते थे वह पत्थर की लकीर होती थी, तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजाओं की बात तो राजा ही जानें, हम तो यह समझते हैं कि राजा तो हमेशा ही दूसरों के शोषक रहे और अपनी बात पर कभी अटल नहीं रहे। आजकल आम जनता में यह धारणा है कि जो बात वह कह देते हैं उस पर अटल रहते हैं। यह हमने वोट के जमाने में भी देखा कि लोगों ने कह दिया कि हमने तो जबान दे दी है इसलिये अब बदल नहीं सकते।

श्रीमन्, जहां तक इस संशोधन का सवाल है यह बहुत ही उचित है और इतना न्यायसंगत है कि मंत्री जी को इसे मान ही लेना चाहिये वरना इससे यह साबित होता है कि सरकार अव्वल तो इस बिल के द्वारा कुछ करने नहीं जा रही है, जैसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पहले थे उनसे भी गये गुजरे बोर्ड बनेंगे और अगर कहीं कुछ हो भी तो उसको भी यह सरकार वापिस लेना चाहती है यानी एक हाथ से देना और दूसरे हाथ से लेना, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है।

सन् १९४८ में बोर्डों के चुनाव हुये थे उसके बाद १२ वर्ष हो गये और सरकार यह कहती रही कि आज बिल आया, आज बिल आया, सन् १९५९ में भी जो बिल आया उसको भी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नन्दराम]

सरकार ने वापिस ले लिया और अब जो विधेयक फिर आया उसमें भी सरकार चाहती है कि जो कुछ अधिकार दिये जायं वह वापिस भी ले लिये जायं। इससे ऐसा जान पड़ता है कि सरकार को जो सत्ता मिली है उस सत्ता से वह अलग नहीं होना चाहती और जहां कहीं यह देखती है कि सत्ता हाथ से जा रही है तो उसके लिये ऐसा प्रतिबन्ध लगा दिया जाता है कि वह सत्ता वापस आ जाय। यह कहां की बात है?

जो अधिकार जिला परिषद् और क्षेत्र समितियों को मिले हुए हैं उन्हें सरकार जब चाहे वापस ले ले, ऐसा इसमें रख दिया गया। यह तो दिये हुए अधिकारों का वापस ले लेना है। यह तो एक खिलवाड़ हो गयी। इसका मतलब तो यह हो गया कि सदन का इतने दिन का समय व्यर्थ हो गया और जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा बरबाद किया जा रहा है, हम लोगों का समय बरबाद किया जा रहा है, जनता के साथ में खिलवाड़ की जा रही है। इसके द्वारा जो विकेन्द्रीकरण की आप दुहाई दे रहे हैं, वह विकेन्द्रीकरण की मखौल है। मैं तो इसका समर्थन करता ही हूं लेकिन मंत्री जी के साथ जो लोग बैठे हुए हैं वे लोग भी इसका समर्थन करते होंगे, वोट भले ही न दे सकें। अविश्वास के प्रस्ताव के समय उन लोगों ने लिख कर दे दिया था लेकिन वोट न दे सके। श्रीमन्, अगर न्याय से लोगों से पूछा जाय तो सदन के अधिकतर लोग इसके पक्ष में हैं। इसलिये इस संशोधन को सरकार अवश्य मान ले।

स्वायत्त शासन उप-मंत्री (श्री जयराम वर्मा)—अध्यक्ष महोदय, इस खंड में यह व्यवस्था की गयी है कि राज्य सरकार किसी सरकारी विभाग द्वारा संपादित किये जाने वाले किसी कृत्य को किसी क्षेत्र समिति या क्षेत्र समितियों, जिला परिषद् या जिला परिषदों को सौंप सकती है और जरूरत हो तो वापस भी ले सकती है। श्रीमन्, अगर यह पता चले कि कोई क्षेत्र समिति या जिला परिषद् सौंपे गये कृत्यों को सफलतापूर्वक नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्यों न उनसे उन कृत्यों को वापस ले लें?

श्री अध्यक्ष—यह आप स्पष्ट कर दीजिये कि जो कृत्य इस धारा में सौंपे जायेंगे वे वापस लिये जा सकेंगे या जो ऐक्ट में अन्य कर्तव्य सौंपे गये हैं वे भी वापस ले लिये जा सकेंगे।

श्री जयराम वर्मा—इस धारा में साफ कहा गया कि जो इस धारा के अन्तर्गत अधिकार दिये जायेंगे अगर वे उनको सफलतापूर्वक वहन नहीं कर सकते तो वापस ले लिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष—इसमें अंग्रेजी की कापी में यह लिखा हुआ है—

"Notwithstanding anything contained in this or any other law for the time being in force, the State Government may at any time entrust to any Kshettra Samiti or all Kshettra Samitis or to any Zila Parishad or all Zila Parishads any of the functions for the time being performed by any of its departments below or at the district level and to withdraw the function so entrusted."

हां इसमें लिखा गया है "so entrusted"। आप की बात सही है।

श्री जयराम वर्मा—जी हां, इसमें साफ लिखा हुआ है कि इसी खंड में दिये हुए अधिकारों को वापस ले लेंगे। इसलिये और किसी प्रकार की बात इस सम्बन्ध में सोचना मुनासिब नहीं है। अगर किसी को एक अधिकार दिया गया और अगर वह सफलतापूर्वक उसको नहीं चला पा रहा है, तो असफलतापूर्वक उसको चलने दिया जाय, यह कोई मुनासिब बात नहीं है।

श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय श्रीपाल सिंह द्वारा जो संशोधन उपस्थित किया गया है मैं उसका समर्थन करूंगा। इस धारा के द्वारा सरकार यह अधिकार लेने जा रही है कि राज्य सरकार किसी क्षेत्र समिति या क्षेत्र समितियों, जिला परिषद् या जिला परिषदों को वह किसी जिला स्तर या खंड स्तर के अधिकारों को सौंप सकती है और वापस ले सकती है। लेकिन जो अभी आपत्ति की गयी वह इस उपखंड (१) के इस सेंटेंस के ऊपर है कि इसके द्वारा सरकार सब अधिकार वापस ले सकती है। माननीय मंत्री जी का कहना है कि सरकार अपने दिये हुए अधिकारों को वापस नहीं लेगी लेकिन इससे यह नहीं स्पष्ट होता है कि सरकार अपने इस अधिकार का इस्तेमाल नहीं करेगी। यह सरकार जब भी वापस लेना चाहे, उपधारा (२) के अनुसार उसे स्पष्ट अधिकार है कि वह दिये हुए अधिकार को वापस ले सकती है।

दूसरी बात यह है कि एक तरफ तो सरकार इस प्रकार का अधिकार देती है और फिर तुरन्त ही उसे वापस लेने की भी बात करती है। तो हम समझते हैं कि यह सरकार खुद निश्चित नहीं है। बहुत दिनों से हम शोर सुनते थे कि समाजवादी कहलाने वाली सरकार सत्ता का डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहती है। अब इस अधिनियम के द्वारा वह क्या डिसेंट्रलाइजेशन कर रही है, यह देखने की बात है। सरकार ने पुलिस के बारे में भी कोई अधिकार नहीं दिया। कहने के लिये तो कहा जाता है कि जिला बोर्ड्स के हटने के बाद सरकार ने जिला परिषदों को जो अधिकार दिये हैं वे पहले से कहीं बेहतर अधिकार हैं। लेकिन मेरा अपना खयाल यह है कि जो अधिकार पहले जिला बोर्ड्स के थे, उनको भी कम कर दिया गया है।

हम देखते हैं कि जो चुने हुए लोग हैं, जो गैर-सरकारी लोग हैं, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, उन पर सरकार को विश्वास नहीं है, उन्हें वह सन्देह की दृष्टि से देखती है। मगर जब हम यह देखते हैं कि सरकार सरकारी कर्मचारियों पर ही विश्वास करती है और वह अपने पैर को उनके सामने फूंक-फूंक कर नहीं उठाती है वहां अगर दिये हुए अधिकार को लोगों से लेने की बात की जाय तो यह कहां तक उचित है ? यदि सरकार वाकई में समाजवाद लाना चाहती है और सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना चाहती है और वह समझती है कि इस अधिनियम के द्वारा वह सत्ता का विकेन्द्रीकरण कर रही है तो जो कुछ अधिकार सरकार ने दिया है, उसे कम से कम रहने दिया जाय। यह बात न सोची जाय कि भविष्य में क्या करना है और हमें इस अधिकार को छीन लेना है। दूसरी तरफ हम यह समझते हैं कि सरकार का इरादा आगे चल कर बदल सकता है और वह इस अधिकार को वापस ले सकती है तो इस पर मुझे सख्त आपत्ति है और मैं कुंवर श्रीपाल सिंह जी के प्रस्तावित संशोधन का समर्थन करता हूं।

कुंवर श्रीपालसिंह—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जो कुछ निवेदन करना था, मैं करीब-करीब निवेदन कर चुका। जो माननीय सदस्य इस संशोधन के समर्थन या विरोध में बोले उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। एक चीज मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय नन्दराम जी ने कहा कि राजाओं की बातें झूठी हुआ करती हैं। तो मुझे बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि शायद उनका नकली राजाओं से ही सामना कहीं पड़ा हो। असली राजाओं को अर्जा वे राजा देकर खुद में उनकी रियासतें ले लेने के बाद में अंग्रेजों की चाटुकारिता करके, उनके तलुये सहला करके राजा का टाइटिल प्राप्त कर लिये होंगे। हो सकता है कि उनसे मुकाबला पड़ने पर उन्होंने कोई झूठी बात कही हो जो उनको याद हो। वरना श्रीमन्, हमारे यहां की यह शास्त्रोक्त बात है कि "स्वासा सार शरीरस्य वाचा सार महीपते" जिस तरह से शरीर का सार स्वांस से है, उसी तरह से राजा का सम्बन्ध वाचा से है। जो वास्तव में राजा है वह अपनी जबान से, अपनी बात से कभी टल नहीं सकता है। तो उसी शास्त्रोक्त कथन के आधार पर, मैंने मंत्री जी तथा उप-मंत्री जी को राजा कह कर सम्बोधित किया था। मैं उनको राजा समझता हूं, राज्यकर्ता समझता हूं और मैं समझता हूं कि यह एक राजा के लिये बड़े लांछन की बात है कि वह अपने हाथ से दिये हुये दान को वापस ले।

[कुंवर श्रीपालसिंह]

श्रीमन्, हमें अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने ही यहां का प्राचीन इतिहास देखा जाय। महाराज हरिश्चन्द्र ने अपना सर्वस्व दे दिया था। स्वप्न में दिया था श्रीमन्, जागृत अवस्था में नहीं। माननीय नन्दराम जो समाजवादी हैं, उन्होंने नहीं पढ़ा होगा। उन्होंने अंग्रेजी की कुछ बातें इधर उधर की पढ़ी होंगी, कार्ल मार्क्स वगैरह की। महाराज हरिश्चन्द्र ने अपनी बात का पालन स्त्री और पुत्र की मृत्यु पर्यन्त किया, उनका सर्वस्व चला गया लेकिन वह पीछे नहीं हटे। तो इसीलिये मैंने कहा था कि अधिकार एक दफा राज्य दे तो यह राज्य के लिये शोभा नहीं देता कि उसको वापस ले। इसलिये मैं पुनः मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह जिस स्थान पर विराजमान हैं उस स्थान की प्रतिष्ठा और मान-मर्यादा को देखते हुए मेरे इस संशोधन को मानने की कृपा करें।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)--श्रीमन्, कुंवर साहब ने जो बातें कही हैं वह शुरू से आखिर तक गलत ही कहते चले गये और उनकी गलतियों को अगर मैं तस्लीम कर लूं या इस संशोधन को तस्लीम कर लूं तो वह सब गलतियां मुझे माननी होंगी। यह सरकार राजा नहीं है, और इस गलतफहमी को दूर करने की दृष्टि से भी मैं इसे अस्वीकार करता हूं। हम कोई खैरात नहीं करते हैं, हम तो ट्रस्टी हैं। हम तो प्रबन्ध उनको सौंपना चाहते हैं, अगर ठीक तरीके से चला सकते हैं तो वह रहेगा। हम तो खुद उनको अधिकार देना चाहते हैं। जैसे-जैसे योग्यता बढ़ती जाय और ज्यादा देते चलें। लेकिन हम ब्राह्मण देवता को गाय तो दे दें और वह पाल न सके और कसाई को देना चाहे, तो क्या वापस न लें? दूध हम न पियें तो क्या उसे खाना भी न खिलायें? भूखों मरने दें? अब पहला जमाना नहीं रहा। तो गाय को वापस लेना बुरा नहीं है, उसका दूध पीना बुरा है। सरकार उसका कोई दूध नहीं पियेगी, उसे किसी लालच से नहीं लेगी। लेकिन अगर बदइंतजामी होती हुई दखी तो सेवक के नाते सरकार उसे देखेगी। सिर्फ अपने को राजा समझ कर यह सोचना कि एक दफा दे दिया तो वापस नहीं लेंगे, यह उचित नहीं है। इसलिये मैं इस संशोधन को अस्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३१ के उपखंड (२) की पंक्ति पांच में शब्द "सौंप सकता है" के आगे का वाक्य निकाल दिया जावे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--मैं यह कहना चाहता हूं कि जो संशोधन स्वीकृत न होने वाले हों (सरकारी पक्ष की ओर इशारा करके) इस पक्ष के, तो उन पर कृपा करके सदन का समय न लें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री हरिदत्त कान्डपाल (जिला अल्मोड़ा)--श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार इसको मान लेगी क्योंकि यह बिलकुल निर्दोष ही नहीं बल्कि कई समस्याओं का हल भी करने वाला है। श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३१ के उपखंड (२) के अन्त में निम्नलिखित उपखंड (३) के रूप में और जोड़ दिया जाय--

"कुमायूं डिवीजन अल्मोड़ा, गढ़वाल, नैनीताल, टेहरी के चार जिले तथा उत्तराखंड डिवीजन के उत्तरकाशी, चमोली, पिथोरागढ़, जिलों में पड़ने वाले समस्त रिजर्व सरकारी या प्रोटेक्टेड वनों के समस्त कृत्य और प्रबन्ध जो राज्य सरकार का वन विभाग करता था वह उन जिले की जिला परिषदों को उसके जिले की वर्तमान सरहद में पड़ने वाले उपरोक्त वनों के सम्बन्ध में इस अधिनियम के लागू होने के दिनांक से सौंप दिये जायेंगे। उक्त वनों की आय भी उन जिला परिषदों की निधि होगी।"

प्रतिबन्ध यह है कि वनों का संरक्षण और नये वन लगाने की वैज्ञानिक विधि राज्य सरकार तय करेगी। इस कार्य में राज्य सरकार का जो खर्चा होगा वह उन जिला परिषदों को राज्य सरकार को देय होगा।"

मान्यवर, आज तक बहुत बड़ी-बड़ी बातें हुई हैं। हमारे नेताओं की ओर से और सरकार की ओर से कई प्रकार के वायदे हुए लेकिन अक्सर यह देखा गया है उन पर ऐक्शन कुछ नहीं हुआ। जिससे स्थिति यह हो गई है कि एक वातावरण इस प्रकार का पैदा हो गया आम जनता में कि हम चाहे कितनी ही भली बात कहें लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं, केवल उसको सुनने भर की बात समझते हैं। लिहाजा इस खंड के पहले जो दो उपधाराएं हैं उनमें यह कबूल किया गया है कि राज्य सरकार किसी भी अपने विभाग के कार्य को जिला परिषदों को सौंप सकती है। नेक इरादा है, विकेन्द्रीकरण की तरफ एक कदम है। लेकिन यह कदम कहने भर का है। अगर सरकार मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर लेती है तो जो कुछ सरकार कह रही है उसके पीछे ऐक्शन भी रहेगा और लोगों को विश्वास भी होगा।

इसके अलावा इस संशोधन को लाने की आवश्यकता यों भी पड़ी कि इस हाउस में कई बका सुन चुका हूं कि पर्वतीय जिलों में जो जंगलात की समस्यायें हैं, और उनकी अपनी दिक्कतें, जितना वाणी से कह सकना सम्भव था, कही भी जा चुकी हैं। उन तकलीफों का भी इससे हल हो जाता है अगर उन्हीं की जिला परिषदों को सरकार यह काम सौंप देती है। आपका स्वायत्त शासन विभाग से ताल्लुक रहा है, आपको मालूम होगा कि पर्वतीय जिले सदा डेफिसिट में रहते हैं, वह स्वावलम्बी नहीं होते और सदा आर्थिक सहायता के लिये सरकार के आश्रित रहते हैं। अगर यह जंगलात उनको सुपुर्द कर दिये जाते हैं तो वह सेल्फ सफिशियेंट हो जायेंगे। इसमें मैंने यह प्रतिबन्ध भी रखा है कि जो नये वन लगाये जायेंगे और जिनकी आवश्यकता है और जो जंगल मौजूद हैं वह सुरक्षित रखे जायंगे, उनकी विधि को राज्य सरकार तय करेगी और जिला परिषदें उनकी रक्षा करेंगी और जो राज्य सरकार का इस सम्बन्ध में खर्चा होगा वह जिला परिषदें वहन करेंगी। ऐसी सूरत में मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे ताकि उन जिलों के लोगों को राहत मिले और उस कदम को सही करने के लिये ऐक्शन फालो करेगा यह इस बात का सबूत हो जायगा।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--मुझे दुख है कि यह संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता। हमने सभी विभागों से पूछा था कि कितना-कितना इस समय वह देना चाहते हैं। तो जो निश्चय किया उतना हमने इसमें अंदाज लगा करके दिया है। अब हमारे सामने यह प्रस्ताव आया है कि वनों को जिला परिषदों को दे दिया जाय। इस सम्बन्ध में वन विभाग को क्या दिक्कत होगी यह चीज हमारे सामने नहीं है। ऐसी हालत में इस समय तो मैं इस संशोधन को मान नहीं सकता। इसीलिये इसमें प्राविधान है किसी स्टेज पर यदि सदस्य माननीय वन मंत्री से बात करके इस मामले को तय कर लें, यह प्रस्ताव वहां एग्जामिन हो जाय और सरकार सहमत हो जाय कि ठीक है तो एक जी० ओ० से यह काम हो सकता है।

इसके अलावा जो नाम दिये हैं चमोली, उत्तर काशी और पिथौरागढ़ यह तीनों जगहें ऐसी हैं जिनकी वजह से हम को एक खास प्राविधान लाना पड़ा है किसी-किसी जगह यह जिला परिषदें लागू भी न की जायें। यह जिले सरहदी हैं वहां क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी यह भी अभी सरकार ने निर्णय नहीं किया है। ऐसी अवस्था में इनको यह प्रबन्ध दे देना ठीक भी नहीं होगा। इस दृष्टि से मैं इसका विरोध करता हूं और समझता हूं कि मेरे भाई इसको वापस लेंगे।

श्री हरिदत्त कांडपाल—अध्यक्ष महोदय, मेरी बदकिस्मती है कि मैं माननीय मंत्री को कन्विन्स नहीं कर सका इसलिये मैं इस संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३१ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ३२

क्षेत्र समितियों के सामान्य अधिकार और कृत्य

प्रत्येक क्षेत्र समिति, खंड के भीतर, अनुसूची १ में निर्दिष्ट अधिकारों का प्रयोग तथा कृत्यों का संपादन करेगी ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३२ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ३३

जिला परिषद् के सामान्य अधिकार और कृत्य

(१) प्रत्येक जिला परिषद् निम्नलिखित अधिकारों का प्रयोग तथा कृत्यों का सम्पादन करेगी :—

(१) जिन मेलों तथा उत्सवों का प्रबंध राज्य सरकार करती है या आगे करे उनसे भिन्न मेलों तथा उत्सवों का, गांव पंचायतों, क्षेत्र समितियों तथा जिला परिषद् द्वारा प्रबंध और नियंत्रण के प्रयोजन के लिये क्रमशः गांव पंचायत के मेलों तथा उत्सवों, क्षेत्र समिति के मेलों तथा उत्सवों, जिला परिषद् के मेलों तथा उत्सवों के रूप में वर्गीकरण, और जब ऐसा करना आवश्यक या वांछनीय समझा जाय तो ऐसे वर्गीकरण को बदलना,

(२) गांव पंचायतों, क्षेत्र समितियों तथा जिला परिषदों द्वारा प्रबंध के प्रयोजन के लिये सड़कों का क्रमशः ग्राम सड़कों, अन्तर्ग्राम सड़कों तथा जिला सड़कों के रूप में वर्गीकरण,

(३) जिले की गांव पंचायतों तथा क्षेत्र समितियों के कार्यकलापों का, तदर्थ बनाये गये नियमों के अनुसार, सामान्य रूप से पर्यवेक्षण,

(४) तदर्थ बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुये, एक ओर राज्य सरकार तथा दूसरी ओर क्षेत्र समितियों और गांव पंचायतों के बीच पत्र-व्यवहार के लिये मुख्य माध्यम के रूप में कार्य करना,

(५) अनुसूची २ के भाग क में निर्दिष्ट अधिकार और कृत्य ।

(२) अनुसूची के भाग ख में निर्दिष्ट मामलों के सम्बन्ध में जिला परिषद् जिले के भीतर समुचित व्यवस्था कर सकती है ।

श्री नागेश्वर प्रसाद (जिला जौनपुर)—आपकी आज्ञा से मैं निम्न संशोधन प्रस्तुत करता हूं:—

खंड ३३ के उपखंड (१) में निम्नलिखित एक नया भाग (६) के रूप में जोड़ दिया जाय :—

"(६) ऐसे कृत्यों का सम्पादन करना जो नियत किये जायं ।"

खंड ३३ में इस बात का विधान किया गया है कि जिला परिषदें किन-किन अधिकारों का प्रयोग कर सकेंगी और किन-किन कार्यों का सम्पादन कर सकेंगी, वह इसके विवरण में दिये गये हैं । लेकिन हो सकता है कि सरकार द्वारा उनको कुछ और अधिकार समय-समय पर दिये जायं । इसलिये मैं समझता हूं कि यह संशोधन करना आवश्यक है और इसीलिये मैंने यह प्रस्ताव रखा है । बात साफ है और आशा है कि मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे ।

श्री जयराम वर्मा—श्रीमान् जी, यह स्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३३ के उपखंड (१) के अन्त में निम्नलिखित एक नया भाग (६) के रूप में जोड़ दिया जाय :

(६) ऐसे कृत्यों का सम्पादन करना जो नियत किये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३४

जिला परिषद् या क्षेत्र समिति द्वारा अपने किसी कृत्य का अन्य स्थानीय प्राधिकारी को प्रतिनिधान

(१) इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी, किन्तु राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में बनाये गये किन्हीं नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जिला परिषद् या क्षेत्र समिति किसी भी समय, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से तथा जिले में विद्यमान किसी गांव सभा, गांव पंचायत, भूमि प्रबंधक समिति, टाउन एरिया कमेटी या नोटीफाइड एरिया कमेटी की सम्मति से, उस गांव सभा गांव पंचायत, भूमि प्रबंधक समिति, टाउन एरिया कमेटी या नोटीफाइड एरिया कमेटी को उस क्षेत्र के सम्बन्ध में, जिसके अन्तर्गत वह गांव सभा, गांव पंचायत, भूमि प्रबंधक समिति, टाउन एरिया कमेटी, या नोटीफाइड एरिया कमेटी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करती हो, इस अधिनियम के अधीन अपने किन्हीं अधिकारों या कृत्यों को प्रतिनिहित कर सकती है:

प्रतिबन्ध यह है कि जिला परिषद् या क्षेत्र समिति, किसी भी समय राज्य सरकार की स्वीकृति से इस प्रकार प्रतिनिहित किये गये किसी अधिकार या सभी अधिकारों को वापस ले सकती है।

(२) जिला परिषद्, क्षेत्र समिति को और क्षेत्र समिति जिला परिषद् को इस अधिनियम के अधीन अपने किन्हीं अधिकारों या कृत्यों को इसी प्रकार प्रतिनिहित कर सकती है।

(३) राज्य सरकार किसी समय निर्देश दे सकती है कि जिला परिषद् का कोई अधिकार या कृत्य जिले में क्षेत्र समितियों या गांव सभाओं को संक्रामित किया जाय या क्षेत्र-समितियों का कोई अधिकार या कृत्य गांव सभाओं को संक्रामित किया जाय या क्षेत्र समितियों का कोई अधिकार या कृत्य जिला परिषद् को और गांव सभाओं का क्षेत्र-समितियों या जिला परिषद् को संक्रामित किया जाय।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड ३४ के उपखंड (१) तथा उसके प्रतिबन्ध तथा उपखंड (२) व (३) को पृथक कर दिया जावे और उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जावे—

"कोई भी जिला परिषद् या क्षेत्र समिति किसी भी समय अपने किसी भी अधिकार को अपने अधीन गांव सभा, गांव पंचायत, भूमि प्रबंधक समिति, टाउन एरिया कमेटी या नोटीफाइड एरिया कमेटी को अधिनियम के अधीन, प्रतिनिहित कर सकती है अथवा प्रतिनिहित किये गये किसी अधिकार या सभी अधिकारों को वापस ले सकती है।"

मैं ज्यादा समय न लेकर केवल इतना कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में जो खंड है यदि उसको पृथक कर दें और उसके स्थान पर प्रस्तावित शब्दों को जोड़ दें तो व्यावहारिक रूप में ज्यादा अच्छा हो जायगा। इसलिये मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वे इस संशोधन को मान लें।

श्री जयराम वर्मा—श्रीमान् जी, यह स्वीकार नहीं है क्योंकि जो विधेयक में भाषा दी गयी है वह काफी ठीक है और संशोधन से कोई लाभ नहीं है।

श्री भगवतीसिंह विशारद—मान्यवर, अगर मंत्री जी दोनों का मिलान करें तो उनको मालूम हो जायगा कि जो संशोधन रखा गया है वह ज्यादा उचित है और भाषा ही ठीक करने के लिये यह दिया गया है। मैं आशा करता हूं कि इसको पढ़ कर वे इसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री जयराम वर्मा—यह स्वीकार नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३४ के उपखंड (१) तथा उसके प्रतिबन्ध तथा उपखंड (२) व (३) को पृथक् कर दिया जावे और उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जावे—

"कोई भी जिला परिषद् या क्षेत्र समिति किसी भी समय अपने किसी भी अधिकार को अपने अधीन गांव सभा, गांव पंचायत, भूमि प्रबंधक समिति, टाउन एरिया कमेटी या नोटीफाइड एरिया कमेटी को अधिनियम के अधीन प्रतिनिहित कर सकती है अथवा प्रतिनिहित किये गये किसी अधिकार या सभी अधिकारों को वापस ले सकती है ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

कुंवर श्रीपालसिंह—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि "खंड ३४ के उपखंड (१) के प्रतिबन्ध की पहली तथा दूसरी पंक्ति के शब्द "राज्य सरकार की स्वीकृति से" निकाल दिये जायं ।

इसकी आवश्यकता इसलिये है, श्रीमन्, कि जब एक तरफ कहा जाता है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया जा रहा है, सत्ता छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटी जा रही है, क्षेत्र समिति तथा जिला परिषदों के रूप में राज्य सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो रहा है, और इसके कहते हुये भी जहां कहीं भी क्षेत्र समिति तथा जिला परिषदों के हाथ में कोई अधिकार जाने लगता है तो हमारी सरकार चौंक उठती है और पता नहीं क्या सोचती है कि कौन सी ऐसी चीज चली जायगी कि किसी समय राज्य उलट जायगा या न जाने क्या हो जायगा । इसमें जो कहा गया है कि राज्य सरकार की स्वीकृति से, इसको निकाल दिया जाय । श्रीमन्, आप देखेंगे कि बिना सरकार की राय के कोई काम नहीं हो सकता है और जरा सी कोई बात हो गई तो सरकार की राय लेनी होगी। इसलिये जो थोड़ा अधिकार उनको दिया जा रहा है कि वह चाहें तो ट्रांसफर कर सकते हैं, इसमें प्रतिबन्ध लगा दिया है कि बिना राज्य सरकार की स्वीकृति के नहीं हो सकता है । अगर यह अधिकार भी नहीं दिया जायगा तो फिर सत्ता का विकेन्द्रीकरण कैसे होगा ? इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना उनका मतलब है, इसलिये इसको निकाल कर मेरा संशोधन वह मान लेने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष—आप अपना दूसरा संशोधन भी उपस्थित कर दें ।

कुंवर श्रीपालसिंह—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ३४ का उपखंड (३) निकाल दिया जावे ।

श्रीमन्, इसलिये मैंने अपना संशोधन उपस्थित किया है कि यह भी उसी किस्म का प्रतिबन्ध है । इस उपधारा में दिया हुआ है कि "राज्य सरकार किसी समय निर्देश दे सकती है कि जिला परिषद् का कोई अधिकार या कृत्य जिले में क्षेत्र समितियों या गांव सभाओं को संक्रमित किया जाय या क्षेत्र समितियों का कोई अधिकार या कृत्य गांव सभाओं को संक्रमित किया जाय या क्षेत्र समितियों का कोई अधिकार या कृत्य जिला परिषद् को और गांव सभाओं का क्षेत्र समितियों या जिला परिषद् को संक्रमित किया जाय ।"

श्रीमन्, यह सारे काम राज्य सरकार के आदेश से हो सकते हैं । मेरा मतलब यह है कि राज्य सरकार हर जगह अपनी टांग क्यों अड़ाती है ? जब सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने के लिये आपने इनको नया जन्म दिया है तो कुछ ताकत भी दी जाय । पहले चलने दीजिये, देखिये गिरते हैं या उठते हैं, अगर आप देखें कि वह सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं या सत्ता का भार वहन नहीं कर पा रहे हैं तो उस समय रोकें तब ठीक है । लेकिन पहले से ही चौंकना उचित नहीं है । इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मंत्री जी इसको मानेंगे ।

श्री अमरनाथ—अध्यक्ष महोदय, में आपकी आज्ञा से.....

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमन्, कल वक्ता महोदय की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि सीमित धाराओं पर ही बहस होगी। लेकिन आज यह क्या हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष—इस धारा के सम्बन्ध में आप नहीं कह सकते। यह धारा इसमें है। ३१ से ३५ बहस करने वाली धारायें हैं। लेकिन संक्षेप में कह दें तो ज्यादा अच्छा है।

मैं आपको बता देता हूं कि यदि आज शाम तक बहुत से संशाधन आप वापस ले लेंगे, और अगर थोड़े ही संशोधन रह जायेंगे, तो मैं कल थोड़ी बहस की और इजाजत दे दूंगा। नहीं तो यह होगा कि कल सवेरे से ले कर शाम तक संशोधनों पर केवल वोटिंग होगी और कुछ बहस नहीं होने की ।

श्री मदन पांडेय—आपने कहा था कि जो संशोधन वह स्वीकार करने वाले हों वह बता दें, उन्हीं के ऊपर विवाद हो और माननीय मंत्री जी को भी आदेश आपने दिया था। मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन कौन से संशोधन स्वीकार करने के लिये तैयार हैं। हम लोग उन्हीं के ऊपर बहस-मुबाहसा करें।

श्री अध्यक्ष—(स्वायत्त शासन मंत्री से) अगर आप नेता विरोधी दल को अपनी सूचना दे दें कि जितने उनके संशोधन हैं उनमें से कौन कौन आप स्वीकार करने वाले हैं, तो उसके ऊपर वे बहस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, एक भी नहीं। हमारी तरफ से जो संशोधन हैं, अगर वह बैठ जाते हैं तो स्वीकार कर लेंगे ।

श्री मदन पांडेय—उस तरफ के जो संशोधन वह स्वीकार करने वाले हैं, उन्हीं की लिस्ट मिल जाय ।

श्री जयराम वर्मा—चार नाम हैं देख लें, मिनटों में पता चल जायगा ।

श्री अध्यक्ष—चार नाम वालों के सभी संशोधन आप स्वीकार करेंगे ?

श्री जयराम वर्मा—अगर कोई सज्जन उधर से आ जायं, तो मैं नोट करवा दूंगा।

कुंवर श्रीपालसिंह—वह चारों नाम बतला दें ।

श्री जयराम वर्मा—उन नामों के अलावा भी इधर-उधर हो सकते हैं। वैसे वे नाम यह हैं—श्री रामेश्वर प्रसाद, श्री नागेश्वर प्रसाद द्विवेदी , श्री मदन गोपाल और सुखरामदास तथा कुमारी कमल गोईंदी हैं। उनकी बातों को सुन कर कुछ संशोधन और कर दूंगा अपनी तरफ से।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमन्, मेरा निवेदन है। बस बिन बेकार हो गये। कुछ नहीं हुआ। आपकी अध्यक्षता में ऐसा न होना चाहिये विरोधियों के साथ।

श्री अध्यक्ष—आपको मौका मिलेगा ।

श्री टीकाराम पुजारी—मुझे मौका मिलेगा। अभी नहीं मिलेगा तो ६२ में मिलेगा लेकिन ऐसा उचित नहीं है। हमारे दो संशोधन तो मान लिये जायं ।

श्री अध्यक्ष—मैं सिफारिश कर दूंगा कि आपका एक तो संशोधन मान लें ।

श्री टीकाराम पुजारी—मैं तो अपने मंत्री जी से कहूंगा कि ग्रहण पड़ता है तो सारे चन्द्रमा को घेर लिया। ऐसा नहीं होना चाहिये। मैं अखबार वालों से कहूंगा कि यह पूंजीपतियों के अखबार वालों ने देश का नाश कर दिया है।

श्री अध्यक्ष—अब आप कृपा करके बैठें ।

श्री अमरनाथ—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुंवर श्रीपाल सिंह द्वारा प्रस्तुत संशोधन का संक्षेप में समर्थन करूंगा । धारा ३४ में जिला परिषदों और क्षेत्र समितियों को इस बात का अधिकार दिया जा रहा है कि वह अपने अधिकारों को गांव सभाओं को या जिला परिषदों को या क्षेत्र समितियों को टाउन एरियाओं इत्यादि को ट्रांसफर कर सकें । लेकिन अगर यह स्वतः उनको अधिकार होता तो क्या अच्छा होता ! राज्य सरकार की स्वीकृति लेना इसके अन्दर जरूरी होगा और साथ ही यह भी जरूरी होगा कि राज्य सरकार की स्वीकृति से इस अधिकार को वह वापस भी ले सकते हैं । तो हर मामले में राज्य सरकार दखल दे रही है । राज्य सरकार को इस बात का सन्देह है कि कहीं ऐसा न हो जाय कि कोई इस प्रकार का जो सरकार के विचारों के विपरीत हो अधिकार ट्रांसफर कर दिया जाय या इस सरकार का अधिकार वापस ले लिया जाय जो राज्य सरकार के हित के खिलाफ बात हो । तो हर जगह राज्य सरकार सन्देह की दृष्टि से देखती है और हर जगह टांग अड़ाने की बात करती है ।

दूसरे संशोधन में कुंवर श्रीपाल सिंह जी ने उपधारा (३) को निकालने की बात की है । वह भी एक बहुत ही अच्छा संशोधन है । राज्य सरकार इसके द्वारा अधिकारों को ट्रांसफर कर सकती है जिला परिषद् को, गांव सभाओं को या क्षेत्र-समिति को, किसी के अधिकार को किसी को दे सकती है । इतनी ज्यादा ताकत राज्य सरकार ले रही है । अधिकारों के ट्रांसफर में, उनके वापस लेने में, हर जगह वह अधिकार ले रही है । अपने भी वापस ले लेगी और दूसरों से भी करा लेगी ।

(इस समय १ बजकर २ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री वीरसेन, पीठासीन हुए ।)

इस तरह से सत्ता का कोई विकेन्द्रीकरण नहीं हो रहा है बल्कि राज्य सरकार उसका एक मखौल उड़ा रही है और इस बिल को बनाकर इस तरह का पंजा फैला रही है कि वह चाहती है कि किसी प्रकार सबको दबोच ले । वह सोचती है कि कहीं कोई ऐसी बात न हो जाय कि किसी क्षेत्र समिति में या जिला परिषद् में बहुमत किसी दूसरी पार्टी का हो जाय तो उस पर हमारा कंट्रोल नहीं रह जायगा । इसलिए वह सब अधिकार अपने हाथ में लिये ले रही है । यह कोई अच्छी परम्परा नहीं है । बिना उसकी मर्जी के पत्ता तक न डोले इतनी शक्ति सम्पन्न राज्य सरकार अपने आपको बनाना चाहती है । इतना अधिकार उसको देने के पक्ष में हम नहीं हैं । अगर माननीय विचित्रनारायण शर्मा जी को तनहा यह अधिकार दिया गया होता तो मैं आपत्ति न करता । लेकिन मैं जानता हूं कि राज्य सरकार से मतलब किससे है । राज्य सरकार इनके अधिकारी होंगे, इनके कर्मचारी होंगे, इनके मामूली सेवक होंगे । इसलिये हम इतना अन-लिमिटेड अधिकार सरकार को देने के पक्ष में नहीं हैं । इन शब्दों के साथ मैं कुंवर श्रीपाल सिंह जी के दोनों संशोधनों का समर्थन करता हूं ।

श्री भूपकिशोर (जिला एटा)—मैं माननीय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं और वह यह कि माननीय मंत्री जी ने उधर के तो चार संशोधन मंजूर कर लिये और इधर का एक भी मंजूर नहीं किया, इसका कारण क्या है ?

श्री अधिष्ठाता—आप कृपा करके बैठें । यह कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—अधिष्ठाता जी, कुंवर श्रीपालसिंह जी के संशोधन को मैंने गौर से पढ़ा और आपने जो उस पर प्रवचन किया उसको भी मैंने बड़े ध्यान से सुना .....

श्री मोतीलाल अवस्थी—यह जो शब्द प्रवचन है यह कुछ उचित नहीं प्रतीत होता क्योंकि हर एक आदमी यहां अपना कथन कहता है, प्रवचन तो जहां कहीं कथा वार्त्ता होती है वहां साधु लोग देते हैं । किसी सदस्य के कथन को प्रवचन कहना क्या पार्लियामेंटरी है ?

श्री अधिष्ठाता—हां, पालियामेंटरी है । आप कृपा करके बैठें ।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल—जो ज्ञान की बातें होती हैं उनके लिए प्रवचन शब्द ही प्रयोग में लाया जाता है और अच्छी बातें कहीं, इसलिये मैंने प्रवचन शब्द का प्रयोग किया ।

तो, कुंवर जी ने जो बातें बतायीं उससे यह प्रतीत होता है कि वह राज्य सरकार के नाम से कुछ झिझकते हैं या डरते हैं, कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि इसके पूर्व जब आपने कुछ कहा तो उस वक्त राज्य सरकार को आपने राजा की संज्ञा दे दी थी । जैसा कि मंत्री जी ने कहा, कुछ उन्हें भ्रम सा हो गया है । बचपन से राजा शब्द का प्रयोग काफी उनके कानों तक आया है, इसका कुछ असर जरूर उनके ऊपर हो सकता है । तो मैं नम्र निवेदन आपके द्वारा यह करना चाहता हूं कि राज्य सरकार अब वे सरकारें नहीं हैं जो पहले हुआ करती थीं । राजा महाराजाओं, सामन्तशाहियों की उस समय की राज्य सरकार नहीं है । यह राज्य सरकार अब जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की सरकार बनी हुई है । जनता ने उनको अधिकार इसलिये दिया है कि हमारे प्रदेश में जो कार्य हो वह उनके द्वारा सुचारु रूप से हो गांवों में, जिलों में, खंडों में और परिषदों में । लेकिन यह देखने की बात है कि जो जिम्मेदारी उन पर दी गयी है उसे ठीक निभाते हैं या नहीं, यदि राज्य सरकार यह अनुभव करती है कि उन्होंने किसी अधिनियम के द्वारा किसी खंड, जिला परिषद को कुछ अधिकार दिया है और वे उस अधिकार को सुचारू रूप से वहन नहीं करते हैं, तो राज्य सरकार उन अधिकार को वापस लेती है । इसमें कोई अनुचित बात नहीं है ।

जो कार्य हमारे भारतवर्ष के अन्दर हो रहे हैं केन्द्रीय सरकार से ले कर गांव पंचायतों के अन्दर, वे सब एक सूत्र में बंधे हुए कार्य हैं । एक पालिसी है, एक विचारधारा है जिसके अनुरूप जनता व देश के समक्ष नक्शा रख दिया गया है और उसके अनुसार कार्य होना है, यह संकल्प हम लोग कर चुके हैं । उन सरकारों का यह कर्त्तव्य होता है कि किसी जिले, खंड या गांव में उस संकल्प के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है तो उस अधिकार को वह वापस लेकर दूसरे किसी खंड को अर्पित कर दे या स्वयं करे तो इसमें कोई अनुचित बात नहीं है । जहां सरकारें काम करती हैं और जिस क्षेत्र में उनको काम करना है उसके अन्तर्गत जो संस्थायें हैं उनके द्वारा काम करवाना है तो उनमें थोड़ा नियंत्रण रहना आवश्यक है । विकेन्द्रीकरण का संकल्प हुआ है, लेकिन प्रत्येक मामले में विकेन्द्रीकरण होता है तो उसमें प्रमाद होने की आशंका है । मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और यह प्रार्थना करूंगा कि वे इसे वापस लें क्योंकि इस पर काफी वादविवाद हो चुका है ।

श्री जयराम वर्मा—अधिष्ठाता महोदय, खंड ३४ के उपखंड (१) में यह व्यवस्था की गयी है कि जिला परिषद् या क्षेत्र-समितियां कुछ अधिकारों को कुछ अन्य संस्थाओं को जिनका प्रयोग उनके क्षेत्र में होता हो राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से सौंप सकती हैं । इसी तरह से उसके अनुरूप प्रतिबन्ध में यह व्यवस्था की गयी है कि उनकी वापसी भी राज्य सरकार की स्वीकृति से ही हो सकेगी अन्यथा नहीं । इसमें अनुचित व्यवस्था क्या है ? यदि अधिकारों का सौंपा जाना राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना होता तो वापस भी लिया जाना उनकी स्वीकृति के बिना हो सकता था लेकिन जो अधिकार सौंपा जाता है राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के तो वापस बिना राज्य सरकार की स्वीकृति के कैसे हो सकता है । लेकिन यह और गड़बड़ करना चाहते हैं । कुछ ऐसा कहा जाय तो बात ठीक होती । यहां पर तो किसी तरह भी ठीक नहीं बैठता कि जो संस्था, क्षेत्र-समिति या जिला परिषद् अपने अधिकारों को किसी को सौंप दे, राज्य सरकार की स्वीकृति से, तो फिर अपने आप चाहे तो वापस कर ले । इसमें रुकावट लगायी गयी है कि वापस न कर सके, जब तक कि राज्य सरकार की स्वीकृति न हो जाय । यह तो मुनासिब बात की गयी है, गलत बात नहीं की गयी है ।

श्रीमन्, इसी तरह इसके उपखंड (२) में यह व्यवस्था की गयी है कि जो संस्थायें हैं, जिला परिषद्, क्षेत्र समिति, गांव सभायें, ये आपस में एक दूसरे को अपने अधिकारों का संक्रमण

[श्री जयराम वर्मा]

कर सकती है और इसके लिये भी सरकार की स्वीकृति की जरूरत है। जैसी उपखंड (१) में व्यवस्था है उसी तरह की व्यवस्था उपखंड (२) में भी है। जब माननीय कुंवर श्रीपाल सिंह जी को उपखंड (१) की व्यवस्था के बारे में एतराज नहीं है तो दूसरे के बारे में एतराज कैसे हो सकता है? इस तरह उनका एतराज उचित नहीं रह जाता है। इसलिये मैं उनसे यह प्रार्थना करूंगा कि जो बातें उन्होंने कही हैं उनको वह फिर से सोचें। उनकी बातें यहां ठीक बैठती नहीं।

उधर से एक माननीय सदस्य यह प्रश्न भी कर रहे थे कि उनके संशोधन माने जायेंगे या नहीं। उसके बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं कि अगर उधर से कोई मुनासिब संशोधन आयेगा तो जरूर माना जायगा।

कुंवर श्रीपालसिंह—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि खंड ३४ के उपखंड (१) में जब सरकार के द्वारा अधिकार दिये जा रहे हैं तो उसका विरोध नहीं है.....

श्री जयराम वर्मा—सरकार की पूर्व स्वीकृति से दिये जा रहे हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह—श्रीमन्, जो वाक्य है उसे पढ़ लिया जाय तो मालूम हो जायगा कि सरकार की स्वीकृति है अथवा कानून की। "राज्य सरकार द्वारा इस विषय में बनाये गये किन्हीं नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए....", श्रीमन्, जो कानून बनाया जायगा उसके अतिरिक्त जो रूल्स बनाये जायेंगे, उन रूल्स के अधीन रहते हुए अपने अधिकारों को देने का, संक्रमण करने का अधिकार सरकार ने लिया।

श्री जयराम वर्मा—इसके आगे भी पढ़ लीजिये।

कुंवर श्रीपालसिंह—मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि इस खंड में कानून के द्वारा वह चीज दी जा रही है और जिस चीज का मैं विरोध कर रहा हूं, श्रीमन्, प्रतिबन्ध का, अगर वह चीज थी तो फिर प्रतिबन्ध लगाने की क्या आवश्यकता थी? प्रतिबन्ध में जो लिखा गया है, यह एक दूसरी चीज हो जाती है। उसमें कानून की नहीं, राज्य सरकार की स्वीकृति दी जायगी कि यह काम किया जाना है। इस तरह से मैं समझता हूं कि मेरा संशोधन अपनी जगह पर सही और उचित है।

श्रीमन्, एक चीज मैं और निवेदन करना चाहता हूं। अभी हमारे पंडित जी ने एक चीज कही कि यह सरकार राजा नहीं, कुछ दूसरी चीज है। राजाओं के जो गुण थे वह भी ये नहीं लेना चाहते हैं मारे गुस्से के या किसी और वजह से। इस संबंध में मैं एक छोटी सी आख्यायिका निवेदन करना चाहता हूं। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। उनसे अपने पड़ोसी से दुश्मनी थी। अपने उस पड़ोसी का अपशकुन करने के लिये उन्होंने अपनी नाक कटा डाली और किसी ने पूछा कि आपने नाक क्यों कटा डाली तो बोले कि हमारे पड़ोसी का अपशकुन हो जाय ताकि वह हमारा नकटा मुंह देखे और उसका काम सिद्ध न हो। ठीक वही बात इनके ऊपर लागू होती है। आप कहते हैं कि राजाओं के गुण भी आप नहीं लेंगे।

श्रीमन्, मैंने उस राजा का प्रमाण नहीं दिया जो अत्याचारी रहा हो, मैंने रावण का प्रमाण नहीं दिया, हरिश्चन्द्र का प्रमाण दिया था। मेरी बात उलट पुलट के उन्होंने कही, इसका मुझे दुख है। मैंने जो कहा था वह यह कि किसी भी अधिकार को देने के पहले पात्रता का विचार कर लिया जाय। राज्य सरकार इस बात को ध्यान कर ले, पहले अपना समाधान कर ले इस बात का कि जिस पात्र को हम जो अधिकार देने जा रहे हैं वह पात्र इस योग्य है कि इस अधिकार को धारण कर सकता है अथवा नहीं और तब उसे अधिकार दिया जाय। मगर देने के बाद फिर वापस नहीं लेना चाहिये :

मान्यवर, चाणक्य ने कौटिल्य शास्त्र में लिखा है "मत्स्यन्याय विभूतायां प्रजा मनू वेवस्वताम् राजानाम् चक्रिय", यानी उस समय जब समाज में मत्स्यन्याय की अधिकता थी तो उससे बचने के लिये प्रजा ने वेवस्वताम् के पुत्र मनू को राजा बनाया। इसलिये उसको राजा बनाया ताकि कानून वगैरह की व्यवस्था कर सके और समाज की व्यवस्था ठीक हो जाय। मेरी चाहे यह कमजोरी हो या चाहे दुर्भाग्य हो कि मैं भारतीय दर्शन और भारतीय संस्कृति में विश्वास करता हूं, मैं कार्लमार्क्स में विश्वास नहीं करता। इसलिये हो सकता है कि मेरी बातों का असर माननीय मंत्री जी के ऊपर न हो।

एक सदस्य—आप किस दर्शन शास्त्र में विश्वास करते हैं?

कुंवर श्रीपालसिंह—मैं भारतीय दर्शन शास्त्र, वेदान्त दर्शनशास्त्र और आध्यात्मवाद तथा भारतीय संस्कृति में विश्वास करता हूं।

श्रीमन्, पंडित जी ने यह कहा कि राजाओं में जो गुण थे वे भी हमारी सरकार नहीं लेना चाहती है। तो उनके मुख से यह चीज सुन कर एक नयी चीज हमें मालूम हुई और मेरा दुर्भाग्य है कि यह चीज मुझे आज मालूम हुई। अभी तक इस सरकार पर हमारी यह आस्था थी कि यह भारतीय है, किन्तु आज हम समझते हैं कि इसकी आत्मा जो है वह भारतीय न होकर अभारतीय है। आज यह चीज स्पष्ट हो गयी है। अगर यह भारतीय विचारों को भी नहीं अपनाना चाहते तो फिर यह हमारा दुर्भाग्य ही है।

श्रीमन, मैंने निवेदन किया था कि किसी बात को कहने से पूर्व उस पर विचार कर लेना चाहिये--हृदय तराजू तोल के, तब मुख निकले बात। आज क्या होता है? एक कानून यह सरकार बनाती है, कल को दूसरा एमेन्डमेंट, परसों को तीसरा एमेन्डमेंट और इस तरह से रोज एमेंडमेंट आते रहते हैं। इसलिये इस विचार से कि कहीं आगे चल कर कुछ गड़बड़ न हो जाय, हमने अपना संशोधन रखा है। पंडित जी ने कहा कि इस सरकार के हाथ में सत्ता आते ही यह लोग बिलखने लगते हैं। श्रीमन्, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता ही है। श्रीमन्, जब हमारी सरकार को हर जगह संशय होता है तो हमें भी संशय होता है कि कहीं ये अपने अधिकारों का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। उस दुरुपयोग को रोकने के लिये ही हमने अपना संशोधन रखा है और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी उसे स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री जयराम वर्मा—श्रीमान् जी, माननीय कुंवर साहब जानबूझ कर उन शब्दों को नहीं पढ़ना चाहते जो इसमें लिखे हैं। जो इसमें लिखा है वे उस पर पर्दा डालना चाहते हैं। यह विधेयक यहां मौजूद है। इसमें क्या लिखा है, उसे पढ़ तो लिया जाय। इसकी मंशा यह है कि पूर्व स्वीकृति से हस्तांतरण होगा और स्वीकृति से ही वापस लिया जा सकता है। यह उसके खिलाफ व्यवस्था नहीं है। श्रीमान् जी, कुंवर श्रीपाल सिंह जी तो सबको पुराने राजाओं की शक्ल में ही देखना चाहते हैं लेकिन हम लोगों का दुर्भाग्य यह है कि हम लोग अब उस तरह के हो ही नहीं सकते हैं। अब तो अधिकार उनके हाथ में रहता है जिनको जनता चुनकर भेजती है। जिनका बहुमत होता है उनके हाथ में वह अधिकार उस समय तक रहता है जबतक कि जनता चाहती है। लेकिन जो पुराना तरीका उनको पसन्द है वही वह सब जगह देखना चाहते हैं। लेकिन अब वह जमाना खत्म हो चुका है और वह तरीका अब चल नहीं सकता। माननीय सदस्य को यह भी आपत्ति है कि सरकार को बारबार संशोधन लाने पड़ते हैं। यह सरकार तो प्रगतिशील है। अगर कहीं पर भूलसुधार की आवश्यकता है तो उसे ठीक करने के लिये संशोधन करेगी। कोई रूढ़िवादी तो हम हैं नहीं कि जो गलत बात हो गयी उसको बदलने के लिये तैयार नहीं हैं। मैं समझता हूं कि उन पर वातावरण का असर न पड़ा होगा और अब उनको गलती मालूम हो गयी होगी तो उसे अब वापस ले लेंगे।

श्री अधिष्ठाता—मैं इस खंड और उन पर संशोधनों के ऊपर मतदान २ बजे तक के लिये स्थगित करता हूं।

खंड ३५

[टाउन एरिया कमेटियों तथा गांव सभाओं के संबंध में प्रयोग, पालन तथा सम्पादन के संबंध में

(१) अनुसूची ३ के दूसरे स्तम्भ में दिये गये सब अधिकारों, कर्त्तव्यों और कृत्यों का जिले की समस्त टाउन एरिया कमेटियों और गांव सभाओं के निश्चित दिनांक से जिला परिषद् द्वारा किया जायगा।

कतिपय अधिकार

(२) यूनाइटेड प्राविन्सेज टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ की धारा १० के प्रयोजनों के निमित्त अध्यक्ष ही नियत प्राधिकारी होगा।

(३) यूनाइटेड प्रोविन्सेज पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ या "१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम" में किसी बात के होते हुए भी कोई जिला परिषद् जिले की किसी गांवसभा से अपेक्षा कर सकती है कि वह अपने कार्यों में से किसी का भी समन्वय क्षेत्र समिति के उसी प्रकार के कार्यों से करे और तत्पश्चात् गांव सभा और उसकी गांव पंचायत तथा भूमि प्रबन्धक समिति उस अपेक्षा की पूर्ति करेगी।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड ३५ के उपखंड (३) के पश्चात् नया उप खन्ड (४) बढ़ा दिया जाय—

"उपखंड (४)—जिला परिषद् एक भूमि प्रबन्धक तथा वितरण समिति का निर्माण करेगी जो परिषद् तथा क्षेत्र समिति तथा ग्राम सभा की तमाम कृषि योग्य तथा अन्य भूमि का वितरण तथा प्रबन्ध ग्राम समाज की रिपोर्ट लेकर करेगी।

(१) भूमि प्रबन्धक व वितरण समिति का निर्माण निम्नलिखित होगा —

(१) उपाध्यक्ष—अध्यक्ष

(२) परगनाधीश—सदस्य—जिस परगना की भूमि पर विचार किया जा रहा हो।

(३) जिला पंचायत अधिकारी—सदस्य व सचिव।

(४) जिले के विधान मंडल के हरिजन सदस्य —सदस्य।

(५) जिले के विधान मंडल के सदस्यों में से वह सदस्य जिसका वह क्षेत्र हो—सदस्य।

(६) जिला परिषद् के अपने सदस्यों में—दो सदस्य।"

अधिष्ठाता महोदय, यह संशोधन इसलिये आवश्यक है कि इस समय जो अधिकार ग्राम पंचायतों में भूमि वितरण के दिये हुए हैं उनमें बहुत सी गड़बड़ियां हैं और तमाम जगहों में जो खेती योग्य भूमि है वह भूमिहीन मजदूरों को न मिलकर के ऐसे लोगों को मिल रही है जिनके पास पहले से भूमि है। उसमें एक व्यवस्था तो यह है कि जहां पर भूमि वितरण करने को होगी वहां पर ग्राम समाज तमाम लोगों से दरख्वास्तें मांगेगी और उसके बाद अपनी कमेटी बुलाकर उनमें नीलाम करेगी। जो अधिक बोली बोलेगा वह भूमि उसको मिलेगी। इसमें जो भूमिहीन मजदूर है उसके पास पैसा कहां है और वह उन पैसेवालों के मुकाबले में जो बड़े किसान व व्यापारी हैं नीलाम में नहीं खरीद पाता है। दूसरे वहां पर यह नहीं देखते कि जमीन जो दी जा रही है वह विधान के अनुसार है भी या नहीं। लोगों को साढ़े १२ एकड़ से अधिक जमीन नहीं मिलनी चाहिये लेकिन देखा जा रहा है कि कानूनगो, लेखपाल, हाकिम परगना, तहसीलदार कोई नहीं देखता कि जिसको जमीन दी गयी है वह पहले से कितनी जमीन रखता है, नई भूमि मिलनी है या नहीं। जिसके पास लाठी का या पैसा का जोर है उसके बल वह हथियाना चाहता है।

हमारे कानपुर जिले में कई ऐसे मामले हैं जिनको मैं जिलाधीश के नोटिस में लाया लेकिन वे भी कुछ करने में असमर्थ रहे। ऐसी स्थिति में इसकी रोकथाम की जाय। जमीन का वितरण ऐसी कमेटी के द्वारा हो जो जमीन के वितरण तथा नियंत्रण में योग दे सके, यह मैं चाहता हूं, क्योंकि जो पिछली व्यवस्था है उससे जो देखने में आया है उससे यह संतोषजनक व्यवस्था नहीं मालूम होती है। दूसरे अब यह कहा जा सकता है कि ग्राम समाज और जिला परिषद् का संबंध ही क्या। पहले जरूर संबंध नहीं था जबकि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड था, लेकिन इस बिल के पास हो जाने के बाद पंचायत और विकास खन्ड और जिला परिषद एक तरीके से तीनों एक लिंक में जोड़ दिये गये हैं। तब यह बहुत ही आसान चीज है कि इन सब चीजों को परिषद् देख सकती है और उनके अधिकार में आ सकता है और जहां पर परिषद् के अन्तर्गत कई कमेटियां बनायी गयी हैं, उसके अन्तर्गत यह भी होना बहुत आवश्यक है। अगर यह कमेटी नहीं बनती है और उसमें कोई इस तरह का सुधार नहीं किया जाता है तो मैं समझता हूं कि हरिजनों और दूसरे भूमिहीनों को भूमि मिलना बहुत ही मुश्किल हो जायगा। आप देखें कि अभी आन्दोलन चलाया जा रहा है कि सहकारी कृषि द्वारा खेती की जाय और इसके लिये अभी पिछले दिनों इसी माननीय सदन ने एक विधेयक पास किया है जिसके अन्तर्गत ४० एकड़ से अधिक जिसके पास भूमि होगी, अच्छे किस्म की होगी, वह अधिक भूमि उससे लेकर अ.र गांव समाज की पड़ी हुई भूमि पर सहकारी समिति के द्वारा खेती कराने का सरकार का विचार है जिससे अधिक अन्न की उपज हो। लेकिन दूसरी तरफ व्यवस्था इतनी ढीली और अशुद्ध है कि जिसके पास भूमि पहुंचनी चाहिए वहां नहीं पहुंच रही है। तो यह कैसे चल सकता है, यह देखने की चीज है।

मेरे जिले में एक गांव में सहकारी समिति बन गयी और वहां के लोगों ने जो भूमि थी उसके एलाटमेन्ट के लिये वहां के गांव समाज से के जिला अधिकारियों से कहा और अभी तक सवाल हल होते नजर नहीं आ रहे हैं, अभी तक उन लोगों को भूमि नहीं मिल पायी और वहां की जो ग्राम समाज थी उसने जिनके पास जमीनें थी उनसे मिलकर उनके नाम एलाटमेन्ट कर दिया और कलेक्टर के पास इतना अधिकार नहीं है कि वह उसको लेकर सही आदमी को दे सकें, इतना अपंगु अधिकारियों को कर दिया गया है। तो मैं समझता हूं कि यह संशोधन सारी चीजों की पूर्ति करता है, इसलिये आशा है कि माननीय मंत्री जी इसको अवश्य स्वीकार करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इसको पेश करता हूं।

*श्री मोतीलाल अवस्थी—अधिष्ठाता महोदय, प्रस्तावक का संशोधन देखने से बड़ा न्यायप्रिय मालूम होता है और आवश्यक मालूम होता है, किन्तु मुझे आपके द्वारा यह प्रस्तावक से प्रार्थना करनी है कि केवल अगर सदन का समय लेकर अन्त में उसे उन्हें वापस ही लेना है तो सदन का समय न लें, क्योंकि अभी जो सरकार की डायरी में ४ भले आदमी दर्ज हैं जिनके नाम घोषित किये गये उनमें आपका नाम नहीं है और आपका प्रस्तावित संशोधन सरकार को मान्य भी नहीं है। ऐसी हालत में यदि हम इसके समर्थन करने में कुछ कहें तो वह सदन का समय ही बरबाद करना है।

श्रीमान् मंत्री जी समझ लें कि जो प्रस्तावक ने दिक्कतें पेश की है कि भूमि भूमिहीनों को नहीं मिलती, वह बिलकुल सही है और प्रस्तवक ने इस प्रस्ताव को जिला परिषद् में भी ऐसे मुकामों पर रख कर बहुत कुछ बतलाया और दिखलाया, लेकिन मैं उनके समक्ष यह शंका रखता हूं कि यह भूमि का वितरण जिसे वह चाहते हैं कि इस प्रकार से हो कि भूमिहीनों को मिले, वह इस संशोधन से नहीं हो पायेगा। उसका तरीका यह है कि आजकल जो भूमि प्रबधक समिति बन रही है जमींदारी विनाश ऐक्ट के मुताबिक, उसमें कुछ उचित संशोधन किया जाय और हम मानते हैं कि आज पिछड़ी हुई जातियों की संख्या १०० में ६० और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मंतोलाल अवस्थी]

७५ हैं और उस अनुपात से अगर यह भूमि प्रबंधक समितियां बनें, पिछड़ी जातियों को ६० फीसदी प्रतिनिधित्व मिल जाय तो सचमुच ही उचित रूप से वह अपना भूमि का प्रबन्ध कर लेंगी। लेकिन यह बात सरकार को मान्य नहीं है। उनको चाहिये कि समाजवादी पार्टी द्वारा जो उचित मांग है कि हर जगह जहां प्रबन्ध करने की बात हो वहां पिछड़ी जातियों को ६० प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया जाय, उसको स्वीकार कर लें ....

(व्यवधान)

माननीय हरी सिंह जी मेरी भावना का समर्थन करते हैं लेकिन वह ऐसे दुर्गम स्थान में बैठे हैं कि हमारे हाथ से हाथ नहीं मिला पायेंगे। तो भूमिहीनों को भूमि दिलाने के लिये जो उपाय बतलाया गया वह चल नहीं पा रहा है। धारा ३५ में जो जोड़ने की बात कही गई है, अगर हम देखें तो ३५ में सरकार ने यह प्राविधान करने की कोशिश की है कि कुछ वह अधिकार और कर्तव्य जो टाउन एरिया कमेटीज और गांव सभाओं को दिये जाने वाले हैं उनकी इसमें व्याख्या की गई है और उसी के साथ-साथ यह भी बताया गया है कि जिला परिषद् यह अपेक्षा कर सकती है कि किसी भी अपने कार्य में समन्वय क्षेत्र-समिति में उसी प्रकार से करावे जैसा उचित समझे। माननीय कुरील जी की तरफ से जो यह मांग आई है, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह इस उचित मांग को जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में संशोधन लाकर रखें उसमें हम उनका समर्थन करेंगे लेकिन यहां पर उन्होंने जो प्रबन्धक कमेटी का निर्माण रखा है वह हमारे लिये अमान्य-सा है क्योंकि इसमें उन्होंने परगनाधीश और पंचायत अधिकारी को भी लाकर इस प्रकार रख दिया है कि उन्हीं का बोलबाला हो जायगा। हम सरकारी अधिकारियों द्वारा भूमि का वितरण कभी भी पसन्द नहीं करेंगे।

दूसरी बात यह है कि प्रत्येक गांव की समस्यायें भिन्न-भिन्न होती हैं, इसलिये भूमि वितरण करने की मुख्य जिम्मेदारी गांव की ही प्रबन्धक समिति पर होनी चाहिये। अगर इस प्रकार से वितरण किया गया कि पहले गांव की समिति उसको तैयार करे और फिर जिला समिति उसको तय करने बैठे तो फिर इसमें बहुत सी बेकार की मुकदमेबाजी पैदा हो जायगी जिसको कि हम कभी पसन्द नहीं करेंगे। जब हमने विकेन्द्रीकरण करने की नीति स्वीकार कर ली है तो फिर हमें मान लेना चाहिये कि गांव की जो मौलिक समस्यायें, भूमि वितरण आदि की हैं उनको गांव पंचायत तक ही सीमित रहना चाहिये। गांव समितियों में हम पिछड़ी जातियों का बहुमत लाकर उनके साथ न्याय कराने का प्रयत्न करें तो यह ज्यादा अच्छा होगा। तो मेरा पहला भय यह है कि माननीय कुरील जी का संशोधन सदन का समय ले लेने के बाद अन्ततोगत्वा वापिस हो जायगा जोकि हमारे लिये बड़ा दुखजनक होगा। दूसरी बात यह है कि यह संशोधन जिस स्थान पर लाया गया है वह उचित स्थान नहीं है, इसके लिये सुरक्षित स्थान भूमि व्यवस्था अधिनियम में है। तीसरी बात यह है कि इसकी जो भावना है वह उचित है, हम भी चाहते हैं कि भूमिहीनों को जमीन मिले लेकिन जो प्रबन्धक समिति बने उसमें सरकारी अधिकारियों का बहुमत होना उचित नहीं है। और चौथी बात यह है कि गांव की समिति में ही यह अधिकार रहना चाहिये, जिले की समिति में उसको ले जाना उचित नहीं है। इन सब बातों को देखते हुए मैं प्रस्ताव रखता हूं कि यह संशोधन उचित स्थान पर नहीं आया है।

*श्री हरीसिंह (जिला बेरछ)—आदरणीय अविष्ठाता महोदय, मैं श्री मुरलीधर कुरील और श्री ब्रज बिहारी बेहरोत्रा जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, जिस समय भूमि वितरण और भूमि प्रबन्धक समितियां बनाई गयी थीं उस समय हमने मांग की थी कि जो भूमि ग्रामों में पंचायतों और सरकार के अधीन है वह खेतिहर मजदूरों में ही वितरित की जाय। परन्तु हमें खेद है कि आज तक उस पर कुछ भी नहीं किया गया। सरकार को भी मालूम नहीं है कि ऐसी भूमि कितनी और कहां है। तो इसका नक्शा पहले हमारे सामने आना चाहिये। हुआ यह कि खेतों पर जिनका आधिपत्य था उन्हीं की समितियां बनाई गईं और उन्होंने वे जमीनें अपने भाइयों में ही बांट लीं। आदरणीय सदन के सदस्यों में से एक प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता भी मौजूद हैं। श्रीमान मास्टर जी भी मौजूद हैं जो महज लड़कों को पढ़ाना जानते हैं, खेती उन्होंने कभी की नहीं। मैं आपके जरिये मास्टर जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि उन्हें मालूम है कि पिछड़े वर्ग में कितनी कौमें हैं। वह नहीं बता सकते हैं। अगर नौकर पेशा पिछड़े वर्ग की वह बात करें तो मैं मान सकता हूं। अगर उनकी भावना यह है कि हरिजन और पिछड़े वर्ग वाले लड़ते रहें और मास्टर जी मजा करें, तब तो मैं उनकी भावना को कद्र नहीं कर सकता। सन् १९५२ से पहले पंचायतों और सरकार के पास जो भूमि थी, उसके वितरण में हमारी बात नहीं मानी गई। इस विधेयक में फिर वही व्यवस्था की गई है कि जो शोषण का एक ढंग होता है। हमको ही नहीं, बल्कि सभी खेतिहर मजदूरों को, चाहे वह हरिजन हो या सवर्ण हो, या मास्टर जी ही कल को खेती करने लगें तो वही हो सकते हैं, यह अधिकार होना चाहिये कि हम बता सकें कि जमीन किस ढंग से मिलनी चाहिये और वह है कहां। जमीन कोई रबड़ तो है नहीं। वह तो बंट चुकी है और अब ये दिखावटी भूमि वितरण और भूमि प्रबन्धक समितियां बन रही हैं। हम चाहते हैं कि यदि ऐसी समितियां बनाई भी जाती हैं तो उनमें अधिकारियों के नाम अवश्य होने चाहिये। तभी सच्चा न्याय हो सकता है। उससे खेतिहर मजदूरों को कुछ भूमि मिलने की आशा हो सकती है।

मास्टर जी ने कहा कि अगर सदन का समय नष्ट करना हो और प्रस्ताव वापिस लेना हो, तो यह कहकर उन्होंने पहले ही उसे वापिस लेने की व्यवस्था कर दी क्योंकि हरिजनों का प्रश्न था और परिगणित जातियों का प्रश्न था और उनके लिये जमीन का प्रश्न था। तो जहां हरिजनों की भलाई का प्रश्न हो, वहां मास्टर जी इस तरह की बातें न करें।

श्री अमरनाथ--अधिष्ठाता महोदय, मुझे खेद है कि मैं इस संशोधन का समर्थन नहीं कर सकता। सिद्धांततः तो यह संशोधन बहुत ही अच्छा है लेकिन जहां इसे फिट इन करने की बात कही गई है वह उचित नहीं है। शायद माननीय सदस्य भूल गये कि जमींदारी एबालीशन ऐक्ट में यह व्यवस्था गांव समाज की भूमि-प्रबन्धक समितियों के लिये रखी गई है कि भूमि का वितरण और प्रबन्ध करें। जब तक वह अधिकार उस कानून से नहीं निकाल लिया जायगा या जमींदारी एबालीशन ऐक्ट में संशोधन नहीं किया जायगा तब तक इस प्रकार की कोई समिति बनाने का जिला परिषद् को अधिकार नहीं हो सकता और जिस धारा के अन्तर्गत वह समिति बनाना चाहते हैं वह नहीं बनाई जा सकती है। मुझे इस बात का भी खेद है कि जिस प्रकार की समिति बनाने की बात है उसमें जिला परिषद् के सदस्यों की बात नहीं है लेकिन उपाध्यक्ष, परगना घोष, जिले का पंचायत अधिकारी, विधान मंडल के हरिजन सदस्य इत्यादि के रखने की बात है। मेरी राय में यह संशोधन अनावश्यक है और जो समय सदन का इसमें लिया गया उसके लिये भी मुझे खेद है। मैं मानता हूं कि माननीय सदस्य को हरिजनों के लिये प्रेम है और हो सकता है कि गांव पंचायत की भूमि-प्रबन्धक समितियों ने कहीं भेदभाव बरता हो, लेकिन उसका सुधार माननीय सदस्य गैर सरकारी बिल लाकर कर सकते हैं या कानून में तरमीम कराके कर सकते हैं। उनकी सरकार है और वह अपने मिनिस्टर महोदय से कह सकते हैं कि जमींदारी एबालिशन ऐक्ट में संशोधन कीजिये। जब तक गांव समाज से वह ताकत नहीं ली जायगी तब तक ऐसा संशोधन नहीं आ सकता है। यह उचित नहीं है कि एक तरफ तो गांव पंचायत को भूमि-प्रबन्धक समिति हो और दूसरी तरफ जिला परिषद को हो जिसमें अधिकारी हों। साथ ही हम सभी जानते हैं कि पंचायतों में हरिजन सदस्य हैं अगर वहां उनकी भलाई नहीं हो पाती तो क्या दूसरों से उम्मीद की जाय? इसके अलावा यह

[श्री अमरनाथ]

भी कहना चाहता हूं कि हरिजनों को पंचायतों के जरिये यदि न्याय नहीं मिल पाता तो जिला पंचायत अधिकारी या परगनाधीश से उनको न्याय नहीं मिल जायगा। इसलिये मुझे खेद है कि मैं इस संशोधन का समर्थन नहीं कर सकता।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—अधिष्ठाता महोदय, मुझे इस बात का बड़ा खेद है कि मैं अपने मित्र मुरलीधर जी की भावनाओं से सहमत होते हुए भी उनके संशोधन का समर्थन नहीं कर सकता हूं। धारा ३५ में इस संशोधन के लिये स्थान नहीं है। आगे चलकर धाराओं में यह दिया हुआ है कि जिला परिषद् की कितनी समितियां होंगी। अगर मुरलीधर जी उस जगह इसे पेश करते तो ज्यादा उचित होता। धारा ३५ में तो स्पष्ट लिखा है कि टाउन एरिया कमेटियों तथा गांव सभाओं के संबंध में कतिपय अधिकार; सिर्फ टाउन एरियाओं और गांव सभाओं के बारे में है।

उन्होंने जो यहां यह संशोधन फिट-इन किया है वह फिट-इन नहीं होता है। दूसरी सब से बड़ी बात यह है कि एक तरफ तो इस तरह की मांग की जाती है कि विकेन्द्रीकरण किया जाय दूसरी तरफ गांवों में गांव सभाओं को जो अधिकार दिये हुए हैं अपने क्षेत्र की जमीनों को वितरित करने के उनको आप उनसे ले लेना चाहते हैं। अभी तक इसके माफिक में जो दलीलें दी गयी उनमें केवल इतना ही कहा गया है कि गांव सभाओं के अन्तर्गत जो भूमि-प्रबन्धक कमेटियां बनी हैं, उन्होंने अपने कर्त्तव्य का सही पालन नहीं किया है। मान्यवर, इस उसूल के मुताबिक तो यह हो जायगा कि गांव सभायें, टाउन एरिया या क्षेत्र समिति अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं करते तो उनके अधिकारों को छीन कर जिला परिषद् को दे दिया जाय और अगर जिला परिषद ठीक कार्य नहीं करता है तो स्टेट गवर्नमेन्ट उसके अधिकार ले ले। इस बात को अगर मान लिया जाय तो बजाय विकेन्द्रीकरण के हम केन्द्रीकरण की ओर जायेंगे। यह सही बात है कि जो कठिनाई और दिक्कतें हों उनको दूर किया जाना चाहिये। विकेन्द्रीकरण के माने भी यही हैं कि जितने छोटे-छोटे यूनिट्स को हम अधिकार देंगे, उनसे त्रुटियां होंगी लेकिन उन त्रुटियों का सुधार उन्हीं के द्वारा हमें कराना होगा। जब उनको अनुभव हो जायगा तो वे गलती न करेंगे। माननीय कुरील जी में यह जरूर है कि अच्छे भाव से संशोधन रखा है लेकिन न तो यह संशोधन यहां फिट इन होता है और न विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त के मुताबिक ही है। लिहाजा मैं दरख्वास्त करूंगा कि वे इस संशोधन को प्रेस न करें बल्कि वापस ले लें।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—अधिष्ठाता महोदय, यह जो संशोधन माननीय मुरलीधर जी ने पेश किया है। मैं उसका विरोध करना चाहता हूं। यह सही है कि जिन भावनाओं से प्रेरित होकर उन्होंने यह संशोधन रखा है, वे अच्छी हैं। यह सत्य है कि आज ग्राम सभाओं ने जो भूमि-प्रबंधक समितियां बनायी हैं वे ठीक तौर से कार्य नहीं कर रही हैं, यह भी सत्य है कि जो नियम जमींदारी एबालिशन ऐक्ट और पंचायत राज ऐक्ट में जमीन के संबंध में दिये हुए हैं उनका पालन ठीक तौर से नहीं हो रहा है, बल्कि दुरुपयोग हो रहा है, यह भी ठीक है कि हरिजनों और भूमिहीनों को जो जमीन मिलनी चाहिये थी वह नहीं मिल पा रही है। लेकिन इन सब बातों के होते हुए भी सिद्धान्ततः यह प्रस्ताव अपनी जगह ठीक नहीं है। अगर हम इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं तो इसके माने यह होते हैं कि हमारा विश्वास जनतंत्र और विकेन्द्रीकरण पर नहीं रहा। एक अधिकार जो कानून के जरिये से जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को मिला हुआ है उसको उनसे छीन कर हम नौकरशाही के सुपुर्द करने जा रहे हैं। इस प्रकार से हम इस संशोधन द्वारा उल्टी दिशा में जाते हैं।

उसके अतिरिक्त गांव पंचायतों के अधिकार को लेकर जिला स्तर पर भूमि वितरण के लिये कमेटी बनाने की बात कही गई है, वह उचित नहीं है। आजकल जो भूमि-प्रबन्धक समितियां बनी हुई हैं वह अपने क्षेत्र के कामों को देखती हैं, यानी उनका क्षेत्र बहुत छोटा

होता है। लेकिन अब आप चाहते हैं कि जिला स्तर पर एक कमेटी बना दी जाय जो पूरे जिले के भूमि के मसलों पर विचार करेगी। यह फिजीकली नामुमकिन है। इन दो कारणों से मैं समझता हूं कि यह संशोधन अपनी जगह पर उचित नहीं है। क्योंकि जो सिद्धान्त इस विधेयक के जरिये हम विकेन्द्रीकरण का लाना चाहते हैं, यह संशोधन जो है, बिल्कुल एक उल्टी दिशा में ले जाता है। जो एक प्रजातांत्रिक संस्था है, जो एक कमेटी है, उसके हाथ से अधिकार छ न कर हम ऐसे हाथों में अधिकार देना चाहते हैं जोकि उन भावनाओं के विपरीत हैं। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—अधिष्ठाता महोदय, जो संशोधन माननीय मुरलीधर कुरील ने उपस्थित किया है वह इस भावना से है कि गांव समाज में जो भूमि प्रबन्धक समितियां बनी हैं, उन समितियों ने उस ढंग से काम नहीं किया जिससे कि उसे यह कहा जा सके कि वह जमीन को गांव में देने के योग्य हो, वह ऐसे लोगों को मिल जाय जो कानून में निहित है। इस भावना से प्रेरित होकर माननीय सदस्य यह संशोधन लाये हैं। लेकिन यह बात जरूर माननीय सदस्य को माननी होगी कि इस धारा में यह यहां उपयुक्त भी नहीं होता है। ज्यादा अच्छा होता कि वह इस बिल की धारा ६४ के उप-खंड (१) के भाग (ङ) के बाद यह जोड़ते तो यह कुछ उपयुक्त हो सकता था। इससे यह हो जाता कि अब तक इस प्रकार की जो जमीन परिषद् के मातहत है या होंगी नजूल की या दूसरी किस्म की भूमि है, उसका प्रबन्ध करने के लिये और उसे ऐसे लोगों को देने के लिये जिन्हें मिलना चाहिये, यह चीज हो जाती तो वहां उपयुक्त हो जाता। अक्सर जिले में यह देखा गया होगा कि ये जो भूमि प्रबन्धक समितियां बनीं उन्होंने अपनी भूमि वितरण के सम्बन्ध में कोई विशेष फंक्शन नहीं किया। मैं मिसाल के तौर पर मुजफ्फरनगर के परगना गोवर्धन की मिसाल दूं कि उन्होंने भी ठीक से फंक्शन नहीं किया। कितनी भूमि वहां है जो बन्जर पड़ी हुई है, अभी यह ठीक से ज्ञात तक नहीं हुआ है कि कितनी भूमि कहां मौजूद है। तो ये सारी चीजें हैं जिससे कि यह विरोध है कि गांव समाज की जमीन होने के बावजूद भी वहां पंचायतों ने अपना पूरा फंक्शन नहीं किया, जोकि करना चाहते हैं। यदि जमीन पर झगड़ा हो गया तो उसे भी तय करना आवश्यक है। जब इतना तक नहीं मालूम है कि कितनी भूमि है, कितना देना है, तो वे समितियां क्या कर सकती हैं ?

कहने का मतलब यह है कि गांव में ऐसी कुछ भावनायें मौजूद हैं जो जातीयता और एक गुट के ऊपर मुनहसिर हैं जिससे कि उनका ठीक फंक्शन नहीं हो पाता है। कुछ सदस्य अपना ऐसा उद्देश्य उसके अन्दर रखते हैं जिससे वह अपना फंक्शन पूरा नहीं कर पाता है। लेकिन चूंकि पंचायत राज ऐक्ट में ऐसी अधिकार की चीज आई है इसलिये इसमें कुछ थोड़ी सी रुकावट पड़ती है। वह दूर हो जाय तो परिषद् को अधिकार पहुंच जाय और इस तरह से केन्द्रीकरण की तरफ तो हम पहुंचते हैं। हालात को बिना पर इस दृष्टि से देखते हैं कि इसमें जातीयता तथा गुटबन्दी की भावना है। गांव में अभी निरक्षरता और नासमझी है। इस दशा के सुधरने तक तो भूमि वितरण का अधिकार परिषद् को दिया जाना अनुचित न होगा। तो मैं पाता हूं कि माननीय मुरलीधर कुरील की यह प्रस्तावित भावना तो यहां ठीक है। किन्तु वे इसे धारा ६४ में लाने का प्रयत्न करते तो ज्यादा उचित था। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की समिति वे बनवाना चाहते हैं उस प्रकार की समिति के आयोजन का इस बिल की धारा ६५ में परिषद् को अधिकार है। ऐसी समिति यदि हमारी परिषदें बनावें तो कोई हर्ज नहीं होगा।

जो जमीन नजूल की हो या दूसरी किस्म की हो उसके वितरण का अधिकार उसे होगा, यदि माननीय कुरील जी का इस प्रकार का कोई संशोधन हो तो उसमें वह उसको ले आयें। भावना उनकी उचित है। गरीबों को जमीन नहीं मिल रही है, भूमिहीनों को नहीं मिल रही है और यहां तक कि हरिजनों को भी नहीं मिल रही है। हरिजन भाइयों को जब जमीन नीलाम होती है तो दूसरे की बोली के आधे पर उनको देने की बात है, वह नहीं मिलती। सूबे भर में

[श्री रामदास आर्य]

कितनी मिसालें हैं कि उनको भूमि मिली हो ? आवश्यकता के अनुसार नहीं मिल रही है। तो उसके लिये हिदायत होनी चाहिये, जांच होनी चाहिये। लेकिन यह भी नहीं होता। तो इस भावना को देखते हुये यह चीज लाई गई है और उसको आगे आ जाना चाहिये। इन शब्दों के साथ में माननीय सदस्य से कहूंगा कि दूसरी जगह पर उसको लायें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय कुरील जी और ब्रजविहारी मेहरोत्रा जी ने जो संशोधन पेश किया है उसकी भावना का मैं आदर करता हूं परन्तु मुझे दुख है कि इस संशोधन का मुझे विरोध करना पड़ रहा है। बात अपनी जगह पर बिलकुल सही है कि जो अधिकार ग्राम–समाज में भूमि प्रबन्धक कमेटी को मिले हुये हैं उनका इस्तेमाल बिलकुल नहीं होता है और उसमें बाधक होते हैं सरकारी अधिकारी, लेखपाल। जिसके पास लाठी है, वह जमीन पर कब्जा किये हुये है। भूमिहीन, गरीब और हरिजन उसके पास नहीं जा पाता है। अगर किसी ग्राम–समाज की भूमि प्रबन्धक समिति में कुछ तगड़ापन है और कुछ दावा वगैरा उसने किया तो जो सरकारी वकील है वह ग्राम-समाज की पैरवी नहीं करता है बल्कि दूसरी तरफ प्रतिवादी की पैरवी करने लग जाता है। नतीजा यह होता है कि वह मामला खारिज हो जाता है। कानूनगो और रेवेन्यू के दूसरे अधिकारी भी उसी तरह से पैसा लेकर प्रतिवादी के हो जाते हैं और भूमि प्रबन्धक कमेटी हार जाती है और जालिम जीत जाता है।

मेरा तजुर्बा है कि हर जगह जहां कहीं जमीन पर कब्जा है वह उनका कब्जा है जिनके पास पहले से जमीन है और जिनके पास लाठी है। मैं माननीय कुरील जी की भावनाओं का बड़ा आदर करता हूं कि जिला परिषद् में एक ऐसी कमेटी होनी चाहिये जो भूमि प्रबन्धक कमेटी के काम को देखे कि वह ठीक ढंग से कर पाती है या नहीं। अगर पक्षपात होता है तो उसे रोके। किसी उच्च अधिकारी के पक्षपात की वजह से या और किसी वजह से सुचारू रूप से काम नहीं हो पाता है तो वह हस्तक्षेप करें और जो भमि गरीब, भूमिहीन और हरिजनों को मिलने वाली है उनको ठीक ढंग से मिले। लेकिन इस संशोधन का उचित स्थान यह नहीं है जैसा कि माननीय रामदास जी आर्य ने बताया है कि आगे के खंड में वह जगह है जहां उसकी व्यवस्था हो सकती है कि इस किस्म की कोई कमेटी बनाई जाय। तो मैं माननीय कुरील जी से कहूंगा कि वह इसको वापस ले लें और उचित स्थान पर इसको लावें। इस जगह पर ऐसी चीज को लाने के कारण, बावजूद इसके कि वह उचित है, और जरूरी है हमें उसका विरोध करना पड़ता है।

श्री मुरलीधर कुरील—माननीय अधिष्ठाता महोदय, खंड ३५ के उप-खंड (३) में यह दिया हुआ है कि "यनाइटेड प्राविन्सेज पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ या, १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी कोई जिला परिषद् जिले के किसी गांव सभा से अपेक्षा कर सकती है कि वह अपने कार्यों में से किसी का भी समन्वय क्षेत्र समिति के उसी प्रकार के कार्यों से करे और तदुपरान्त गांव सभा और उसकी गांव पंचायत तथा भूमि प्रबन्धक समिति उस अपेक्षा की पूर्ति करेगी"। यहां पर यह जिक्र आया हुआ था भूमि व्यवस्था अधिनियम का कि अगर कोई जिला परिषद् इस तरह की इच्छा करती है या अपने यहां पास करती है या क्षेत्र समिति कोई बात पास करती है, भूमि के सम्बन्ध में तो उसकी पूर्ति गांव सभा या वहां की भूमि प्रबन्धक समिति करेगी। उसी को देखते हुये उसके बाद मैंने यह संशोधन रखा था और यह उससे थोड़ा सा लिंक करता हुआ है। वैसे जो यहां पर बातें कहीं गईं उनके द्वारा जो मेरी भावना थी उसका सभी ने समर्थन किया और सब लोग मानते हैं कि जो अधिकार गांव पंचायतों को दिये गये हैं वह कार्यान्वित नहीं हो रहे हैं और भूमिहीनों को भूमि नहीं मिल

रही है, यह सब मानते हैं। यहां अगर यह उपयुक्त नहीं बैठता है तो मैं इसको वापस लेने के लिये तैयार हूं। लेकिन आगे जहां पर धारा ६६ में समितियों की बात कही गई है वहां पर भी मेरा एक संशोधन है जिसके द्वारा मैंने कहा है कि भूमि प्रबन्धक समिति और वितरण समिति हो, तो वहीं पर यह मान लिया जाय, मैं तैयार हूं इसको वापस लेने के लिये। जो आज की स्थिति है अगर कोई उपाय नहीं किया जाता है तो आगे चलकर के मैं समझता हूं जितने भूमि सुधार सम्बन्धी नियम बन रहे हैं उनसे असली आदमी को फायदा नहीं हो रहा है, ऐसा मेरा खयाल है। इन शब्दों के साथ मैं इसको वापस लेता हूं।

खंड ३४—(क्रमागत)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ३४ के उप-खंड (१) के प्रतिबन्ध की पहली तथा दूसरी पंक्ति के शब्द "राज्य सरकार की स्वीकृति से" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ३४ का उप-खंड (३) निकाल दिया जावे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ३४ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३५—(क्रमागत)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ३५ में श्री मुरलीधर कुरील द्वारा प्रस्तुत निम्न संशोधन वापस लेने की अनुमति दी जाय:

खंड ३५ के उप-खंड (३) के पश्चात् नया उप-खंड (४) बढ़ा दिया जाय—

"उप-खंड (४)—जिला परिषद् एक भूमि प्रबन्धक तथा वितरण समिति का निर्माण करेगी जो परिषद् तथा क्षेत्र समिति तथा ग्राम सभा की तमाम कृषि योग्य तथा अन्य भूमि का वितरण तथा प्रबन्ध ग्राम समाज की रिपोर्ट लेकर करेगी।

(१) भूमि प्रबन्धक व वितरण समिति का निर्माण निम्नलिखित होगा —

(१) उपाध्यक्ष—अध्यक्ष

(२) परगनाधीश—सदस्य—जिस परगना की भूमि पर विचार किया जा रहा हो।

(३) जिला पंचायत अधिकारी—सदस्य व सचिव।

(४) जिले के विधान मण्डल के हरिजन सदस्य—सदस्य।

(५) जिले के विधान मण्डल के सदस्यों में से वह सदस्य जिसका क्षेत्र हो—सदस्य।

(६) जिला परिषद् के अपने सदस्यों में—दो सदस्य।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ३५ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३६, ३७ तथा ३८

गांव सभाओं द्वारा बनाई गई उप-विधियों तथा उनके कर संबंधी प्रस्तावों को स्वीकार करने का अधिकार

३६—यूनाइटेड प्राविन्सेज पंचायत राज्य ऐक्ट, १९४७ तथा तदन्तर्गत बनाई गई किसी नियमावली में अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी—

(क) जिले की किसी गांव सभा द्वारा उक्त ऐक्ट की धारा ३७ में वर्णित कोई कर अथवा उप-शुल्क (rate) आरोपित करने के लिये प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों को अनुमोदित और स्वीकृत करने का अधिकार तथा उक्त ऐक्ट की धारा १११ तथा ११२ के अधीन जिले के भीतर किसी गांव सभा के निमित्त उपविधियां बनाने और स्वीकृत करने का अधिकार, निश्चित्त दिनांक से, जिले की जिला परिषद् में निहित होगा और उसी को प्राप्त होगा, तथा

(ख) जिले के प्रत्येक गांव सभा के लिये, जब भी उसे जिले की जिला परिषद् ऐसी उपेक्षा करे, यह अनिवार्य होगा कि वह अपने द्वारा यूनाटेड प्राविन्सेज पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ के अधीन आरोपित करों और उप-शुल्कों से प्रति वर्ष हुई आय का तथा उक्त ऐक्ट के अधीन निर्मित उप-विधियों के प्रदर्शन के फलस्वरूप होने वाली आय का, उतना अंश जो नियमों द्वारा नियत किया जाय, उक्त जिला परिषद् को दे और इस प्रकार प्राप्त धनराशियां उस जिले की कुछ या समस्त गांव सभाओं की सामान्य लाभ के निमित्त ऐसे प्रयोजन के लिये तथा ऐसी रीति से प्रयुक्त की जायेंगी जो नियमों द्वारा नियत की जायें।

जिला परिषद् और क्षेत्र समितियों के क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में अपवाद

३७—इस अधिनियम में कोई बात—

(१) न तो किसी क्षेत्र समिति या जिला परिषद् को, उसके नियन्त्रण के बाहर के किसी अभिकरण द्वारा संपादित और अनुरक्षित किसी कार्य या संस्था के सम्बन्ध में कोई अधिकार प्रदान करेगी; और

(२) न किसी क्षेत्र समिति या किसी जिला परिषद् को, किसी नगर महापालिका, नगरपालिका, नोटीफाइड एरिया, छावनी या टाउन एरिया की सीमाओं के भीतर, किसी ऐसे अधिकार का प्रयोग करने का अधिकार देगी जो, यथास्थिति नगरमहापालिका, नगरपालिका बोर्ड, नोटीफाइड एरिया कमेटी, छावनी बोर्ड, जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य मजिस्ट्रेट या टाउन एरिया कमेटी में निहित हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि क्षेत्र समिति या जिला परिषद्—

(क) पूर्वोक्त सीमाओं के भीतर अपना कार्यालय रख सकती है;

(ख) पूर्वोक्त सीमाओं के भीतर, किसी स्कूल, पुस्तकालय, अस्पताल, औषधालय, निर्धन गृह, शरणालय, अनाथालय, निरीक्षण गृह या ऐसे अन्य निर्माण या संस्था का, जो एकमात्र पूर्वोक्त सीमाओं के भीतर रहने वालों के लाभार्थ अनुरक्षित न की जाती हो, निर्माण या अनुरक्षण कर सकती है और उस पर नियन्त्रण रख सकती है; और

(ग) पूर्वोक्त सीमाओं के भीतर कोई ऐसा कार्य कर सकती है जिस का करना इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिये आवश्यक हो।

३८—इस सम्बन्ध में बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुये क्षेत्र समिति या जिला परिषद्—

जिला परिषद् का अन्य प्राधिकारियों के साथ सहयोग करने तथा ऐसी संस्थाओं को, जिनका वह प्रबन्धन करती हो, सहायता करने का अधिकार

(क) किसी अन्य क्षेत्र समिति या जिला परिषद्, जैसी भी दशा हो, या अन्य स्थानीय प्राधिकारी के साथ ऐसे कार्यों या उपक्रमों (under takings) में सम्मिलित हो सकती है जिनसे उसके द्वारा तथा ऐसे प्राधिकारी द्वारा नियन्त्रित समस्त क्षेत्रों को लाभ पहुंचता हो ; और

(ख) ऐसे किसी कार्य में या संस्था को अंशदान दे सकती है जिससे यथास्थिति खण्ड या जिले को, लाभ पहुंचता हो, भले ही वह कार्य खण्ड या जिले के बाहर किया जाय या संस्था खण्ड या जिले के बाहर अनुरक्षित हो या वे किसी नगरमहापालिका, नगरपालिका, छावनी, नोटीफाइड एरिया या टाउन एरिया के क्षेत्र में हो ।

*श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि :—

खंड ३६ के उपखंड (ख) की पंक्ति ६ में शब्द "जिला परिषद् को" और शब्द "दे" के बीच में शब्द "ऋण रूप में" रख दिया जाय ।

खंड ३६ में जिसमें मार्जिन में हेडिंग दिया हुआ है "गांव सभाओं द्वारा बनाई गई उपविधियों तथा उनके कर-सम्बन्धी प्रस्तावों को स्वीकार करने का अधिकार" इस सम्बन्ध का प्राविधान किया गया है ।

(इस समय २ बज कर ६ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुये ।)

श्रीमन्, प्रस्तुत विधेयक के खंड ३६ के उपखंड (ख) के अन्तर्गत यह एक अनिवार्य रूप से हो जायगा कि कुछ आय जो ग्राम सभाओं को ऐक्ट या उपविधियों के अधीन होती हो उसका एक अंश जिला परिषद् प्राप्त कर लेंगे और फिर उन्हें किसी ऐसे प्रयोजन के लिये जो सरकार द्वारा नियत किये जायेंगे उसे दे देने के लिये भी इसमें प्राविधान है । लेकिन जरा यह देखा जाय कि इन ग्राम सभाओं को अभी तक कितनी कम आय हो सकी है । पंचायत राज ऐक्ट के अनुसार ग्राम पंचायतों को सीमित रूप से धन प्राप्त करने का अधिकार मिला है और यही वजह थी कि उनका कार्य उतने सुन्दर ढंग से नहीं हो पाया जितना कि हमने या सरकार ने भी सोचा था । उन्हें अभी तक नियोजन विभाग से ही कुछ अनुदान प्राप्त करके अपने निर्माण और विकास का कार्य करने पर आश्रित रहना पड़ा । इसके साथ-साथ उन्होंने जो कर लगाये उनकी वसूली करने में भी दिक्कतें आई क्योंकि उनके पास वसूल करने के साधन नहीं थे । और हुआ यह कि जितने कर उन्होंने लगाये उनका चतुर्थांश या अष्टमांश भी वह वसूल नहीं कर पाई । ज्यादातर ग्राम पंचायतों ने तो जब से संशोधन हुआ अपने लगाये हुये करों को माफ कर दिया क्योंकि आधार-रूप में यह विरोध किया गया कि पंचायतें एक नया कर लगा रही हैं जो अभी तक किसान देने के लिये बाध्य नहीं था । तो जब अभी तक इन पंचायतों के पास अधिक आय होने की आशा नहीं हुई है तो उनकी आय का कुछ हिस्सा ले लेने की शक्ति जिला परिषद् को क्यों दी जा रही है ?

श्रीमन्, समाजवादी दल की ओर से सरकार को एक सुझाव दिया गया था कि अगर इन ग्राम पंचायतों का वास्तविक सुधार वह करना चाहती है और आर्थिक रूप से उन्हें सक्षम बनाना चाहती है तो उन्हें किसी न किसी रूप में भूमि कर का कुछ हिस्सा मिल जाय : और इस संबंध में मूल्यांकन समिति जो गोविन्द सहायजी के सभापतित्व में बनी उसने भी बड़े अच्छे ढंग से सिफारिश की है कि कम से कम भूमि कर का चौथाई हिस्सा इन ग्राम सभाओं को मिलना चाहिये । इस हालत से ही इन ग्राम सभाओं के पास कुछ धन इकट्ठा हो सकेगा जिसके द्वारा वे अपने विकास आदि का कार्य करेंगी । लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इसको स्वीकृति प्राप्त नहीं हो पाई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

है और हम यह नहीं जान पाये कि सरकार किस प्रकार से इनको आर्थिक ढंग से सम्पन्न बनाने का विचार कर रही है । वह बात हो नहीं पाई । लेकिन जो उनकी आय है उसमें से भी कुछ अंश लेने का अधिकार सरकार ने अपने लिये सुरक्षित रखा है । इसका परिणाम यह होगा कि सरकार इनको भूखा मार डालेगी, वह तो ऐसे ही बे पैसे वाली है, जो कुछ भी धन किसी प्रकार से उनके पास इकट्ठा होगा उस को सरकार हड़प करने के लिये तैयार है और सरकार कहती है कि हम समस्त गांव सभाओं के समान लाभ के लिये उचित रीति से इसका उपयोग करने के लिये नियम बनायेंगे । हो सकता है कि सरकार जो नियम बनाये वह इस प्रकार के हों कि अलग-अलग गांव सभाओं के लिये हितकारी न हों । किसी गांव सभा ने अच्छी तरह से रुपया वसूल किया है और किसी ने कम वसूल किया है तो दोनों गांव सभाओं के लिये बराबर धन दिया जायगा । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि उनके वसूल किये हुये धन के अनुपात से उनको लाभ नहीं मिलेगा और भिन्न-भिन्न अनुपात से लाभ या हानि होगी । इस आशय से हम इसको अमान्य मानते हैं । लेकिन मैंने जो संशोधन रखा है, वह यह है कि अगर सरकार समान लाभ के लिये रुपया लेना चाहती है तो क्यों न कहे कि हम ऋण के रूप में लेना चाहते हैं और सरकार उसको अपने कोष में जमा नहीं कर सकेगी, उसका सामूहिक कोष न बना सकेगी बल्कि वह लिया ऋण होगा ।

श्री गोविंदसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मोतीलाल जी ने जो संशोधन उपस्थित किया है उसकी भावना की कदर करते हुये भी उसका समर्थन करने के लिये अपने को असमर्थ पाता हूं । मैं खंड (ख) का विरोध करता हूं, मेरा प्रस्ताव है कि यह निकाल दिया जाय । अगर अवस्थी जी का संशोधन स्वीकार करते हैं तो इसके माने यह होते हैं कि जिले की प्रत्येक गांव सभा के लिये, जब भी उससे जिले की जिला परिषद् ऐसी अपेक्षा करे, यह अनिवार्य होगा । मैं आगे का हिस्सा नहीं पढ़ता हूं । जो कर गांव सभा निर्धारित करेगी या टैक्स वसूल करेगी उसके लिये मैनडेटरी होगा कि उसका कोई अंश जो जिला परिषद् निर्धारित करेगी, उसको गांव सभा देगी । लेकिन मोतीलाल जी कहते हैं कि अगर सरकार यह व्यवस्था करती है कि जबरदस्ती गांव सभा की आमदनी जिला परिषद् को दिलाई जाय तो वह यह चाहते हैं कि वह मुफ्त न दी जाय बल्कि ऋण के रूप में दी जाय । इसमें एक दिक्कत पड़ती है कि ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता जिसमें यह कहा जाय कि जबरदस्ती किसी को कर्जा देना पड़ेगा । यहां पर अनिवार्य शब्द के रहने से भी दिक्कत होती है । इसलिये वह कहें कि अनिवार्य शब्द हटा दिया जाय तब तो ठीक है और आपस में गांव सभा व परिषद् दोनों के अधिकारी तय करें कि क्या गांव सभा के पास ज्यादा धन है जो ऋण देना उचित है और जो वह उचित समझें उतना ऋण दे दिया जाय । यह ऋण ठीक हो सकता है क्योंकि कर्ज के बारे में किसी पर जबरदस्ती नहीं की जा सकती है ।

दूसरी बात जहां तक इस खंड का ताल्लुक है, इसमें यह व्यवस्था की गई है कि गांव सभायें पैसा इकट्ठा करके परिषदों के लिये दें । अगर इस खंड को निकाला जाय तो मंत्री जी कहेंगे कि परिषद् कैसे चलेंगे, कहां से पैसा लायेंगे, लेकिन मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इसके लिये व्यवस्था हो सकती है और मुझे याद है कि एक दो बिल जिला परिषद् संबंधी अन्य प्रदेशों में बने हैं, उनमें व्यवस्था की गई है कि लैंड रेवेन्यू जो सरकार वसूल करती है उसका एक हिस्सा परिषद् को दे दिया जाय तो इस प्रकार उनके फंड्स पूरे हो जायेंगे, वरना हर स्टेज पर मल्टिपिल टैक्सेज लगाना कितना गलत होगा । गांव सभा एक टैक्स लगाये, क्षेत्र समिति एक टैक्स लगाये, इसके बाद परिषदों को भी अधिकार टैक्स लगाने के हैं और उसके बाद सरकार टैक्स लगाये । एक ही आदमी पर सर्कम्सटैंसेज ऐण्ड प्रापर्टी टैक्स हर स्तर पर लग सकता है । इससे जनता कराह उठेगी । सवा-तीन अरब के ऊपर प्रान्तीय सरकार पर कर्जा है । बारह चौदह वर्ष पहले जो बजट २६ करोड़ का था वह मार्च में हमने १३३ करोड़ का पास किया । उसमें चार करोड़ हाल में और बढ़ गया । माननीय

मंत्री जी ने कहा कि एक दिसम्बर जनवरी में भी सप्लीमेंटरी बजट आ रहा है, वह भी आठ-दस करोड़ का होगा। गरज यह कि १४७ करोड़ के करीब बजट हो जायगा। हम यह सब कहां से लेते हैं? उसी जनता से। इतना ज्यादा टैक्सेशन है! उसी जनता पर जिला परिषदें, गांव सभाएं और क्षेत्र समितियां टैक्स लगाएं, तो टैक्स पेयर रहेगा या खत्म हो जायगा? वही हालत है कि यह last straw on camel's back है। ऊंट की पीठ पर इतना लाद दिया गया है कि अगर एक तिनका और रख दिया जायगा तो उस टैक्स देने वाले ऊंट की कमर टूट जायगी। अगर आप विकेन्द्रीकरण की बातें करते हैं तो पैसे का भी विकेन्द्रीकरण होना चाहिये, यह नहीं कि अपना टैक्स सब वसूल कर लेंगे और अपने नीचे की संस्थाओं को केवल अधिकार दे देंगे कि तुम भी टैक्स लगा दो। इतना ज्यादा टैक्सेशन न बढ़ाएं। इसलिये माननीय मंत्री जी खंड ३६ के उप-खंड (ख) को निकालने का हमारा प्रस्ताव मानें और अपनी आमदनी में से गांव सभाओं और जिला परिषदों को हिस्सा दें।

*श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न यह उठा रहा हूं कि अभी पूर्व वक्ता ने उप खंड (ख) को निकाल देने के लिये जो कहा है वह संशोधन १४८ नम्बर पर है। तो उनका कहना कहां तक उचित था, यह भी व्यवस्था करके देख लें।

श्री उपाध्यक्ष—मैंने समझा कि उनकी तरफ से उन्होंने पेश किया है। ठीक है वह पेश हो गया। आप लोग भाषण कर लीजियेगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ३६ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय—

"प्रतिबन्ध यह है कि यूनाइटेड प्राविन्सेज पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ की धारा ३७ (सी) (३) के अन्तर्गत किसी ग्राम सभा द्वारा किसी कर या उप-शुल्क में पूर्णतः या अंशतः छूट देने के गांव सभा के निर्णय को अनुमोदित करने का अधिकार नहीं होगा।"

श्रीमन्, ३६ (क) और (ख) की व्याख्या की जा चुकी है और उससे देखा गया है कि सरकार इन गांव सभाओं की आयों का कुछ हिस्सा लेने का प्रयत्न कर रही है। लेकिन देखा यह गया है कि गांव सभायों का पंचायत राज ऐक्ट की धारा ३७(सी) (३) के अन्तर्गत किसी भी कर या शुल्क की पूर्णतया या अंशतया छूट दे दे और यह निर्णय वह अपनी गांव सभा के निर्णय के अनुसार करती है तो ऐसी हालत में, धारा ३६ के खंड (ख) के द्वारा जहां उनसे आय का कुछ अंश लेने की भावना है वहां हमें शंका पैदा होती है कि जो गांव सभायें अपने यहां पूर्ण रूप से छूट देने की बात तय कर चुकी हैं उन्हें सरकार दुबारा फिर बाध्य करेगी कि वह फिर टैक्स लगावें और जनता से वसूल करें। तो इसमें एक प्रतिबन्ध यह लगाया गया है कि वह इस प्रकार के करों को फिर लगाने के लिए अधिकृत न हो। इस प्रकार के निर्णयों को अननुमोदित करने का अधिकार उसे न हो और वह उसके फैसले को उलट न सकें।

श्रीमन्, पंचायत राज ऐक्ट के पास होने के साथ-साथ हमारे समाजवादी दल की तरफ से उसके प्रति एक विशेष हमारी नीति रही है। हम लोगों ने पंचायत राज ऐक्ट के अन्तर्गत लगाये हुए टैक्सों का विरोध किया है और इस आधार पर किया है कि ग्राम पंचायतों को जनता से अधिक टैक्स लेने का कोई भी अधिकार नहीं है जब तक कि वह भूमिकर या आबपाशी कर जो पहले से बढ़ा दिये गए हैं उसमें कमी नहीं की जाती। इन पंचायतों का नया टैक्स लगाना और ऐसी हालत में लगाना कि जहां गांवों में वह टैक्स लोगों को स्वीकार न हो और भी हमको अमान्य है और अपनी इस नीति के फलस्वरूप जगह-जगह हमने इन टैक्सों के अमानुषिक रूप में वसूल किये जाने का विरोध भी किया है। उस विरोध करने के कारण हमारे साथ बहुत सी जगहों पर बड़ा दुर्व्यवहार भी किया गया है, लोगों की कुर्कियां इत्यादि हुई हैं। इसका हम लोगों ने घोर विरोध किया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

आज हम देखते हैं कि हमारे इस आन्दोलन के फलस्वरूप इन अमान्य टैक्सों की वसूलयाबी कहीं-कहीं रोक दी गई और कहीं-कहीं इन शुल्कों और करों को पूर्ण रूप से छोड़ भी दिया गया है, यह छोड़ देने का अधिकार सरकार ने स्वीकार भी कर लिया। सरकार ने संशोधन उपस्थित किया जिसके फलस्वरूप इन ग्राम पंचायतों को यह अधिकार मिल गया कि वह अपने लगाये हुए करों और उपशुल्कों में चाहें तो अंशतः या पूर्णतः छूट दे दें। यह अधिकार मिलने पर बहुत-सी ग्राम पंचायतों ने उसका उपयोग भी किया है। अब यह जो हमारा जिला परिषद् अधिनियम बनने जा रहा है उससे सरकार को यह अधिकार मिल जायगा कि वह हर ग्राम पंचायत से इस प्रकार की आय प्राप्त करने के लिए कुछ रुपया वसूल कर लेगी जिससे उन ग्राम पंचायतों को दिक्कत पड़ेगी जो अपना टैक्स छोड़ने के लिये तय कर चुकी हैं। इसलिये यह प्रतिबन्ध बढ़ाना आवश्यक है कि ऐसी ग्राम पंचायतों के द्वारा जिन्होंने अपने टैक्स छोड़ने का निश्चय कर लिया हो, किये गए निश्चय को वह अननुमोदित न कर सकें। इससे इन संस्थाओं को स्वतंत्रता मिलेगी कि वह जहां जिस समय उचित समझें छूट दे सकें और उनके निर्णय को कोई सरकारी संस्था ऊपर से बदल न सके, उनके ऊपर अपनी राय लादे नहीं। सरकार उनकी राय की कदर करे और उनके ऊपर यह बाध्यता न लावें कि वह दफा ३६ (ख) में उनको आय का हिस्सा देना ही पड़े। जब तक यह दफा ३६ (ख) रहेगी तब तक देना ही पड़ेगा क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि ऐसे प्रयोजनों के लिये ऐसे रूप से प्रयुक्त किया जायगा तो नियमों द्वारा नियत किया जावे। वह एक कोई यह तय कर लेंगे कि फलां सड़क इस गांव से निकालनी है और इसके लिए तुमको पांच सौ रुपया देना पड़ेगा। अब अगर उनके कोष में रुपया न हो तो बलात् वह टैक्स लगावें और रुपया उनको दें। इससे ग्राम पंचायतों की स्वतंत्रता पर आघात पहुंचता है। मैं प्रार्थना करूंगा सरकार से कि इसको वह समझ ले और उनको मिली हुई इस स्वतंत्रता पर अपघात न करे ताकि वह स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें और उनको यह देना अनिवार्य न हो।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन कि खंड ३६ का उप-खंड (ख) निकाल दिया जाय प्रस्तुत किया गया है इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। सदन में इस बात की बराबर मांग की गई है कि हमारे गांव सभाओं के पास धन की कमी है और उनका कोष अधिक होना चाहिये। हमारे प्रजातंत्र की सब से बुनियादी और छोटी इकाई जो है उसकी इतनी क्षमता होनी चाहिये कि गांव के विकास सम्बन्धी जितने काम हैं उनको आसानी से वह कर सके। इसलिये बराबर यह कहा जाता रहा है कि सरकार जितना लैंड रेवेन्यू वसूल करती है उस लगान का कम से कम २५ फीसदी हिस्सा वह गांव सभाओं को दे। जब विकास कार्य, नियोजन के सम्बन्ध में और खंडों के संचालन के सम्बन्ध में सरकार ने एक मूल्यांकन समिति का निर्माण किया.....

श्री मोतीलाल अवस्थी—कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री चन्द्रजीत यादव—इस समिति के अध्यक्ष श्री गोविन्दसहाय थे और उसने इस बात की सिफारिश की कि लैंड रेवेन्यू का २५ फीसदी हिस्सा गांव सभाओं को दिया जाय ताकि वे विकास कार्यों को आसानी से कर सकें। लेकिन इस जिला परिषद् के अन्दर जब इस व्यवस्था को मैंने देखा तो मेरी उस धारणा की और पुष्टि हो गई जो प्रारम्भ में हमारी तरफ से आरोप लगाया गया था कि इस विधेयक को पेश कर के सरकार अपनी विकेन्द्रीकरण की नीति से पीछे जा रही है और सरकार केन्द्रीकरण की तरफ बढ़ रही है। इस बात की व्यवस्था इसमें की गई है कि गांव सभा की जो भी थोड़ी बहुत आय होती है कर और शुल्क के द्वारा उस सम्बन्ध में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिला परिषद् को अधिकार होगा कि सारी की सारी आय या उसमें से एक हिस्सा वह अनिवार्य रूप से ले ले और यह आवश्यक नहीं है कि वह धन उस गांव सभा के सार्वजनिक कार्यों में खर्च हो, बल्कि जिले की किसी गांव सभा में खर्च किया जा सकता है। इससे इस बात की शंका पैदा होती है कि किसी गांव सभा के लोग स्वतंत्ररूप से कार्य कर रहे हैं और वहां के अधिकारियों के नियंत्रण में वे नहीं रहते तो उस गांव सभा के रास्ते में अड़ंगा डालने के लिये उनके कोष को लेकर किसी ऐसी गांव सभा के ऊपर खर्च किया जा सकता है जिसके प्रधान तथा लोग सरकार के इशारे पर चलते हों। जिला परिषद् का जो स्वरूप होगा उसे हम जानते हैं। उसमें प्रत्येक चुने हुए लोग नहीं होंगे। उसमें इस ढंग से चुनकर लोग आयेंगे जिनके ऊपर शासन का प्रभाव होगा। लेकिन गांव सभा के अन्दर सीधे चुने हुये लोग होंगे और वह प्रजातंत्र के स्वरूप में सबसे छोटी इकाई है और वह अपने भाग्य तथा स्वरूप का निर्णय कर सके यह चीज हम गांव सभा के अन्दर कर सकते हैं लेकिन उससे यह अधिकार लेना और छीनना घोर अन्याय होगा।

मैं अवस्थी जी के संशोधन का समर्थन करने में अपने को असमर्थ पाता हूं। उन्होंने देखा कि सरकार उतारू है इस स्वरूप को पास कराने के लिये तो यह सोचा कि सारा धन लेकर जिला परिषद् अगर खर्च कर दे तो इससे अच्छा होगा ऋण के रूप में वह ले ताकि वापस कर दे, लेकिन माननीय अवस्थी जी जानते हैं कि जिला परिषदों का जो रूप रहा है, जो अनुभव है उनके कामों का वह यही है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या टाउन एरिया जो कर्ज लेते हैं उसको वापस करने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि उनकी आमदनी बहुत कम होती है। अगर गांव सभा से एक बार कर्ज ले लिया तो वह कर्ज वापस हो सकेगा इसमें मुझे सन्देह है।

दूसरी बात यह है कि ऋण अनिवार्य रूप से लिया जायगा। इस प्रकार का कानून लड़ाई के जमाने में तो बन सकता है लेकिन आज जब प्रजातंत्र का स्वरूप हमारे सामने है, हम यह दावा पेश करते हैं कि हम अपनी सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने जा रहे हैं और नियोजन के कामों को छोटी इकाइयों तक बांटना चाहते हैं और जनता के द्वारा कराना चाहते हैं तो इस तरह का कर्जा अनिवार्य रूप से लेना प्रजातंत्र के साथ एक बड़ा घात होगा।

तीसरे इस संशोधन के जरिये एक मांग यह भी है कि इस धन को बिलकुल निकाल दिया जाय। एक तरफ तो अधिक से अधिक फंड देने की कोशिश की जाती है और दूसरी तरफ जो कुछ आमदनी है उनको उसे निकालने की कोशिश की जाती है। एक हाथ से देना और दूसरे हाथ से लेना यह नीति समझ में नहीं आती। माननीय मंत्री जी को स्वयं इस बात का गर्व है और अक्सर वे कहा करते हैं कि वे विकेन्द्रीकरण में विश्वास करते हैं और वे यह चाहते हैं कि उनके शासन की इकाइयां मजबूत हों। लिहाजा अपने मंत्रित्व काल में वे इस बात की व्यवस्था कर दें कि अगर गांव सभाओं के फंड को बढ़ा नहीं सकते हैं तो कम से कम उनके कोष से वे रुपया लेने की भी कोशिश न करें।

श्री अमरनाथ—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विष्ट जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करूंगा। इस धारा में जिला परिषद् को यह अधिकार दिया जा रहा है कि गांव सभा के ऊपर यह अनिवार्य करें कि वह अपने फंड से इतना अंश जिला परिषद् को दे....

श्री मोतीलाल अवस्थी—मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जो हमारे पूर्ववक्ता कह रहे हैं कि विष्ट जी द्वारा प्रस्तावित यह संशोधन है, तो ऐसी बात नहीं है। विष्ट जी इसे प्रस्तावित करने के लिये खड़े नहीं हुये थे और न मालूम यह होता है कि यादव जी की तरफ़ से यह प्रस्तावित किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष—मैंने कह दिया कि विष्ट जी खड़े हुये थे। उन्होंने कहा कि मैं उप-खंड (ख) को निकालने का प्रस्ताव पेश करता हूं। मैंने समझा कि भीखालाल जी खड़े नहीं हुये, उनकी तरफ से उन्होंने पेश कर दिया और इस तरह वह पेश हो चुका।

श्री अमरनाथ—मैं कह रहा था कि गांव सभा के लिये जिला परिषद् यह अनिवार्य करे कि वह अपने फंड से इस प्रकार का अंश दे कि जो राज्य सरकार नियमों द्वारा व्यवस्था करेगी और वह किस प्रयोजन से खर्च होगा यह राज्य सरकार नियमों द्वारा व्यवस्था करेगी। इसमें यह भी है कि जिला परिषद् उस धन को इकट्ठा करके समस्त गांव सभाओं के लिये खर्च कर सकती है और कुछ गांव सभाओं के लिये खर्च कर सकती है। ठीक है, बात तो बड़ी सुन्दर है कि वह कुछ के लिये भी खर्च कर सकती है और समस्त के लिये भी, मगर मुझे यह भय है कि जो शब्द कुछ रखा गया है उसके साथ ही यदि यह भी रख दिया जाता कि यह गांव सभाओं की इच्छा पर होगा कि वह धन दें या न दें और दूसरे यदि यह होता कि वह किन-किन प्रयोजनों में खर्च करेंगे, इसकी व्यवस्था ऐक्ट में हो जाती तो मैं इस उपधारा का समर्थन करता। लेकिन यह किस प्रयोजन में खर्च होगा इसकी कोई व्यवस्था इस विधेयक में नहीं दी गयी है और हो सकता है कि किसी गांव सभा में ऐसे व्यक्ति आ गये हों कि जो सरकार के नियन्त्रण में न हों, सरकार की इच्छा की पूर्ति न करते हों, इसलिये हो सकता है कि उनको गांव सभाओं में यह धन खर्च न किया जाय और जो गांव सभा के लोग सरकार की इच्छा के मुताबिक काम करने वाले हों उनके लिये यह धन खर्च हो।

जब हम जानते हैं कि पंचायतराज ऐक्ट के अन्तर्गत गांव सभा का फंड बना हुआ है और स्वयं उनको इतनी धन की कमी है कि वे अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं कर पाते तो जिला परिषदों को उसमें से हिस्सा देना कहां तक न्यायोचित है। अगर उनको सरकार अपने अंश से कुछ दे तो ठीक होता। सरकार से इस बात की बार-बार मांग भी की गयी है। जहां सही या ग़लत, सब तरीकों से खर्च किया जाता है वहां ये गांव पंचायतें जनता की इकाइयां हैं स्थानीय स्वशासन की और उन्हीं के स्तर पर हम सीधे विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं, तो उनके फंड लेकर उनके कामों में बाधा पहुंचाना और पालिटिक्स की बात करना ठीक नहीं होगा। इस उप-खंड से हमें खतरा महसूस होता है और यह उनके कर्त्तव्यों में बाधक होगा। इसलिये मैं इसका समर्थन नहीं करता और विष्ट जी के संशोधन का समर्थन करता हूं। मोतीलाल जी ने जो संशोधन दिया है उसका यह उचित स्थान नहीं है और इसलिये मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो ३६ का (ख) है और जिसके द्वारा सरकार यह अधिकार दे रही है कि गांव सभायें जो टैक्स वसूल करेंगी उसके किसी अंश को जब चाहे तो परिषद् ले सकती है और परिषद् को इस खंड द्वारा यह अधिकार सरकार दे रही है, मैं समझता हूं कि यह खंड इस विधेयक के विकेन्द्रीकरण का जो नियम है उसके प्रतिकूल है। यह मानी हुई बात है कि प्रत्येक गांव पंचायत को जो टैक्स वसूल करने का अधिकार दिया गया है उससे जनता में बहुत असंतोष था और मैं समझता हूं और देखता हूं कि शायद ही १०, २० प्रतिशत गांव सभायें ऐसी हों कि जो पूरा टैक्स वसूल करने में समर्थ हुई हों। ८० फीसदी गांव सभायें ऐसी हैं कि जो पूरा टैक्स वसूल करने में समर्थ नहीं हुई। देखा जाय कि गांव सभाओं को सरकार की ओर से क्या साधन दिये गये हैं।

श्रीमन्, आपकी जानकारी में होगा कि गांव सभाओं को कहा जाता है कि पुल बनाओ, पंचायतघर बनाओ, गांव में रोशनी का इंतजाम करो। गांव में पाखाने का इन्तजाम करना, पानी का इन्तजाम करना आदि सारे कामों का इंतजाम करना गांव सभा के सिपुर्द होते हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि जो काम गांव सभा को करने पड़ते हैं वही काम परिषद् के भी सिपुर्द हैं, उसको भी वही काम करने पड़ते हैं। इस बिल से भी वही प्रतीत होता है कि परिषद् को वही करने पड़ेंगे जो कि गांव सभा को करने होते हैं। सूबे की सरकार, जिसके मन्त्री जो मालिक हैं, को भी वही काम करने पड़ते हैं, भारत सरकार को भी वही काम करने पड़ते हैं। माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वे कोई आदर्श इस प्रदेश की किसी परिषद् का बता दें जिसने गांव में रोशनी का प्रबन्ध किया हो, वहां के लिये बच्चों की पढ़ाई का इन्तजाम किया हो, वहां पाठशालायें खोली हों, क्या काम यह परिषदें करती हैं? यह सब काम तो गांव सभा को ही करने होते हैं।

गांव में ८० फीसदी प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चों के बैठने तक का प्रबन्ध नहीं है। गांव में बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहां कि गांव सभा ने आपस में चन्दा करके बनाये हैं। साथ ही परिषद् कुछ सहायता जरूर देती है। तो आप इसके द्वारा परिषद् को यह अधिकार देना चाहते हैं कि वह उसी कोष में से उसको छीने। श्रीमन्, यह बड़ी खराब बात है कि जिसके पास आमदनी के कोई साधन नहीं हैं, जो गरीब लोगों की खेती पर या इक्के वालों पर और मामूली दूकानदारों पर टैक्स लगाती है, और उसी काम को करना चाहती है जिसे परिषद् करती है, तो उनके अधिकार को क्यों छीना जाता है। हम बहुत दिनों से यह नारा लगाते रहे हैं कि सरकार को किसी तरह से गांव सभाओं को अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा देना चाहिये। मैं जानना चाहूंगा कि जब सरकार परिषद् को सहायता देती है, शिक्षा के लिये सहायता देती है, सड़कों के लिये सहायता देती है, तो गांव सभा को पैसा न देकर और उनके कोष से ही पैसा लेने की बात कहां तक ठीक है? मैं शर्मा जी से निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो अंश है, जिसमें इस प्रकार का अधिकार दिया जा रहा है, उसे निकाल दिया जाय। अगर आप इसे नहीं निकालेंगे तो आगे चल कर थोड़े दिन बाद ही आपको अमेन्डमेन्ट लाना पड़ेगा। इसलिये इसको आप निकाल दें।

*श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, मैं आपके द्वारा अपनी स्थिति को स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं नहीं समझ पाया कि विरोधी पक्ष की तरफ से जो बात कही जा रही है और जो उस तरफ से कही जा रही है उसमें कहां अन्तर है? मुझे कहीं कोई अन्तर दिखाई नहीं पड़ता। मैं यह समझता हूं कि गांव सभा के पास आय के इतने साधन नहीं हैं, उसकी आय इतनी नहीं है कि उससे आप कुछ लें। उनकी तो आय इतनी कम है कि वे उससे अपने विकास के कामों को कर ही नहीं पातीं। फिर आगे यह स्थिति है कि वह जब कभी अपनी आय के लिये टैक्स लगाती है तो बोर्ड उनका विरोध करते हैं इस आधार पर कि उन पर पहले से ही टैक्स अधिक लगा हुआ है और इस आधार पर जब ग्राम पंचायतों के टैक्सेशन की वसूलयाबी में सख्ती हुई तो विरोध हुआ, कुर्की, नीलाम, जब्ती हर प्रकार से लोगों को तबाह किया गया, हमारे समाजवादी कार्यकर्ताओं के घर के माल जब्त हुये, कुर्कियां हुईं, नीलाम किये गये लेकिन उन्होंने इस तरह के नाजायज टैक्स को देना स्वीकार नहीं किया। जब स्थिति यह है कि जनता टैक्स देने को तैयार नहीं है, ग्राम पंचायतें टैक्स वसूल नहीं करतीं और न वसूल करने की स्थिति में अब यह कर दिया है कि चाहे तो सरकार माफी कर सकती है, गो कि यह पहले नहीं था।

दूसरी बात अब यह चाहते हैं कि ग्राम पंचायतों से इसका कुछ अंश लेकर के उनके सामान्य लाभ में सरकार खर्च करेगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह तो सरकार धोखा देने के लिये ऐसा कहती है और यदि कहती है तो उसको जैसा मैं कहता हूं कि कर्ज के रूप में हमारा अमानत में रुपया जमा रहे। जिस अनुपात में रुपया लिया जाय उसी अनुपात में वह खर्च भी कर दिया जाय, जिस अनुपात में वह प्राप्त हुआ था। मैं समझता हूं कि हमारे साथी भी पसन्द करेंगे कि सरकार कुछ हिस्सा भूमि-कर में से ग्राम पंचायतों को दे। मैंने कई तरीके से सरकार को बाध्य किया कि भूमि-कर का चौथाई हिस्सा ग्राम सभाओं को दे उनकी आमदनी बढ़ाने के लिये। लेकिन सरकार की तरफ से कोई घोषणा नहीं हुई। कुछ समय पूर्व मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि यह सम्भव हो सकता है कि आगे चल कर सरकार कुछ विचार करे कि कुछ हिस्सा भूमिकर का उनको दिया जाय लेकिन यह कब करेंगे, सन् १९६७ में करेंगे? १९६२ में तो होने वाला नहीं है, १९६२ के पहले होने की तो कोई आशा दिखाई नहीं पड़ती। विरोधी पक्ष के लोगों का भी यही मकसद है और मैंने जो संशोधन रख है उसमें कोई उनका विरोध नहीं करना है, केवल अपने मत को स्पष्ट करने के लिये यह प्रतिबन्ध रखा है।

श्री जयराम वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, खंड ३६ के भाग (ख) में यह व्यवस्था की गयी है कि गांव सभाओं के कार्यों से या विधियों के प्रवर्तन से जो आमदनी होती है उस आमदनी में से उतना अंश जो नियमों द्वारा नियत किया जाय, जिला परिषद् के अपेक्षा करने पर जिला

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जयराम वर्मा]

परिषद् को दे और यह जो रुपया मिलेगा वह रुपया नियत रीति से सब गांव सभाओं के सामान्य लाभ में खर्च किया जायगा। यह जरूरी नहीं है कि उनसे कोई रकम ले ही ली जाय। इसमें स्पष्ट है कि जो नियम द्वारा नियत किया जायगा उतना अंश लिया जायगा अ र यह नियम द्वारा नियत न हो तो नहीं लिया जायगा और जो रुपया मिलेगा भी वह भी उन्हीं गांव सभाओं के लाभार्थ नियत रीति से खर्च किया जायगा, इसमें कोई आशंका की बात नहीं है। सिर्फ एनेब्लिंग व्यवस्था रखी गयी है कि जब जरूरत हो तो उसका उपयोग हो सके। मैं इस बात को मानता हूं कि गांव सभाओं की आमदनी कम है और यह बढ़नी चाहिये। इसको पहले भी कहा जा चुका है कि इस बात पर सरकार विचार कर रही है कि भूमि-कर का कोई हिस्सा गांव सभाओं को मिल सके। इस पर विचार हो रहा है, हो सकता है कि इस पर जल्दी निश्चय हो जाय।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या श्रीमान् जी, सन् १९६२ के पहले हो पायेगा?

श्री जयराम वर्मा--आप श्रीमान् माननीय सदस्य चाहेंगे कि न हो, क्योंकि हम करेंगे तो यह कहेंगे कि वोट लेने के लिये कर रहे हैं।

अब यह जो संशोधन रखा गया है कि गांव सभाओं से रुपया लिया जाय तो ऋण के रूप में लिया जाय, तो उसकी क्या जरूरत है? अगर उनके लाभ के लिये खर्च करना है तो उनसे ऋण लेने की क्या जरूरत है? अगर आमदनी कम हो तो नहीं लिया जायगा, कोई अंश मुकर्रर नहीं किया जायगा।

कुछ माननीय सदस्यों को कदम-कदम पर आशंका पैदा हो रही है। कभी अध्यक्ष के ऊपर, कभी उपाध्यक्ष के ऊपर अ र कभी अध्यक्ष को अधिकार दिया जाय कि गांव सभाओं के कर को स्वीकृत करने का अधिकार उनको हो या छूट देने का अधिकार हो, तो उनको शंका है, माननीय अवस्थी जी का संशोधन इसके बाद में है। अब तक व्यवस्था यह थी कि जो कर या शुल्क लगेगा उसको एक तो राज्य सरकार अपने अधिकार से छूट दे सकती है या नियत अधिकारी किन्हीं परिस्थितियों में दे सकता है और ३७-सी की मद (३) में यह व्यवस्था है कि अगर गांव सभा इस तरह का प्रस्ताव पास करे कि वह लगाये हुये अपने टैक्सों में कुछ जोड़ना चाहती है तो वह प्रस्ताव तभी लागू होगा जब नियत अधिकारी उसको अनुमोदित कर दे। अब उसकी जगह हम जिला परिषद् को रखना चाहते हैं। उनको यह पसन्द नहीं है, वह चाहते हैं कि चुने हुये व्यक्ति के हाथ में वह अधिकार न रहे बल्कि अधिकारी के हाथ में ही अधिकार रहे। यह कुछ समझ में नहीं आता। कोई खराब व्यवस्था नहीं की जा रही है। इस तरह से बगैर पढ़े हुए विरोध करने की भावना से कुछ न कुछ कह दिया जाता है, उसको हम मान नहीं सकते। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री गोविंदसिंह बिष्ट--हमारा एक संशोधन था।

श्री जयराम वर्मा--वह तो बताया कि एनेबिलिंग है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३६ के उपखंड (ख) की पंक्ति ६ में शब्द "जिला परिषद् को" और शब्द "दे" के बीच शब्द "ऋण रूप में" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३६ का उप-खंड (ख) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३६ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जावे —

"प्रतिबन्ध यह है कि यूनाइटेड प्राविन्सेज पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ की धारा ३७-सी (३) के अन्तर्गत किसी ग्राम सभा द्वारा किसी कर या उपशुल्क में पूर्णतः या अंशतः छूट देने के गांव सभा के निर्णय को अनुमोदित करने का अधिकार नहीं होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३६, ३७ तथा ३८ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ —

पक्ष में – ५१,
विपक्ष में – १५।)

खण्ड ३९

जिला परिषद् के अधिकारी तथा सेवक

१—प्रत्येक जिला परिषद् में अधिकारियों के निम्नलिखित पद होंगे —

(१) मुख्य कार्याधिकारी,
(२) वित्त अधिकारी,
(३) स्वास्थ्य अधिकारी,
(४) कृषि अधिकारी,
(५) अभियन्ता,
(६) कर अधिकारी,
(७) शिक्षा अधीक्षक,
(८) पंचायत राज अधीक्षक, तथा
(९) सिंचाई अधीक्षक।

२—जिला परिषद् ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जो नियत की जायं, अपने कार्यों के संबंध में, ऐसे अन्य अधिकारियों (जिनके अन्तर्गत कार्याधिकारी, अतिरिक्त अभियंता तथा अतिरिक्त स्वास्थ्य अधिकारी भी हैं) तथा सेवकों के पद सृजित कर सकती है, जो नियमों द्वारा नियत किये जायं अथवा जिनका नियोजन (employment) परिषद् के संकल्प द्वारा अपेक्षित हो :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य सरकार इस आशय का आदेश दे कि जिला परिषद् कोई पद सृजित करे, तो जिला परिषद् के लिये ऐसे पद का सृजन करना अनिवार्य होगा और उक्त पद राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना समाप्त नहीं किया जायगा।

३—राज्य सरकार के अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट (नियोजन) या जिला नियोजन अधिकारी, जैसी भी दशा हो, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, विद्यालय उप-निरीक्षक, सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी, ज्येष्ठ यंत्र निरीक्षक (लघु सिंचाई कार्य), सीनियर मेकेनिकल इन्सपेक्टर (माइनर इरिगेशन), ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जो नियत की जायं, जिला परिषद् के अधीन क्रमशः मुख्य कार्याधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, कृषि अधिकारी, शिक्षा अधीक्षक, पंचायत राज अधीक्षक तथा सिंचाई अधीक्षक के पद भी धारण करेंगे।

श्री अमरनाथ—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है :—

"खंड ३९ का उप खंड (१) के भाग (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"सचिव"।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन को इसलिये पेश कर रहा हूं कि 'कार्याधिकारी' शब्द से नौकरशाही का आभास होता है इसलिये उसके स्थान पर 'सचिव' रखना चाहता हूं। राज्य सरकार में सचिव शब्द प्रयुक्त होता है और दूसरे स्थानों पर भी इसका प्रयोग होता है। कार्याधिकारी शब्द से मातहती की भावना टपकती है। यद्यपि वह परिषद् के मातहत होगा लेकिन उससे नौकरशाही की ध्वनि निकलती है इसलिये उसके स्थान पर 'सचिव' रख दिया जाय।

(श्री जयराम वर्मा के खड़े होने पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय—माननीय मंत्री जो जो संशोधन पेश कर रहे हैं उसकी नकल हमें मिलनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—वह मैं आपके पास भेज दूंगा।

श्री जयराम वर्मा—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३९ के उप-खंड (१) में वर्तमान मद ५ से ९ तक की संख्या बदल कर क्रमशः ६ से १० तक बढ़ा दी जाय तथा एक नयी मद (५) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दी जाय :

"(५) कार्याधिकारी।"

तथा

खंड ३९ के उप-खंड (२) की दूसरी पंक्ति में शब्द 'कार्याधिकारी' निकाल दिया जाय।

श्रीमन्, माननीय सदस्यों ने अपने-अपने बहुत से संशोधन इसके बारे में दिये हैं। इसमें ९ अधिकारियों का उल्लेख है, इसमें एक और बढ़ाने का प्रस्ताव किया जा रहा है। अभी तक अन्तरिम जिला परिषद् में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का सेक्रेटरी था और जैसा कि हम व्यवस्था कर रहे हैं उससे आज भी वह रहेगा। उसका उल्लेख खंड ३९ के उप खंड (२) में था लेकिन कार्याधिकारी और अभियंता का उल्लेख तक नहीं था। आज तक जैसी व्यवस्था है कार्याधिकारी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का सबसे बड़ा अधिकारी था, उसका नाम छूट गया था, उसका नाम उप खंड (१) में जोड़ दिया गया है।

उपखंड (२) में उन पदों का उल्लेख है जिन पदों का सृजन करना जिला परिषद के हाथ में होगा। उप खंड (२) में पहले कार्याधिकारी का उल्लेख था, मैंने यह संशोधन पेश किया है कि उप-खंड (२) से कार्याधिकारी को हटा दिया जाय क्योंकि उप-खंड (१) में उसकी व्यवस्था कर दी गयी है। यह संशोधन बहुत साफ है, माननीय सदस्य चाहें तो मैं उनके पास भेज दूंगा लेकिन मैं समझता हूं कि कोई जरूरत नहीं है। ऐसी बात मैंने नहीं कही है जो उनकी समझ में न आयी हो।

श्री शिवराम (जिला बिजनौर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ३९ में उप-खंड (१) के भाग (९) के उपरान्त "भाग (१०) श्रम अधीक्षक" तथा "भाग (११) रक्षा अधीक्षक" और बढ़ा दिया जाय।

इस प्रस्ताव को रखने का मेरा अभिप्राय यह है कि इस विधेयक में समस्त अधिकारी तो रखे गये हैं लेकिन श्रम व्यवस्था के संबंध में कोई भी अधिकारी नहीं रखा गया है और उसका विशेष कारण यह है कि जहां हम गरीब मजदूरों की दशा को सुधारना चाहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति हमारे सामने विद्यमान है, जब कि आज भी किन्हीं-किन्हीं क्षेत्र के अन्दर ४ आने

मजदूरी पाकर और दो छटांक दाने के पीछे मजदूर अपनी गुजर-बसर करते हैं। जब कि सरकार की तरफ से इस प्रकार के नियम भी बन गये हैं कि सरकारी नियम के अनुसार उनको मजदूरी मिलनी चाहिये लेकिन जहां गरीबों के ऊपर दबाव है, गरीबों को पूरी मजदूरी नहीं दी जाती जिससे वे पेट भर खा-पी सकें। ऐसी दशा में जब कि जिला परिषदों को सभी अधिकार दिये जा रहे हैं, सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया जा रहा है तो यह बात समझ में नहीं आती कि मजदूरों और गरीबों के हितों की रक्षा के लिये जब कि इस बात की आवश्यकता है और सभी प्रकार के दबाव उन पर दिये जाते हैं कहीं-कहीं दबाव से काम लिया जाता है जिसको मैं कह सकता हूं कि अभी भी वे बेगार के रूप में काम करते हैं, यदि वे काम पर नहीं जाते हैं तो विभिन्न प्रकार के दबाव देकर, कहीं पर पुलिस द्वारा और कहीं और प्रकार के आदमियों से दबाव डाला जाता है, इसलिये श्रम अधीक्षक का होना मैं आवश्यक समझता हूं।

दूसरे रक्षा अधीक्षक का होना भी बहुत आवश्यक है। जबकि हम समझते हैं कि किसी जिले के अन्दर कलेक्टर और एस०पी० में नहीं बन पाती, तो एक तरफ कलेक्टर यह कहता है कि मेरा काम जिले भर का प्रबन्ध देखना है। लेकिन एस० पी० ठीक प्रबन्ध नहीं कर पाता तो उसमें किसी समय कलेक्टर हस्तक्षेप नहीं करता। अभी मैं अपने जिले की घटना बतलाऊं कि वहां हमीरपुर नामक एक ग्राम है जहां डकैती पड़ती है। वहां के गांव वाले थाने में उसकी रिपोर्ट लिखवाने के लिये आते हैं लेकिन वह रिपोर्ट डाके पड़ने में नहीं लिखी जाती है, चोरी में रिपोर्ट लिखी जाती है जिसकी शिकायत आई० जी० और मंत्री महोदय तक पहुंचायी जाती है। जब वे लोग एस० पी० से जाकर मिले तो वे कहते हैं कि जो कुछ वहां के थानेदार ने किया है ठीक ही किया है। चोरी की रिपोर्ट उसने लिखी है इसका मतलब यह है कि वहां डकैती नहीं पड़ी। ऐसी दशा केवल ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर ही नहीं है बल्कि शहरी क्षेत्र के अन्दर भी है। आज ग्रामों के अन्दर घास खोदने वाले की खुरपी तथा काश्तकार के हल तक नहीं बच पाते हैं। इस प्रकार की दशा वहां विद्यमान है कि प्रत्येक आदमी को दिन और रात में अपने सामान की रक्षा करने का संकट बना रहता है।

यह बात ठीक है कि गांवों में कुछ सिपाही जाते हैं लेकिन वे ग्रामीण क्षेत्र में जाकर कहीं पड़ कर सो जाते हैं या वहीं के कुछ ऐसे लोगों से संबंध जोड़ कर चोरी-डकैती कराते हैं। यदि जिला परिषदों में किसी भी पार्टी के आदमी पहुंच जाते हैं तो उसके ऊपर कुछ न कुछ उसका नियंत्रण रहेगा और वे इस गतिविधि को जानते हैं कि पुलिस किस प्रकार से देश की रक्षा व सुरक्षा करती है। इसलिये मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जब एस० पी० ऐसा अधिकारी होगा या इस प्रकार से कोई अधिकारी रखा जायेगा तो वह कम से कम जो जिले के लोग पहुंचते हैं उनकी बात तो सुन सकेगा। जब तक कोई पुलिस अधिकारी वगैरह वहां नियुक्त नहीं होगा तब तक कोई असर नहीं पड़ेगा। यह कहा जा सकता है कि विभिन्न क्षेत्रों में थाने वगैरह हैं, लेकिन उन पर न ग्राम सभाओं का और न ग्राम पंचायतों का कोई अधिकार है, और न क्षेत्र समिति का कोई अधिकार होगा। इसलिये वहां पुलिस अधिकारी जरूर होना चाहिये ताकि लोग अपनी शिकायतों को बता सकें। अन्त में मैं आशा करता हूं कि सभी माननीय सदस्य मेरे संशोधन का समर्थन करेंगे।

*श्री रामकृष्ण सारस्वत (जिला फर्रुखाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ३९ के उप-खंड (१) के भाग (९) के अन्त में निम्नलिखित नोट बढ़ा दिया जाय।

"नोट—जिला परिषद् के उपरोक्त अधिकारी तथा सेवकों का तबादला प्रदेशीय स्तर पर होगा।"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

[श्री रामकृष्ण सारस्वत]

इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि जिला परिषद् के अधिकारी लोग जिले में सदैव बलबन्दी किया करते हैं और उस बलबन्दी का एक कारण यह भी होता है कि उन्हें इस बात की कोई शंका नहीं रहती कि उन्हें एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर अपने जीवन में कभी जाना पड़ेगा। इसलिये वह एक तरह की बपौती-सी मानकर अपना अधिकार जमा लेते हैं--यह अनुभव में आया है कि जो कर अधिकारी हैं वह कर भी जातीयता के आधार पर लगाते हैं या अपने पक्ष के आधार पर लगाते हैं। किसी पर कम और किसी पर ज्यादा लगा देते हैं। जिस पर नहीं लगना चाहिये उस पर लगा देते हैं और जिस पर लगना चाहिये उसे छोड़ देते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि एक से लेकर नौ तक जितने भी अधिकारी हैं उन सबका तबादला प्रदेशीय स्तर पर हो।

जबकि हमारे मंत्री महोदय नियोजन के कार्य जिला परिषद् को दे रहे हैं और वह बहुत महत्वपूर्ण कार्य है तो इस बात को देखते हुये इन अधिकारियों का तबादला प्रदेशीय स्तर पर होना चाहिये। यही नहीं, आगे चल कर यह भी बताया गया है कि इनकी नियुक्ति में जो २०० रुपये से ऊपर के कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति राज्य सेवा आयोग द्वारा या जिला परिषद् जो आयोग बनायेगी उसके द्वारा होगी। तो इससे यह सिद्ध होता है कि इन नियुक्तियों का प्रदेशीय सरकार और लोक सेवा आयोग से पूरा-पूरा संबंध है। इन सभी दृष्टियों से मैं अपने संशोधन को प्रस्तुत करता हूं और इस आशा और विश्वास के साथ प्रस्तुत करता हूं कि मंत्री महोदय मेरे इस संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला रायबरेली)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ३९ के उप-खंड (२) के प्रतिबन्धात्मक खंड के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार किसी जिला परिषद् से लिखित तथा कारण सहित निर्देश द्वारा अपेक्षा कर सकती है कि वह कोई पद सृजित करे और यदि जिला परिषद् ऐसे पद का सृजन न करे और राज्य सरकार उस पद को आवश्यक समझे तो वह स्वयं आदेश द्वारा उस पद का सृजन कर देगी और उस दशा में उक्त पद राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना समाप्त नहीं किया जा सकेगा।"

उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन का अर्थ बिलकुल स्पष्ट है। जिला परिषद में वैसे तो अपने कर्मचारियों को रखने के लिये व्यवस्था उनके हाथ में होगी और उनके जरिये से वहां के कर्मचारियों की व्यवस्था की जायेगी, परन्तु इसमें सिर्फ राज्य सरकार यह अधिकार लेना चाहती है कि मानलीजिये कोई ऐसी स्कीम राज्य स्तर पर चलाई जानी है जो कि जनता के हित में है और चूंकि विकास का युग है पता नहीं किस समय क्या स्कीम चालू करनी हो। तो उसी के संरक्षण के लिये यह प्रावीजन रहना चाहिये। यदि राज्य सरकार चाहती है कोई स्कीम चले तो जिला परिषद् से कहा जायगा कि फलां स्कीम तुम्हारे जिले में चालू करना चाहते हैं जो जनहित में जरूरी है, जिसके लिये वह अपने यहां इस तरह का अधिकारी नियुक्त करें। अगर वह न करें तो राज्य सरकार को यह अधिकार हो कि वह उस पद का स्वयं सृजन कर दे और वह पद तब तक चलता रहेगा जब तक कि राज्य सरकार उसके समाप्त होने की इजाजत न दे। हो सकता है किसी स्कीम को चालू करने के लिये सरकार ने कोई पद यहां से सृजित कर दिया और वह स्कीम अभी खत्म नहीं हुई, चल रही है। उसी दौरान में जिला परिषद उस पद को खत्म कर दे तो अड़चन पड़ सकती है। इसीलिये यह शक्ति राज्य सरकार के हाथ में रहना आवश्यक है और इसमें किसी पर कोई नुकसान पड़ने वाला नहीं है। जरूरत पड़ने पर ही इस शक्ति का प्रयोग किया जायगा। आशा है सरकार इसको स्वीकार करेगी।

*श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ३९ के उप-खंड (२) का प्रतिबन्धात्मक अंश निकाल दिया जाय। इससे पहले कि मैं इस संशोधन पर बोलूं मुझे आश्चर्य है, माननीय रामेश्वर प्रसाद पर, जिन्होंने अभी कहा कि अगर परिषद् ऐसा न करे तो स्वयं आदेश द्वारा उस पद का सृजन सरकार कर देगी। एक ओर तो सरकार स्वयं चाहती है कि जिला परिषद् में जब वह चाहे तब हस्तक्षेप करे। मैं उस प्रतिबन्ध को पढ़ देना चाहता हूं:

"प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य सरकार इस आशय का आदेश दे कि जिला परिषद् कोई पद सृजित करे, तो जिला परिषद् के लिये ऐसे पद का सृजन करना अनिवार्य होगा और उक्त पद राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना समाप्त नहीं किया जायगा।"

हमारे लायक दोस्त ने यह संशोधन रखा है कि अगर वह ऐसा न करे तो प्रदेशीय सरकार स्वयं आदेश जारी करके उसे सृजित कर सकती है। तो यह संशोधन विधेयक की मंशा के बिलकुल प्रतिकूल है, जनतांत्रिक सिद्धांतों के ऊपर कुठाराघात है। अगर ऐसा हो जायगा तो राज्य सरकार जब चाहे किसी पद का सृजन कर सकती है और उसे समाप्त कर सकती है। इसलिये मैं चाहूंगा कि यह प्रत्यक्ष हस्तक्षेप राज्य सरकार का जिला परिषदों पर होगा जिनके बारे में हमें अभी यह पता नहीं कि किस तरह से काम होगा। अभी तो विधेयक पास हो रहा है। विधेयक कितना ही अच्छा क्यों न पास हो जाय लेकिन अगर उसके काम करने वालों को स्वतंत्रता से काम करने का अधिकार नहीं रहता है, उनको भय रहता है कि कोई पद समाप्त हो सकता है तो सुचारु-रूप से काम नहीं चल सकता है। इन शब्दों के साथ मैं रामेश्वरप्रसाद जी से कहूंगा कि वह अपने संशोधन को वापस लें और हमारे संशोधन का समर्थन करें और मंत्री जी से कहूंगा कि इस तरह के प्रतिबन्ध को समाप्त करें ताकि गैर-सरकारी और सरकारी लोग मिल कर जनतांत्रिक तरीके से काम करें और हमारा जनतांत्रिक प्रयोग सफल हो ताकि दूसरे प्रदेश हमको अपना अगुआ समझें।

*श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ३९ का उप-खंड (२) निकाल दिया जाय। यह मेरा संशोधन धारा ४० में दिये हुये संशोधन के साथ-साथ अगर पढ़ा जाय तब इसका अर्थ स्पष्ट हो जायगा। क्योंकि उप-खंड (२) के हटाये जाने के साथ जो परिणाम होगा कि कुछ अधिकारी, जैसे कार्याधिकारी, अतिरिक्त अभियंता तथा अतिरिक्त स्वास्थ्य अधिकारी भी हैं, वह ऐसे तो इसके मंजूर हो जाने पर नहीं मुकर्रर हो सकेंगे। लेकिन इसके बाद खंड ४० में यह संशोधन है:

"खंड ३९ के उप-खंड (१) व (२) के अधीन वह अधिकारी जो उप-खंड (३) में वर्णित अधिकारियों के अतिरिक्त होंगे उनकी उपलब्धियां, सेवा की अन्य शर्तें एवं अर्हतायें एक विशिष्ट सेवा कमीशन द्वारा नियत की जावेंगी जो इस कार्य के लिये पृथक् निर्मित किया जावेगा, और जिसमें विधान मंडल का भी एक प्रतिनिधि होगा।"

तात्पर्य यह है कि यह जो अधिकारी मुकर्रर करने की बात आयी उसके लिये एक विशेष सेवा कमीशन मुकर्रर हो और यह प्रांतीय स्तर पर होगा और उस सेवा कमीशन के अतिरिक्त होगा जो अन्य पदों को नियुक्ति करने के लिये होगा।

अभी हमारे सामने सरकार ने स्वयं एक संशोधन उपस्थित किया है और उसमें अधिकारियों के अतिरिक्त कार्याधिकारी का अलग से प्राविधान किया है। मैं आपके द्वारा सदन से प्रार्थना करूंगा कि यदि सरकार को इस बात को हाउस स्वीकार कर लेगा तो यह कार्याधिकारी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

भी सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी हो जायगा क्योंकि आगे आने वाली दफा ४० में लिखा है कि—

"धारा ३९ की उपधारा (१) के अधीन सृजित वित्त अधिकारी, अभियंता और कर-अधिकारी के पदों पर तथा उक्त धारा की उप-धारा (२) के अधीन सृजित समस्त पदों पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की अर्हतायें वे होंगी जो नियत की जायं।"

यानी सरकार के द्वारा इनकी अर्हतायें, उपलब्धियां और सेवायें, सब मुकर्रर होंगी और जो सेक्रेटरी अभी तक खंड २ के मुताबिक जिला परिषदों के अधीन शर्तों के द्वारा मुकर्रर होते थे वे अब सरकार के मुकर्रर किये हुये जो ९ अधिकारी होंगे, उनके अतिरिक्त दसवें ये होंगे।

अभी माननीय वर्मा जी ने एक बात कही कि सरकार जिस नीयत से करती है वह हमेशा विश्वसनीय हुआ करती है। यही बात जरा विवाद की है कि इस कानून के पास होने के बाद सरकार के जो रेगुलेशन्स बनेंगे उनमें सरकार प्रकट रूप में सामने आयेगी। अभी तो वह डेलीगेशन की पावर लेती जाती है और अन्त में सरकार को यह ज्ञान हुआ कि अगर सेक्रेटरी जिला परिषद् द्वारा मुकर्रर होंगे तो हमारे हाथ की कठपुतली न होंगे इसलिये इनको भी अपनी थैली में रख लो और अपने थैले की गुड़िया बना लो। इसीलिये आगे चल कर खंड ४० में जो मेरा संशोधन आयेगा उससे स्पष्ट हो जायगा कि इन सब की नियुक्तियां एक ऐसे कमीशन द्वारा हों और यह उसी प्रकार के कमीशन हों जो कि आजकल पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन उसमें एक अंकुश रखने के लिये विधान मंडल का एक प्रतिनिधि उसमें हो जो इस प्रकार की जानकारी रखे और वह देख लिया करे कि कमरे में क्या हो रहा है? अभी तो ऐसी बातें होती हैं जिनको हम लोग जानते हैं और मंत्री जी भी जानते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि हो रही है और वह कहते हैं कि नहीं हो रही है। अगर हम उसमें झांकने लगेंगे तो बता देंगे कि हमारी आंखों के सामने ऐसा हो रहा है। स्लिप आई कि हमारे भतीजे को रख लिया जाय तो वह कहते हैं कि कोई बात नहीं उसके इंटरव्यू में सबसे ज्यादा नम्बर होंगे, इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है कि खंड ३९ के उपखंड (२) को निकाल दिया जाय।

* **श्री चन्द्रजीत यादव**—श्रीमन्, मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ३९ के उप-खंड (३) के अन्त में निम्नलिखित रख दिया जाय—

"और परिषद् के क्षेत्राधिकार के कार्यों का निष्पादन करने के लिये परिषद् के अधीन समझे जायंगे और उसके निदेशों को पालन करेंगे।"

श्रीमन्, हम देखते हैं कि इसमें व्यवस्था की गई है कि जिला परिषद् के कुछ मुख्य अधिकारी होंगे। उनमें से कुछ ऐसे अधिकारी होंगे जो राज्य सरकार के अधीन जिला परिषदों का काम करेंगे और कुछ ऐसे होंगे जो परिषद् के अन्तर्गत रह कर परिषद् के अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। इसमें हमारा कहना यह है कि जिला परिषद् में जो राज्य सरकार के अधीन रह कर अधिकारी कार्य करेंगे तो उन कामों के लिये उनका उत्तरदायित्व पूर्णतया जिला परिषद् का होना चाहिये और वे अधिकारी उसके नियंत्रण में होने चाहिये जहां तक वे उसका कार्य करते हैं। अगर ऐसी व्यवस्था न की गई तो एक कठिनाई पड़ेगी कि राज्य सरकार के अधिकारी के रूप में वह अपने को राज्य सरकार के अधीन समझेंगे और जिला परिषद् का उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होगा और उनके उत्तरदायित्व का जो निर्वहन करना है उसमें एक प्रकार से उपेक्षा हो जायगी। इसलिये मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है।

माननीय रामकृष्ण सारस्वत जी ने जो संशोधन उपस्थित किया है मैं उसका समर्थन करता हूं और मैं समझता हूं कि राज्य सरकार की भी यही मंशा है जो उन्होंने खंड ४४ में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

व्यवस्था की है कि राज्य सरकार यदि यह आवश्यकता समझती है तो इस प्रकार की व्यवस्था करेगी कि राज्य पैमाने पर एक काडर निर्धारित करेगी जो जिला परिषद् के अन्दर कार्याधिकारी, सहायक कार्याधिकारी, वित्त अधिकारी आदि का एक काडर होगा और उनका स्थानान्तरण एक जिले से दूसरे जिले में हो सकता है। जब इस बात की व्यवस्था है और सरकार महसूस करती है कि यदि आवश्यकता हो तो ऐसा काडर बनाया जा सकता है तो फिर क्यों न हम सारस्वत जी का संशोधन मान लें कि इन अधिकारियों का तबादला प्रदेशीय स्तर पर होगा? तीन अधिकारियों का स्थानान्तरण नहीं होगा और बाकी सात अधिकारियों का स्थानान्तरण होता रहेगा। यह उन्होंने सही कहा है कि उनका पिछला अनुभव यह है कि यह वेस्टेड इंटरेस्ट की तरह वहां पर बैठ जाते हैं और पूरी राजनीति के अन्दर और गुटबाजी के अन्दर इनको खुली छूट होती है। वह समझते हैं कि उनको आसानी से हटाया नहीं जा सकता है, उनका ट्रांसफर नहीं हो सकता है। अगर इसकी भी व्यवस्था हो सके कि उनका भी ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन अगर अपने कार्य के निर्वहन में शिथिलता दिखाता है, राजनीति और गुटबन्दी में भाग लेता है, तो मैं समझता हूं कि अब तक जो हमने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अन्दर देखा है कि पार्टीबन्दी होती है, उस दोष को हम यहां दूर कर सकेंगे। दूसरे माननीय प्रताप सिंह जी ने इस खंड में जो प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव किया है, उसका भी मैं समर्थन करता हूं, वह अत्यन्त आवश्यक है। जिस प्रकार की व्यवस्था विधेयक में है, उसमें अगर हमने यह प्रतिबंध नहीं लगाया तो फिर वही शिथिलता और मनमानापन देखेंगे जो पहले था। लेकिन अभी जो माननीय रामेश्वर प्रसाद जी ने संशोधन रखा है उसको देख कर मुझे आश्चर्य हुआ है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जिस समय यह व्यवस्था की थी वह इस बात को भूल गये थे और उन्होंने अब संशोधन के रूप में एक माननीय सदस्य के द्वारा अपनी भावनाओं को यहां व्यक्त कर दिया है। जिला परिषदों को जब हम यह अधिकार देते हैं कि वह अपना काम करें तो उन्हें पूर्ण सत्ता सम्पन्न होना चाहिये और जिन अधिकारियों की उन्हें आवश्यकता हो, जिन्हें वह आवश्यक समझें रखें। इतनी लम्बी लिस्ट जोड़ने के बाद मैं नहीं समझता कि कौन ऐसा आवश्यक अधिकारी होगा जिसके लिए राज्य सरकार अपने हाथ में अधिकार लेगी कि यदि जिला परिषद् उस अधिकारी को नियुक्त करना उचित न समझे तो राज्य सरकार सीधे नियुक्त लखनऊ से कर देगी। जो बात मैं शुरू से कहता चला आ रहा हूं वही यहां भी स्पष्ट है कि जिला परिषद् की निरंकुश सत्ता के ऊपर, उसकी स्वशासन की स्वतंत्र सत्ता के अन्दर अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करना चाहती है। इसलिए मैं माननीय रामेश्वर लाल जी के संशोधन का तो विरोध करता ही हूं, जो विधेयक में व्यवस्था है उसका भी विरोध करता हूं।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)—श्रीमन्, मैंने जैसा अभी अर्ज किया था मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया था, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि १५७ और १५८ पेश हो गया है या नहीं, वरना मैं....

श्री उपाध्यक्ष—एक संशोधन उपस्थित हो गया है जिसमें १५७ और १५८ दोनों संशोधनों का समावेश हो जाता है। इसलिए अब अनावश्यक हो गया है।

श्री अमरनाथ—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३९ के उप-खंड (३) की पंक्ति ६ में शब्द 'मुख्य कार्याधिकारी' के स्थान पर शब्द 'सचिव' रख दिया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३९ के उप-खंड (३) की अंतिम पंक्ति में शब्द 'धारण करेगा' के पूर्व शब्द 'जिला परिषद् की स्वीकृति से' बढ़ा दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो धारा ३९ की उपधारा (३) के जो आखिरी शब्द हैं 'धारण करेंगे' तो इसका अर्थ है, यह राज्य सरकार अपने अधिकारियों को इन पदों पर रख रही है कि यही अधिकारी राज्य सरकार के जो हैं जैसे—जिला मैजिस्ट्रेट (नियोजन) या जिला नियोजन अधिकारी, जैसी भी दशा हो, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, विद्यालय उप-निरीक्षक, सहायक जिला पंचायतराज अधिकारी, ज्येष्ठ यन्त्र निरीक्षक (लघु सिंचाई कार्य),

[श्री अमरनाथ]

सीनियर मेकैनिकल इंसपेक्टर (माइनर इरीगेशन) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो नियत की जायं, जिला परिषद् के अधीन क्रमशः मुख्य कार्याधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, कृषि अधिकारी शिक्षा अधीक्षक, पंचायतराज अधीक्षक तथा सिंचाई अधीक्षक के पद भी धारण करेंगे। तो हम यह कहते हैं इस संशोधन के जरिये कि राज्य सरकार जबर्दस्ती जिला परिषद् पर ऐसे अधिकारियों को न लादे, इस तरह का पद क्रियेट न करे बल्कि जिला परिषद् की स्वीकृति लेना अनिवार्य हो जाय कि इस तरह के अधिकारियों को इन पदों पर रखने के लिए जिला परिषद् की स्वीकृति लेना जरूरी होगा क्योंकि ये जिला परिषद् के अधिकारी और कर्मचारी होंगे। तो जिला परिषद् को इतना भी अधिकार न हो कि अपने अधिकारियों के बारे में कोई राय अपनी दे सके या स्वीकृति दे सके, ऐसी बात अनुचित होगी। राज्य सरकार उनके ऊपर अपने अधिकारियों को न लादे। यह समाजवादी परम्परा के और विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त के बिलकुल विपरीत है। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन को रखता हूं।

श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी जिला बोर्ड में कुछ समय तक अध्यक्ष पद पर रहने का सौभाग्य मिल चुका है और उसके तजुर्बे के आधार पर मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि माननीय रामकृष्ण सारस्वत जी ने जो संशोधन पेश किया है वह बहुत जरूरी है। जिला परिषद् के अन्दर जो अभी तक सेक्रेटरी थे, अभियन्ता थे या कराधिकारी थे उनका स्थानान्तरण न होने की वजह से वहां वे लोग एक स्थायी रूप धारण कर लेते हैं और वहां की राजनीति में, वहां की पार्टीबन्दी में इतने ज्यादा उलझ जाते हैं कि न्याय करने की बात उनके दिमाग में बिलकुल नहीं रह जाती। इससे वह पार्टी जो कि अल्पमत में हुआ करती है या वह लोग जो उनकी इच्छाओं के अनुकूल काम नहीं कर सकते उनके समर्थकों को उस जिले में बहुत बड़ा धक्का लगता है। मान्यवर, मुझे अपने जिले फर्रुखाबाद का इस सम्बन्ध में बहुत ही कटु अनुभव है। इन अधिकारियों की नियुक्तियां, उनकी मुअत्तिली आदि के सिलसिले में एक भयंकर रूप वहां पैदा हुआ, वह केवल जिले में ही नहीं बल्कि और जिलों में भी वैसा ही रूप वह अख्तियार करता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इन तीनों पदों के स्थानान्तरण का प्राविजन अवश्य रखा जाय। बाकी और जो पद हैं उनका तो प्रान्तीय स्तर पर तबादला होता ही रहता है लेकिन जो कार्याधिकारी है या सेक्रेटरी जो होंगे, जो अभियन्ता होंगे और जो कराधिकारी होंगे उनका भी स्थानान्तरण प्रान्तीय स्तर पर होना इससे अनिवार्य हो जायगा। इससे जिले की राजनीति स्वच्छ रहेगी, वहां का वातावरण साफ रहेगा और उनको भी काम करने में ठीक रहेगा, उनको डर रहेगा, कि अगर हम पार्टीबन्दी में पड़ेंगे तो हम इस जिले से दूसरे जिले में हटाये जा सकते हैं।

दूसरा जो मान्यवर, प्रतापसिंह जी ने पेश किया कि प्रान्तीय सरकार जिला परिषद् को यह आदेश देगी कि आप फलां-फलां पद को क्रियेट कीजिए, इससे तो ऐसा मालूम होता है कि प्रान्तीय सरकार को जिला परिषद् के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। जिला परिषद् अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए जिन पदों को उचित और जरूरी समझेगी, जिन साधनों को जुटा सकेगी, उनको जुटायेगी, उसमें वह कोई कोताही नहीं करेगी और अगर कोताही करेगी तो जाब्ते की कार्यवाही करने का अधिकार तो प्रान्तीय सरकार ने ले ही रखा है। तो यह जरूरी नहीं मालूम पड़ता है कि उनके ऊपर लादें कि फलां-फलां पद आपको क्रियेट करना है और फलां-फलां नियुक्तियां आपको करनी हैं। इससे तो मान्यवर, ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार की कुछ ऐसी मंशा है कि अपने कुछ साथियों या मित्रों को और सम्बन्धियों को तुष्ट करने के लिये समय-समय पर कोई न कोई पद इस प्रान्त के अन्दर ५२ या ५३ जिला परिषदें होंगी, उनमें वह पैदा करती रहेगी और अपने पीछे चलने वाले मित्रों को देती रहेगी। यह अधिकार अपने हाथ में प्रान्तीय सरकार ले तो बहुत अच्छा होगा। माननीय प्रतापसिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—मैं श्री हिम्मतसिंह के स्थान पर श्री शिवराम जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं। हमारे यहां जो मजदूर वर्ग है, जिसके नाम पर सरकार रात-दिन दुहाई देती है उसको नेगलेक्ट करना सर्वथा अनुचित होगा। लेबर का जहां तक स्वार्थ है उसके लिये हमको श्रम अवीक्षक की जरूरत होगी।

जहां तक सुरक्षा का सवाल है काउंटी पुलिस की तरह से यह चीज हर जिले में होगी, यह कोई नई बात नहीं है। इंग्लैंड में और रूस में भी ऐसी व्यवस्था है, हर जगह लोकल पुलिस है। रूस के बारे में मुझे पूरा ज्ञान नहीं था, मैंने उसके बारे में श्री चन्द्रजीत यादव जी से पूछकर उसकी पुष्टि कर ली है। अगर हम इनको सेल्फ गवर्निंग यूनिट बनाते हैं और डिसेंट्रलाइजेशन आफ पावर की बात करते हैं तो यह जरूरी हो जाता है कि हम जिला स्तर पर पुलिस का अधिकार भी दें। इतना सरकार का कंट्रोल रहेगा कि जो सुपरिन्टेंडेंट पुलिस होगा उसे सरकार बदल सकती है। साथ ही इस धारा की लिस्ट को देखने से लगता है कि २०० रुपये से कम वेतन वाला कोई इस लिस्ट में नहीं होगा। उस सूरत में पब्लिक सर्विस कमीशन से इन नियुक्तियों का approval भी लेना होगा ऐसा विधान है। ऐसी हालत में स्टैण्डर्ड यह मेन्टेन करना है कि कोई आदमी स्थानीय राजनीतिक दलबन्दी में न पड़े। यह देश के हित में होगा व जिला परिषदों के हित में होगा। इसके लिये यह भी जरूरी है कि एक आदमी एक जगह तीन वर्ष से अधिक न रहे। अगर कोई चुना हुआ व्यक्ति ठीक काम नहीं करता है और पार्टीबाजी में पड़ता है तो जनता के लिये मौका होता है कि ५ साल के बाद वह बदल जाय। लेकिन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का सेक्रेटरी जो होगा उसको बदला न जा सके, बिना उसे निकाले हुए यह उचित नहीं होगा। अगर उसे बदला जा सकेगा तो यह जनता के हित में होगा।

रामेश्वर जी ने एक बड़ा पीछे ले जाने वाला संशोधन रखा है....

श्री उपाध्यक्ष—जिसको आप रिएक्शनरी कहते हैं वही मान लिया जाता है।

(हंसी)

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—इसको हम जानते हैं। यहां जहां पर अध्यक्ष के कर्त्तव्य हैं उपाध्यक्ष को निकालने की बात कही गयी है। दफा २९ में कहा गया है कि राज्य सरकार कोई काम अध्यक्ष से करने को कहे और वह न करे तो उसे निकाला जा सकता है। राज्य सरकार देखेगी कि किसी विरोधी जिला बोर्ड की हालत ऐसी नहीं है कि वह अधिक अधिकारी रख सके तो वह इस बहाने उस बोर्ड को भंग कर सकती है। हमारा पुराना कटु अनुभव रहा है कि अपने विरोधियों को ही उसने निकाला है। मिर्जापुर, नैमिषारण्य, वृन्दावन, अल्मोड़ा आदि की नगरपालिकायें या टाउन एरियायें जो विरोधियों के हाथ में थीं उन्हीं पर सरकार की नजर पड़ी है तो ऐसी दशा में क्या कहेंगे।

इसमें तमाशा यह है कि नियमों के मुताबिक कुछ नहीं, राज्य सरकार अपेक्षा कर सकती है कि तुम फलां-फलां अधिकारी रक्खो और अगर आवश्यकता न होने के कारण भी इस परिषद् वालों ने वैसा नहीं किया तो उन पर यह सब जबरदस्ती लाद दिया जायगा। ऐसा अनावश्यक न करने पर उन पर चार्ज लग सकता है कि तुमने आज्ञा का पालन नहीं किया इसलिये तुम को निकाल दिया जायगा। यह एक गहरी चाल की गयी है। किसी तरह से गुटबाजी वहां बनी रहे, वह मौजूदा सरकार चाहती है। वह डिसेन्ट्रलाइजेशन नहीं चाहती, डिसेन्ट्रलाइजेशन के नाम पर सेन्ट्रलाइजेशन चाहते हैं, ऐसा ही वह कर रही है। इन बातों को देखते हुए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे श्री शिवराम जी, श्री रामकृष्ण सारस्वत तथा प्रतापसिंह जी का संशोधन मान लें, इससे जनता का भला होगा।

*श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समयाभाव के कारण मैं आप की आज्ञा से केवल एक संशोधन के विषय में निवेदन करना चाहता हूं और वह है श्री रामकृष्ण सारस्वत द्वारा प्रस्तुत संशोधन ३९ वीं धारा में। मान्यवर, मेरा ऐसा अनुभव है कि स्थानीय निकायों में सारी राजनीति की भित्ति होती है वहां की सर्विसेज, और अगर उस भित्ति में हमने कोई ऐसी स्थिति पैदा नहीं की कि जिसमें जो वर्तमान स्थिति है उसमें अंतर हो तो कहीं वह शानदार महल, जो माननीय मंत्री जी बनाने की कल्पना कर रहे हैं, उसमें कमी न रह जाय। मैं ऐसा समझता हूं कि माननीय मंत्री जी स्वयं इस सिद्धान्त को, जिसका प्रतिपादन इस संशोधन में किया गया है पूरी तरह से स्वीकार करते हैं और उसका प्रतिबिम्ब हमें मिलता है इस विधेयक की धारा ४४ में। उसमें आपने पूर्णतया यह अधिकार सरकार में निहित किया है कि यदि वे आवश्यक समझें या उचित हो तो इस प्रकार का प्राविशिय न कैडर बन सकता है। मैं इस संशोधन का समर्थन करने के लिये केवल इसलिये खड़ा हुआ हूं कि मैं सरकार और माननीय मंत्री जी की सेवा में यह कहना चाहता हूं कि वास्तव में आज सारे प्रदेश की यह मांग है और इस कमी का अनुभव किया जा रहा है कि अगर सर्विसेज की कंडीशन्स में, निकायों के कर्मचारियों की नियुक्तियों में कोई परिवर्तन नहीं हो सका तो एक बड़ा काम रह गया। यदि माननीय मंत्री जी इस सिद्धान्त से सहमत हैं और स्वीकार करते हैं और आगे धारा ४४ में उसका प्राविजन करने जा रहे हैं तो मैं समझता हूं कि रामकृष्ण जी को अपना संशोधन वापस ले लेना चाहिये और मैं भी इस के समर्थन को आवश्यक नहीं समझूंगा; लेकिन मैं फिर प्रबल शब्दों में यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक सब से बड़ी आवश्यकता है।

आज इस बिल में सब से मुख्य और सब से अधिक आवश्यकता जिस चीज की है वह इस संशोधन में निहित सिद्धांत की है, इसलिये कि अगर इसका प्रबंध हम न कर सके तो आये दिन जो दिक्कतें हमारे सामने आती हैं और जिस तरह से शतरंज का अखाड़ा हमारे स्थानीय निकाय बने हुये हैं वह बने रहेंगे। मेरा ऐसा विश्वास है कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये ताकि जिस जाल में ये स्थानीय निकाय फंसे हुये हैं उस से मुक्त हो सकें। मैं ऐसी आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस सिद्धांत की ओर अवश्य ध्यान देंगे। उनका विश्वास अवश्य ऐसा है और समय-समय पर प्रश्न द्वारा इस विषय में जो चर्चा होती रही है, उस के उत्तर में सरकार की ओर से कहा गया है कि जिला बोर्ड ही नहीं, म्युनिसिपल बोर्ड के बारे में भी इस तरह के संशोधन विचाराधीन हैं और सरकार विचार कर रही है कि ऐसा संशोधन लाये। फिर जब ऐसा व्यापक विधेयक पास होने जा रहा है उसमें इसका प्राविजन न हो तो यह बात कुछ अनुचित ही रहेगी। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर अवश्य ध्यान देने की कृपा करेंगे।

श्री रूमसिंह (जिला शाहजहांपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने धारा ३९ में सारी शक्ति अपने हाथ में, सरकार के हाथ में ले रखी है। एक कार्याधिकारी का सवाल था उसमें भी जयरामवर्मा जी ने एक संशोधन दे कर उसको भी अपने अधिकार में ले लिया है। सरकार यदि चाहती है कि काम सही तरीके से हो तो कम से कम जिला परिषद् को यह अधिकार सरकार को देना चाहिये था कि जितने भी अधिकारी जिला परिषद् में हों उनकी नियुक्ति और तरक्की सब जिला परिषद् करे नहीं तो अब इस तरह से जो जिला परिषद् के अधिकारी होंगे, वे लखनऊ की दौड़ लगायेंगे, मंत्री जी की खुशामद करेंगे। मंत्री जी खुश तो कुछ भी पाप हो सब खत्म और उनका गुजारा अच्छी तरह से। वे कभी भी जिला परिषद् की परवाह नहीं करेंगे और न उसका हुक्म मानेंगे। सरकार नियम बना देती कि इस तरह से वे अपना काम-काज करें और किसी एक व्यक्ति के सुपुर्द कर देती कि वह देखे और एक व्यक्ति जिसको खुदा कहा जाय तो अयुक्ति न होगी—जिलाधीश, उसको यह अधिकार होता कि कोई गलती हो तो मुअत्तल कर सके या बरखास्त कर सके—लेकिन सारे अधिकार को अपने हाथ में लेकर सरकार बहुत बड़ी गलती कर रही है? यह केन्द्रीयकरण है विकेन्द्रीकरण करना नहीं है। मैं सरकार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से प्रार्थना करता हूं कि कम से कम जिला परिषदों को जिलाधीश के हाथों में दे दे और वही उसका इन्तजाम करें और जो नियम सरकार बना दे उसके मुताबिक समझ-बूझ कर चलें।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इस पर काफी माननीय सदस्य बोल चुके हैं और विशेषकर वे जो अपने संशोधनों पर बोल चुके हैं वे अब अवसर न लें।

श्री अमरनाथ—मैं रामेश्वरप्रसाद जी के संशोधन का विरोध करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—जी नहीं। अब वह नहीं होगा।

श्री सुरथबहादुरशाह—श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये मौका दिया। समयाभाव के कारण मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। माननीय प्रतापसिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है वह जिला परिषदों के लिये लाभदायक है यह मैं अवश्य निवेदन करना चाहता हूं। कम से कम सरकार ऐसी घोषणा तो करती है कि वह शक्ति का विकेन्द्रीकरण करना चाहती है लेकिन जब वह यह शक्ति भी अपने हाथ में रखेगी तो डिसेन्ट्रलाइजेशन किस प्रकार से होगा? जब सरकार अपने खुशामदियों के लिये और अपने साइकोफैंट्स के लिये प्राविधान रखेगी तो विकेन्द्रीकरण और आटोनामी किस प्रकार होगी? यदि वाकई में सरकार आटोनामी बख्शना चाहती है और डिसेन्ट्रलाइजेशन लाना चाहती है तो जो पदाधिकारियों की नियुक्ति है वह बजाय सरकार के या सरकारी कर्मचारियों के हाथ में होने के जिला परिषद् को उसका अधिकार होना चाहिये कि वह अपने कर्मचारियों की नियुक्ति अपनी जरूरियात और अपनी पालिसीज के मुताबिक करे। इन शब्दों के साथ में माननीय प्रतापसिंह जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री टीकाराम पुजारी—श्रीमन्, यह जो जिला परिषद् है वह अच्छे स्वतंत्र शासन की पहली सीढ़ी है। इसके ऊपर ही दुमंजिला, तिमंजिला इमारत खड़ी होनी है, लेकिन अगर पहली ही मंजिल कमजोर हो गयी तो ऊपर की मंजिलें भी कमजोर हो जायेंगी। इसमें जो मेम्बर हैं वे जनता के चुने हुये हों, और जनता के हो चुने हुये नुमाइन्दे हों। इसमें जो सरकारी कर्मचारी रखे गये हैं वह ३९ के ऊपर मेरे भाई बहस कर रहे हैं, मैं अपने श्रीमान् जी से कहूंगा कि जो कर्मचारी हैं उनके लिये वोट का अधिकार न हो। उसमें जाकर वह अपना वोट कर सकें, यह प्रजातंत्र के खिलाफ चीज है। कर्मचारी यहां भी रहते हैं, दिल्ली में भी रहते हैं लेकिन उनको यह अधिकार नहीं है कि वह यहां आकर वोट दें। हां, नहीं वही कर सकता है जो जनता का नुमाइंदा हो। जिलाधीश के बारे में जो बात-चीत चल रही है, जो सारा अधिकार उसको दिया है, उसके बजाय जो चुना हुआ चेयरमैन है उसको अधिकार होना चाहिये, यह मेरा सुझाव है। उसके नीचे सारे काम चलने चाहिये। हां, कोई अच्छी राय दे जिला परिषद् के लिये तब उसको शामिल कर लेना चाहिये। यहां ही देख लीजिये कि यहां भी आई० सी० एस० लोग हैं, लेकिन वह आपको प्राइवेट राय देंगे, सदन में राय नहीं दे सकते हैं। इसमें प्रजातंत्र का गला घुटता है। मैं आशा करता हूं कि जो विशेषाधिकार कलेक्टर को दिया जा रहा है वह नहीं होना चाहिये। इससे उसका आतंक जिला परिषद् पर रहेगा। मंत्री जी का नाम है "विचित्रनारायण" इसलिये पुजारी जी के सुझाव को मानकर इस नाम को असली साबित करेंगे, कहीं ऐसा न हो कि लोग नकली ही समझें। इसलिये विशेषाधिकार जो जिलाधीश को दिया जा रहा है वह नहीं रहना चाहिये।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय हिम्मतसिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं और माननीय सारस्वत और माननीय प्रतापसिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है समयाभाव के कारण मैं उनका केवल संक्षेप में समर्थन करूंगा। माननीय हिम्मतसिंह जी ने प्रस्ताव रखा है कि "श्रम अधीक्षक और रक्षा अधीक्षक" बढ़ा दिया जाय। मान्यवर, जब हम श्रम-नीति बनाने जा रहे हैं और कृषि श्रमिकों के लिये भी, कि उनकी मजदूरी क्या हो और उन्हें जिलों के अन्दर सहूलियत देने के नियम बनाने जा रहे हैं, तो जिला परिषद् के अन्दर एक श्रम अधीक्षक जरूर रहना चाहिये—खासतौर से कृषि कार्यों में कृषि श्रमिकों का

[श्री अब्दुल रऊफ लारी]

जिला परिषद् और क्षेत्र समिति से डायरेक्ट ताल्लुक होगा। यह बड़ा सुन्दर काम होगा और कृषि मजदूरों के हितों की इससे रक्षा हो सकेगी और उनके दुःख, तकलीफों को हम आसानी से देख सकेंगे, उन्हें राहत मिल सकेगी।

दूसरी चीज जो उन्होंने रक्षा अधीक्षक के लिये कही है उसमें ज्यादा खर्चा नहीं बढ़ेगा। बल्कि आज जो जिलों में डी-वाई० एस० पी० (कम्प्लेन्टस) बेकार में रखे हुये हैं उनके सम्बन्ध में मैं सुझाव दूंगा कि आप उनको जिला परिषद् के अन्डर में ले लें। इससे खर्च कुछ भी नहीं बढ़ेगा और काम बहुत कुछ होने लगेगा। आज डी-वाई० एस० पी० (कम्प्लेन्टस) एस० पी० के अन्डर में रखा गया है और उसको अख्तियार यह दिया गया है कि वह एस० पी० के मातहत कर्मचारियों के खिलाफ आयी हुयी शिकायतों को चेक करे तो यह कहां तक मुमकिन हो सकता है? पानी में रहकर मगर से बैर कौन करे? इस प्रकार से यदि सरकार चाहती है कि भ्रष्टाचार रुके तो वह कदापि नहीं रुक सकता है। अगर सरकार की भ्रष्टाचार को रोकने की सही मंशा है तो उसे वहां से हटाकर जिला परिषद् को अधिकार दीजिये कि वह रक्षा अधीक्षक के नाम से एक अधिकारी रखे जिसके जिम्मे सारा काम हो। इस तरह से भ्रष्टाचार का खात्मा होगा और रक्षा सम्बन्धी भी बहुत से काम होंगे।

मान्यवर, अब मैं माननीय सारस्वत जी ने जो संशोधन रखा है उसका समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि वह बहुत ही सुन्दर और उपयोगी है, उसको माननीय मंत्री जी को जरूर मान लेना चाहिये क्योंकि सरकारी पक्ष के बहुत से लोगों ने भी कहा है कि स्थानीय निकाय खिलवाड़ बनकर रह जाती है महज इसलिये कि उसके जो अधिकारी हैं वह मुस्तकिल अधिकारी हैं और उसपर उनका आधिपत्य है, उन कर्मचारियों को लोग अपने कब्जे में कर लेते हैं जिससे वह स्थानीय निकाय दलबन्दी का अखाड़ा बने रहते हैं और वह वही करते हैं जो कि एक दल चाहता है। इसलिये अगर उनका प्रान्तीय स्तर पर तबादला हुआ करे, जैसे कि और सरकारी अधिकारी तीन या पांच साल के बाद बदल दिये जाते हैं, वैसे ही उनको भी बदल दिया जाया करे तो जिला परिषद् का काम सुचारु-रूप से चल सकेगा और वह पार्टीबन्दी का अखाड़ा बनने से रुक जायगी। इस संशोधन के लिये यह उपयुक्त स्थान है या नहीं इस सम्बन्ध में जब माननीय मंत्री जी खड़े होंगे तो जरूर कहेंगे इसलिये मैं उनसे निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन की भावना को देखें, इस बिल में कहां यह फिट होगा इसके लिये वह मालिक हैं, उनके पास बड़े-बड़े अधिकारी हैं वह जहां चाहें ले जाकर इस संशोधन को फिट करें लेकिन यह चीज जरूर आ जानी चाहिये कि जिला परिषद् के अधिकारियों का ट्रान्सफर किया जाय। इसीलिये मैंने इसमें नोट के बजाय यह प्रतिबन्ध रखा है कि प्रतिबन्ध यह होगा कि जिला परिषद् के सभी अधिकारियों का ट्रान्सफर प्रान्तीय स्तर पर हो सकेगा।

मान्यवर, श्री प्रतापसिंह जी का जो संशोधन है उसमें उन्होंने बहुत मामूली-सा संशोधन किया है कि जिला परिषद् की स्वीकृति से वह कार्य हो। यह वाकई में बड़ा सुन्दर संशोधन है और इससे जिला परिषद् को कुछ अख्तियार मिल रहा है। माननीय मंत्री की ओर से जब यह ढिंढोरा पीटा जाता है कि विकेन्द्रीकरण करने जा रहे हैं, प्रजातंत्र को मजबूत करने जा रहे हैं तो फिर यह भी जरूरी है कि जनता से चुनकर जो लोग आये हुए हैं उनको भी कुछ अधिकार दिये जायं। अगर सारे अधिकार राज्य सरकार के हाथ में ही रहें या राज्य सरकार के अधिकारियों के हाथ में ही रहें तो फिर यह प्रजातंत्र कोरा ढोंग रह जाता है, जिला परिषद् के विकेन्द्रीकरण का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इस खंड में (जिला परिषद् की स्वीकृति से) यह शब्द मिला लेने से कोई बुराई नहीं पैदा होगी बल्कि इससे जिला परिषद् का मान बढ़ेगा। जिला परिषद् में जनता से चुनकर जो सज्जन आये होंगे प्रजातांत्रिक तरीके से, उनको अगर कुछ अख्तियार होंगे तो इससे उनको बल मिलेगा और परिषद् का काम सुचारु-रूप से चल सकेगा। तो मैं माननीय मंत्री जी से आपके द्वारा अनुरोध करूंगा कि इन संशोधनों को मानकर जिला परिषद् के बिल को वह ऐसा बनायें जो कि प्रजातांत्रिक ढंग का हो और उससे जिले की जनता को कुछ राहत मिले। अगर पार्टीबन्दी और सत्ता के आधार पर ही केवल अपनी सत्ता बनाये रखने के लिये कोई बिल लाया जायगा तो वह अनुचित होगा। इससे लोगों की भावनाओं पर असर पड़ेगा और जनता में

अविश्वास बढ़ेगा और जैसा कि इस आदरणीय सदन में भी लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, इसलिये मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी के पिछले कार्य जैसे उज्जवल हैं वैसे ही उनके आज के विचार भी उज्जवल होने चाहिये और इन संशोधनों को उन्हें मान लेना चाहिये।

(इस समय ४ बजकर १ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्री अमरनाथ—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय लारीजी का आभारी हूं कि उन्होंने मेरे संशोधन का समर्थन किया है। मैं श्री रामेश्वरप्रसाद जी के संशोधन का विरोध करूंगा। कारण यह है कि राज्य सरकार इस प्रतिबन्ध के द्वारा एक तरफ यह अधिकार अपने हाथ में ले रही है कि वह जिला परिषद् से किसी पद को सृजित करा सके और दूसरी ओर यह भी अधिकार ले रही है कि जिला परिषद् पद को सरकार की स्वीकृति के बिना समाप्त नहीं कर सकता है। इससे सरकार का यह ढोल पीटना कि वह सत्ता का विकेन्द्रीयकरण करना चाहती है, मेरी समझ में नहीं आता। राज्य सरकार के लिये जिला परिषद् पर यह हथौड़ा चलाना उचित नहीं है। इस अधिनियम के द्वारा हर बात में राज्य सरकार अपने हाथ में अधिकार रख रही है। इससे जनतांत्रिक पद्धति में प्रजातंत्र के लिये बहुत बड़ा खतरा पैदा होगा। यदि यह अधिकार शर्माजी के हाथ में ही रहता तो भी हम ऐसी ताकत उनके हाथ में दे देते मगर अफसोस है कि यह ताकत शर्माजी के नाम में उन अधिकारियों के पास जावेगी जो यहां बैठ हुये शासन को चलाते हैं और स्थानीय अधिकारी इसका मिसयूज करेंगे। उन्हीं के इशारे पर पोस्ट क्रियेट की जावेंगी और वापिस ली जावेंगी। इन शब्दों के साथ में इस प्रतिबन्ध का विरोध करता हूं और सारस्वत जी के संशोधन का समर्थन करता हूं। ये अधिकारी सदैव वहां बने रहेंगे, और उनका तबादला होना जरूरी है। जब राज्य सरकार एक काडर बनाना चाहती है तो उसे तबादले का सिद्धांत भी मान लेना चाहिये कि प्रदेशीय स्तर पर तबादले हों। इससे सत्ता के विकेन्द्रीकरण की पूर्ति होती है। कोई कर्मचारी वहां नादिरशाह बनकर नहीं बैठा रहेगा। वह मनमानी नहीं कर सकेंगे। इससे परिषद् का कार्य सुचारु-रूप से चलेगा। मंत्रीजी कह सकते हैं कि एक निकाय से दूसरे में तबादला कैसे किया जाय? अगर कानून में रख दिया जाय तो यह हो सकेगा।

श्री शिवराम—जिन्होंने मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया है मैं उनका आभार मानता हूं। श्रम समस्या के सुचारु-रूप से हल होने के लिये श्रम अधीक्षक का होना बहुत अनिवार्य है और इसी प्रकार से रक्षा की समस्या के लिये रक्षा अधीक्षक का होना अनिवार्य है। गांवों में डाके, चोरियां और पशुओं की चोरियां इत्यादि बहुत बढ़ती जा रही हैं। इसलिये इस कार्य को जिला परिषद् में रखना अनिवार्य है। क्योंकि अभी तक इसके लिये अधीक्षक अलहदा से हैं और उनका नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया में कोई हस्तक्षेप नहीं है। जब जिला परिषद् का निर्माण हो रहा है तो रक्षा अधीक्षक के पद का निर्माण होना भी अत्यावश्यक है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि इन संशोधनों को मान लिया जायगा।

श्री रामकृष्ण सारस्वत—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जो संशोधन सैद्धान्तिक रूप से मैंने रखा और बड़े अनुभव के बाद सदन में प्रस्तुत किया था, उसका आदरणीय सदन के सभी माननीय सदस्यों ने एक मत से स्वागत किया तथा उसकी वास्तविकता का उन्होंने अनुभव किया। इस संशोधन को व्यावहारिक रूप देने के लिये भाई लारी साहब ने जो माननीय मंत्री जी से अपील की कि वह जिस जगह पर फिट होता हो वहां कर फिट करने की कृपा करें, उसके लिये मैं लारी साहब का आभारी हूं। इसके अतिरिक्त भाई जगदीशशरण अग्रवाल जी ने समर्थन करने के सिलसिले में बगैर मुझसे पूछे यह बात कही कि जैसा कि माननीय मंत्री जी ने धारा ४४ में छाया रूप में संकेत किया है, उसके तहत किसी न किसी स्थान पर इसको अवश्य स्थान दें। उस स्थान पर जहां प्रदेशीय स्तर पर वह जिला परिषद् के अधिकारियों का तबादला करा सकते हैं वे इस बात को मान लें तो मुझे इस बात में कोई आपत्ति न होगी। मैंने तो माननीय मंत्री जी के सामने एक सिद्धान्त रख दिया जो सिद्धान्त कि एक लम्बे अर्से के बाद अनुभव में आया है। मेरा विश्वास है कि मंत्री जी किसी न किसी रूप में मेरे प्रस्ताव को मान लेंगे और जहां पर वह फिट हो सके वहां उसको फिट करने की कृपा करेंगे।

श्री रामेश्वरप्रसाद—अध्यक्ष महोदय, मैंने जब यह प्रस्ताव पेश किया तो मुझे उम्मीद थी कि इसका सर्वसम्मति से समर्थन किया जायगा। मुझे अफसोस हुआ जब कि माननीय रूम सिंह जी ने इस प्रस्ताव के सिलसिले में बिना ऐक्ट की धाराओं को पढ़ हुये भाषण दे दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जो इसके द्वारा अधिकार ले रही है, वह उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष—मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार कर रहे हैं।

श्री जयराम वर्मा—जी हां।

श्री रामेश्वरप्रसाद—यह सभी को पता है कि जिला परिषद् को अधिकार नहीं है कि वह ऐसे पदों को सृजित कर सके। इसलिये इस संशोधन के द्वारा तो सरकार एक ऐसा अधिकार ले रही है जो एक वस्तुस्थिति के लिये होगा। श्री गोविन्दसिंह जी ने कहा कि यह प्रस्ताव रिऐक्शनरी है। यह बात मुझे बहुत अखरी। मुझे अफसोस इसलिये अधिक हुआ है यह प्रगतिशील प्रस्ताव उनके चश्में में पहुंचकर रिऐक्शनरी हो गया। प्रगतिशील इस मानी में भी है कि सदन के दूसरे कोनों से यह मांग की गई है कि इस प्रकार का प्राविजन इसमें होना चाहिये कि श्रमिक अधिकारी हो, रक्षा अधिकारी हो, या कोआपरेटिव अधिकारी हो अब इस संशोधन द्वारा इस प्रकार के पदों का ही, सृजन किया जायगा। उसी के लिये इस संशोधन द्वारा रास्ता खोला गया है। मैं समझता हूं कि यह प्रगतिशील है और इसका फैसला गोविन्दसिंह जी कर लें।

***श्री प्रतापसिंह**—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के जिन माननीय सदस्यों ने मेरे संशोधन का समर्थन किया उनका बहुत आभारी हूं। और जिन माननीय सदस्यों ने इसका विरोध किया, इससे पहले कि मैं उनका कुछ उत्तर दूं आपसे एक न्याय की मांग करता हूं कि माननीय मंत्री जी ने यहां एक संशोधन पेश किया है, उसमें यह लिखा है कि अगर राज्य सरकार किसी पद सृजन के लिये कहे तो जिला परिषद् के लिये अनिवार्य होगा और दूसरा संशोधन जो श्री रामेश्वरप्रसाद ने पेश किया है उसे भी सरकार ने स्वीकार करके उसे अपना संशोधन मान लिया है। तो मैं जानना चाहता हूं कि जान बूझ कर इस आदरणीय सदन के समय का इस तरह से दुरुपयोग क्यों किया जाता है। जब यह बात मान ली गई है कि सरकार जो आदेश करेगी वह अनिवार्य होगा तो न मानने का सवाल नहीं आता। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे अवसर पर जब कि आप हमारी विधान सभा के अधिकारों के रक्षक हैं और कस्टोडियन हैं तो इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिये।

मैं माननीय मंत्री जी के संशोधन का विरोध करता हूं और यह विरोध इस माने में कि जहां उनका संशोधन है वहीं श्री रामेश्वरप्रसाद का संशोधन जो आठ लाइनों का है उसे उन्होंने स्वीकार कर लिया, जिसे मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी का ऐसा करना गलत है। दूसरे मैं सरकार के संशोधन का विरोध इसलिये करता हूं कि सरकार नहीं चाहती कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया जाय। जिलाधीश के पद को हम समाप्त नहीं कर रहे हैं लेकिन उसके अधिकार को कम कर रहे हैं और आज सरकार के सामने सत्ता कायम करने का सवाल है। मैं समझता हूं कि वह जिलाधीश जो आज तक अपने को जिले का गाड समझता है उसको भी कल अधिकार हो सकता है कि वह अगर कोई नया पद क्रिएट करना चाहे तो उसे कर सकता है लेकिन सत्ता का विकेन्द्रीकरण होने पर यह चीज कल को नहीं हो सकेगी। इसमें यह लिखा है कि बिना राज्य सरकार की स्वीकृत के यह समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि जिलाधीश जिस जगह को चाहे क्रिएट कर सकता है और जब चाहे उस पद को समाप्त कर सकता है।

जहां तक डिसेन्ट्रलाइजेशन का सवाल है, जिलाधीश यह समझता है कि अब तक उसका जो हिटलरी फरमान निकला करता था वह नहीं निकल सकेगा। सरकार की तरफ से इसलिये ऐसा संशोधन आया है कि वह जब भी चाहे ऐसी जगह को क्रिएट कर सकता है। मैं समझता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हूं कि जब माननीय मंत्री जी ने हमारे संशोधन को नहीं माना तो श्री रामेश्वरप्रसाद के संशोधन में ही ऐसी कौन बात है जिसे उन्होंने मान लिया। मेरी तो मांग यह है कि अगर विकेन्द्रीकरण के सही सिद्धान्त को मानना है तो मेरे संशोधन को स्वीकार करें क्योंकि वहां तो हम और आप जायेंगे नहीं, हम आप तो जिस तरह से पोलिटिक्स में लड़ा करते हैं, लड़ते रहेंगे। इन शब्दों के साथ में माननीय मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहूंगा कि अगर श्री रामेश्वर प्रसाद जी के संशोधन को न माना जाय और उसके द्वारा सरकार को अधिकार न दिया जाय तो उसमें क्या फर्क है? छोटी जगहों के लिये तो जिला परिषदें नियुक्ति करेंगी लेकिन बड़ी जगहों के लिये पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा नियुक्ति होगी तो मेरी समझ में नहीं आता कि राज्य सरकार कैसे बीच में आती है। इन शब्दों के साथ में चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी जवाब देते हुए स्पष्टीकरण देंगे क्योंकि जिस तरह की तानाशाही वे चाहते हैं नहीं चल सकेगी, बाहर भी उनको इसके लिये जवाब देना पड़ेगा।

*श्री चन्द्रजीत यादव—श्रीमन्, मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया था वह सदन की उन भावनाओं के अनुकूल है जो चारों ओर से यहां व्यक्त की गयी हैं कि हम जिला परिषदों को अपने प्रजातंत्र की एक बुनियादी इकाई बना सकें और इस विधेयक के उद्देश्य के अन्दर भी यह कहा गया है कि लोकतंत्रात्मक प्रणाली जो है विकेन्द्रीकरण करके आगे बढ़ने का प्रयास किया गया है। उस संशोधन में महज यह मांग की गयी है कि ऐसे अधिकारी जो जिला परिषद् के अधीन काम करते हैं चाहे वे राज्य सरकार द्वारा सरकारी नियुक्तियों के खिलाफ, जहां तक उनका दायित्व जिला परिषद् के अधीन है, और जिला परिषद् के अधीन जिन कामों का निर्वाहन करते हैं, उनको प्रजातांत्रिक जिला परिषद् के मातहत होना चाहिये। यह विभाग बराबर मांग करता रहा है कि हमारे स्वायत्त शासन विभाग को अधिक से अधिक अधिकार दिये जायं। इस बात की भी मांग बराबर यहां की गई है।

यही नहीं कि हम जो अपनी साधारण सर्विसेज हैं उनका विकेन्द्रीकरण करें बल्कि जो एसेनशियल सर्विसेज हैं यहां तक कि सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस का जो महत्व होता है, इस बात की मांग की गई इस सदन में कि पुलिस को भी जिला परिषदों के अधीन, नगरपालिका और महापालिकाओं के अधीन होना चाहिये। तो ऐसी सर्विसेज जो उस दृष्टिकोण से बहुत ऐसेनशियल सर्विसेज नहीं हैं लेकिन जिनका निर्वाह और उत्तरदायित्व जिला परिषद् के अधीन काम करना है, मैं समझता हूं उनको पूर्णतः जिला परिषद् के मातहत रखने में सरकार को कोई एतराज नहीं होना चाहिये और मंत्री जी को इस बात को मान लेना चाहिये कि राज्य सरकार के वे अधिकारी उस हद तक, जिस हद तक कि वे जिला परिषद् के कार्यों का निर्वाह करते हैं, पूर्णतः जिला परिषद् के मातहत होंगे यदि वह ऐसा मानते हैं तो इस विधेयक का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति होगी। इन शब्दों के साथ में अपने संशोधन को पेश करता हूं।

श्री अध्यक्ष—अब मैं राय ले लेता हूं। माननीय मंत्री जी, आप कुछ कहना चाहें तो कहें।

श्री जयराम वर्मा—अध्यक्ष महोदय, जिला परिषद् को इस समय जो काम सुपुर्द हैं उन कामों से सम्बन्धित जिन अधिकारियों का होना आवश्यक है उन अधिकारियों का समावेश ३९ के उप-खंड (१) में किया गया है। इसमें एक कमी रह गई थी कार्याधिकारी की जिसका उल्लेख इसके उप-खंड (२) में हो गया था जिसका अर्थ यह हो गया था कि यह जिला परिषद् के हाथ में हो गया था कि इन पदों का सृजन करे या न करे। लेकिन आज तक जिला बोर्डों के सेक्रेटरी मौजूद हैं जो इस समय कार्याधिकारी का काम करते हैं उनका भी पद होना आवश्यक था, उन्हें आगे रखा जाना जरूरी है। इसलिये जो यहां पर कमी रह गई थी उसको पूरा करने के लिये उसका समावेश यहां पर कर दिया गया है। श्रीमान् जी, इसमें दो और अधिकारियों के बढ़ाने की बात श्री शिवराम जी ने की है और वह चाहते हैं कि एक श्रम अधीक्षक और एक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जयराम वर्मा]

रक्षा अधीक्षक रख दिया जाय। इस समय जिला परिषद् के हाथ में पुलिस का काम नहीं है। जब तक वह काम न दिया जाय तब तक रक्षा अधीक्षक को उनके अन्दर रखने से कोई मतलब नहीं निकलता है और यहां यह काम हम उनको देने नहीं जा रहे हैं और इस वक्त ऐसी परिस्थिति नहीं है कि वह काम जिला परिषद् को सौंपा जाय, इसलिये इसकी यहां आवश्यकता नहीं है।

जहां तक श्रम अधीक्षक की बात है, कोई श्रम सम्बन्धी काम नहीं सौंपा गया है इसलिये उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। जब कभी इस तरह का काम आवे तब ऐसे अधिकारी की आवश्यकता हो सकती है। इसलिये व्यर्थ के अधिकारियों का समावेश नहीं किया गया है। जो अधिकारी आवश्यक हैं उन्हीं का समावेश किया गया है। इसलिये जो दो और अधिकारी बढ़ाने की बात कही जा रही है उनका बढ़ाया जाना किसी तरह से उपयुक्त नहीं है।

इसके बाद श्री रामकृष्ण सारस्वत जी ने एक संशोधन पेश किया है कि जिन अधिकारियों का यहां पर जिक्र है उनका प्रदेशीय स्तर पर ट्रांसफर हुआ करे। इस सम्बन्ध में उनसे यह कहूंगा कि यह न तो उचित समय है और न उचित स्थान है। जैसा कि वह खुद समझते हैं कि इसी के खंड ४४ में इस बात का उल्लेख है कि राज्य सरकार प्रदेश में एक केन्द्रीय संकाम्य संवर्ग बनाना चाहती है और यह व्यवस्था करना चाहती है कि कुछ अधिकारी जिनके ट्रांसफर होने जरूरी हैं वह ट्रांसफर किये जायं। लेकिन इस तरह की व्यवस्था हम सिर्फ जिला परिषदों के लिये ही नहीं करना चाहते हैं, नगरपालिका, महापालिका और दूसरी संस्थाओं के लिये भी करना चाहते हैं और उसके लिये राज्य सरकार अलग एक विधेयक लाना चाहती है और उस पर विचार हो रहा है।

श्री प्रतापसिंह—वह विधेयक कबतक आयेगा ?

श्री जयराम वर्मा—जल्दी ही आने वाला है, इसलिये आज इस संशोधन की जरूरत नहीं है। और यहां पर इस संशोधन को कर देने से जबतक कार्याधिकारी को मैंने जोड़ा नहीं था तबतक जो नौ ही अधिकारी हैं संशोधन के अनुसार उन्हीं का तबादला हो सकता है और सेक्रेटरी का नहीं हो सकता। इसलिये मैं माननीय सारस्वतजी से प्रार्थना करूंगा कि वह अपने संशोधन को वापस लें, इसके लिये उचित व्यवस्था की जा रही है।

इसके उपखंड (२) में यह व्यवस्था की गयी है कि उन अधिकारियों के अलावा जिनका उल्लेख उप-खंड (१) में है और अधिकारियों के पद का सृजन जिला परिषद् कर सकती है। अधिकारियों के अलावा सेवकों के पद का भी सृजन कर सकती है। जो माननीय सदस्य इसको निकालना चाहते हैं उसका मतलब यह होगा कि जो अधिकार हम जिला परिषद् को देना चाहते हैं इस उप-खंड को निकाल कर वे उस अधिकार को छीनना चाहते हैं। इसलिये उस उप-खंड को निकालना मुनासिब नहीं होगा।

मैंने जो कार्याधिकारी को उप-खंड (२) से हटा कर उप-खंड (१) में किया है उसके लिये भी रूपसिंहजी ने यहां तक कह दिया कि राज्य सरकार ऐसा करके सारे अधिकार अपने हाथ में ले रही है। अरे, उनकी तो नौकरी निश्चित की जा रही है कि कार्याधिकारी का होना आवश्यक है, इसमें सरकार क्या अधिकार अपने हाथ में ले रही है ?

फिर, श्रीमान् जी, उप-खंड (२) का जो प्रतिबन्ध है विधेयक में, उसमें यह है कि राज्य सरकार अगर इस तरह का आदेश दे कि जिला परिषद् किसी पद को सृजित करे तो उसके लिये अनिवार्य हो जायगा कि वह सृजित करे। इसके स्थान पर माननीय रामेश्वरप्रसाद जी ने जो संशोधन पेश किया है उसको अगर गौर से पढ़ें तो उस पर बड़ा इम्प्रूवमेंट मालूम पड़ता है। विधेयक में जिस प्रकार है उससे एक बात की झलक मालूम होती है कि आदेश दिया जाय तो जिला परिषद् को पद का सृजन करना ही पड़ेगा, लेकिन संशोधन के अनुसार यह है कि राज्य सरकार

जिला परिषद को कारणों सहित लिखेगी कि इस पद का सृजन करना आवश्यक है और जिला परिषद् उस पर विचार करेगा और विचार करने के बाद अगर यह तय कर लेती है कि राज्य सरकार के सुझाव को मान लेना चाहिये तो वह सृजित कर देगी, लेकिन अगर जिला परिषद् सृजन नहीं करती है तो फिर राज्य सरकार विचार करेगी और अगर वह समझती है कि उस पद की आवश्यकता है तब उसके लिये वह आज्ञा देगी।

उससे और इस संशोधन से बड़ा फर्क है और जिन बातों का उल्लेख उप-खंड (1) में किया गया है वह तो जिला परिषदों के हाथ में छोड़ दिया गया है। उसमें अतिरिक्त अभियन्ता, अतिरिक्त स्वास्थ्य अधिकारी रहेगा। अगर किसी जिला परिषद् में ऐसे अधिकारियों की आवश्यकता है और जिला परिषद् किसी वजह से सृजन नहीं करना चाहता है और सरकार देखती है कि उसके काम में हर्ज हो रहा है तो सरकार इस तरह का काम करेगी कि उसको लिखेगी और उसको विचार करने का मौका देगी। फिर यदि वह मानने के लिये तैयार नहीं है तो आदेश देगी कि उक्त पद का सृजन किया जाय। इसके माने यह नहीं है कि हम नियुक्ति कर देंगे। यादव जी कह रहे थे कि सरकार नियुक्त करेगी। हम किसी को नियुक्ति नहीं करेंगे। श्रीमन्, मान लिया जाय कि किसी जिला परिषद् में काम बढ़ गया है और अभियन्ता के अलावा अतिरिक्त अभियन्ता नहीं रखा गया है, निर्माण का काम बिगड़ रहा है और जिला परिषद् उस पद को सृजन करने के लिये तैयार नहीं है और राज्य सरकार देखती है कि इसकी जरूरत है तो वह कह सकती है कि इसको रखा जाय। इस समय भी कई नगरपालिकाओं को आदेश देने पड़े हैं क्योंकि कुछ जरूरी पद नहीं रखे जा रहे थे और काम बिगड़ रहा था तो सरकार को आदेश देना पड़ा कि उनको रखा जाय। अभी बरेली की बात है कि वहां पर काम बिगड़ रहा था, निर्माण का काम गड़बड़ हो रहा था और वह अभियन्ता नहीं रख रहे थे तो सरकार को आदेश देना पड़ा कि रखा जाय, तब भी वह इन्कार करते रहे। लेकिन सरकार को नियुक्ति करने का अधिकार है इसलिये काम चल गया। अगर सरकार यह अधिकार न ले तो कैसे ठीक कर पायेगी ?

श्रीमन्, उपखंड (३) में कहा गया है कि जिन अधिकारियों का उल्लेख (१) में नहीं है उसमें जो सरकारी कर्मचारी हैं उनमें से फलां-फलां कर्मचारी जिला परिषद् के फलां-फलां पदों को भी ग्रहण करेंगे, जैसे सहायक पंचायत अधिकारी है वह यहां पर पंचायत राज्य अधीक्षक हो जायगा, डिप्टी इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स है वह यहां शिक्षा अधीक्षक हो जायगा। श्रीमन्, इसमें यह संशोधन रखा गया है कि जिला परिषद् की स्वीकृति से यह पद ग्रहण कर सकेंगे। वह चाहते हैं कि यह भी जिला परिषद् के ऊपर छोड़ दिया जाय कि चाहें डिप्टी इंसपेक्टर आफ स्कूल्स को रखें या न रखें, तो यह उचित नहीं है। अगर वह कह दें कि राज्य पंचायत अधिकारी को वह पंचायत अधीक्षक नहीं बनायेंगे तो इसमें जिम्मेदारी सरकार की है। तो इस तरह से कह देने से कि बिना जिला परिषद् की मर्जी के न रखे जायं, सारे काम गड़बड़ हो जायंगे और चौपट हो जायंगे। इस तरह का संशोधन मानना उचित नहीं है। इन शब्दों के साथ में प्रार्थना करूंगा कि रामेश्वर प्रसाद जी का और मेरा संशोधन स्वीकार कर लें, सारस्वत जी वापस ले लें और बाकी को सदन अस्वीकार कर दे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३९ का उपखंड (१) के भाग (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"सचिव"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३९ के उपखंड (१) में वर्तमान मद (५) से (९) तक को संख्या बदल कर क्रमशः (६) से (१०) तक बढ़ा दी जाय तथा एक नई मद (५) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दी जाय—

"(५) कार्याधिकारी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खड ३९ के उप-खंड (२) की दूसरी पंक्ति में शब्द 'कार्याधिकारी' निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३९ के उपखंड (१) के भाग (९) के उपरांत "भाग (१०) श्रम अधीक्षक" तथा "भाग (११) रक्षा अधीक्षक" और बढ़ा दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री रामकृष्ण सारस्वत—मैं माननीय मंत्री जी के इस आश्वासन पर कि इस सम्बन्ध में वह अलग से विधेयक ला रहे हैं, अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३९ के उपखंड (२) के प्रतिबन्धात्मक खंड के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार किसी जिला परिषद् से लिखित तथा कारण सहित निदेश द्वारा अपेक्षा कर सकती है कि वह कोई पद सृजित करे और यदि जिला परिषद् ऐसे पद का सृजन न करे और राज्य सरकार उस पद को आवश्यक समझे तो वह स्वयं आदेश द्वारा उस पद का सृजन कर देगी और उस दशा में उक्त पद राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना समाप्त नहीं किया जा सकेगा ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३९ के उपखंड (२) का प्रतिबन्धात्मक अंश निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३९ का उपखंड (२) निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३९ के उपखंड (३) के अन्त में निम्नलिखित रख दिया जाय—

"और परिषद् के क्षेत्राधिकार के कार्यों का निष्पादन करने के लिये परिषद् के अधीन समझे जायेंगे और उसके निदेशों को पालन करेंगे ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३९ के उपखंड (३) की पंक्ति ६ में शब्द "मुख्य कार्याधिकारी" के स्थान पर शब्द "सचिव" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३९ के उपखंड ३ की अन्तिम पंक्ति में शब्द "धारण करेगा" के पूर्व शब्द "जिला परिषद् की स्वीकृति से" बढ़ा दिया जाय तथा शब्द "भी" के पहले ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३९ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ४०

(१) धारा ३९ की उपधारा (१) के अधीन सृजित वित्त अधिकारी, अभियन्ता और कर-अधिकारी के पदों पर तथा उक्त धारा की उप-धारा (२) के अधीन सृजित समस्त पदों पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की अर्हतायें वे होंगी जो नियत की जायं । अर्हतायें, सेवा की शत आदि

(२) परिषद् के अधिकारियों तथा अन्य सेवकों की उपलब्धियां तथा सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी जो नियत की जायं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, इसमें एक संशोधन सरकार की तरफ से भी आ रहा है । तो उसके बाद पेश करूं या उसके पहले ?

श्री अध्यक्ष—आपका जो है वह तो है सब्स्टीट्यूट करने का उनके एवज में, तो उसको तो आप पहले रखें ।

***श्री मोतीलाल अवस्थी**—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि—

खंड ४० को निकाल कर उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"खंड ३९ के उप-खंड (१) के अधीन वह अधिकारी जो उप-खंड (३) में वर्णित अधिकारियों के अतिरिक्त होंगे उनकी उपलब्धियां, सेवा की अन्य शर्तें एवं अर्हतायें एक विशिष्ट सेवा कमीशन द्वारा नियत की जावेंगी जो इस कार्य के लिए पृथक् निर्मित किया जावेगा और जिसमें विधान मंडल का भी एक प्रतिनिधि होगा।"

श्रीमन्, यह जो धारा ४० है इसमें सरकार ने यों रखा है कि "धारा ३९ की" उप-धारा (१) के अधीन सृजित वित्त अधिकारी, अभियन्ता और कर अधिकारी के पदों पर तथा उक्त धारा की उप-धारा (२) के अधीन सृजित समस्त पदों पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की अर्हतायें वे होंगी जो नियत की जायं ।

(२) परिषद के अधिकारियों तथा अन्य सेवकों की उपलब्धियां तथा सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी जो नियत की जायं ।"

आप देखें कि इसमें सभी में धारा ३९ की उप-धारा (१) के अधीन ये बच जाते हैं वित्त अधिकारी, अभियन्ता और कर अधिकारी और उप-धारा (२) में पहले जैसा था उसमें अतिरिक्त अभियन्ता और अतिरिक्त स्वास्थ्य अधिकारी ये दो और बढ़ जाते हैं । तो इन सबके लिए यह कहा गया है कि समस्त पदों पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की अर्हतायें सरकार नियत करेगी । मेरा इसकी जगह पर यह है कि बजाय इसके कि सरकार इन पदाधिकारियों की अर्हतायें और उपलब्धियों और सेवा की शर्तों को नियत करे, यह एक विशिष्ट सेवा कमीशन के द्वारा की जाय और यह सेवा कमीशन इस कार्य के लिये नियुक्त होगा और प्रान्तीय स्तर पर होगा। सरकार ने जितनी भी नियुक्तियों की बातचीत की है सब में अपने हाथ में रेगुलेशंस की पावर्स ले रखी हैं । इस प्रकार से एक तरफ तो हम विकेन्द्रीकरण की बात सोचते हैं और दूसरी ओर सरकार सारी पावर्स अपने हाथ में रखना चाहती है । जितने अधिकारी हों उनकी नियुक्तियां प्रान्तीय स्तर पर कमीशन के द्वारा हों और यह कमीशन प्रान्तीय सेवा आयुक्त के अधीन न रह कर एक नये प्रकार का आयुक्त होगा और इस नये प्रकार के कमीशन में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों में विधान मंडल का एक सदस्य भी होगा और उसे कमीशन के सभी कार्यों को देखने का मौका मिलेगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

इन परिषदों में वे हर एक कार्य नियत प्राधिकारी से कराना चाहते हैं और सरकार का अंकुश रखना चाहते हैं। इससे पता चलता है कि ये अधिकारी जनता के चुने हुए अधिकारी नहीं होंगे बल्कि उन पर सीधा सीधा अंकुश और कंट्रोल सरकार का होगा। परिषदें अध्यक्षों द्वारा चलेंगी लेकिन कर्मचारी उनके द्वारा नियुक्त नहीं होंगे, सरकार द्वारा नियुक्त होंगे। इस तरह से डुएल सिस्टम होगा यह कभी सफलतापूर्वक नहीं चल सकेगा।

तैंतालीस में आप देखें कि जिनका वेतन २०० रुपये हो उनकी नियुक्तियां सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है, परिषदों के हाथ में उनकी नियुक्तियां नहीं होंगी। ये परिषदें इस प्रकार सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकेंगी। हम देखते हैं कि ये संस्थायें तो जनता द्वारा बनी हों लेकिन पदाधिकारी जो हों वे हमारी पसन्दगी के न हों, सरकार द्वारा लादे हुए पदाधिकारी हों तो यह दोनों बातें कैसे चल सकती हैं? उनकी नियुक्ति करने के लिये प्रान्तीय स्तर पर एक इंस्टीट्यूशन हो उसके लिये हमने कमीशन निर्माण करने की बात कही है और प्रान्तीय स्तर पर ट्रान्सफरेबिल पोस्ट्स का कैडर बनेगा। यही इस कार्य को पूरा करने के लिये उचित माध्यम दिखायी पड़ता है। हां, इसमें एक निरीक्षण की व्यवस्था भी रखी गयी है। इस तरह से इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि आप सारे अधिकारियों की नियुक्ति, कंट्रोल अपने हाथ में रखने के बजाय चुने हुए सदस्यों के हाथ में रखें, उनके द्वारा करायें और उसी के लिये कमीशन की बात रखी गयी है।

श्री जयराम वर्मा—अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ४० के उप-खंड (१) की प्रथम पंक्ति के अन्त में कामा के चिन्ह के पश्चात् "कार्याधिकारी" तथा कामा का चिन्ह रख दिया जाय।

श्रीमन्, खंड ३९ के उपखंड (१) में जो संशोधन हुआ है, जिसके द्वारा कार्याधिकारी लाया गया है उसके फलस्वरूप यह आनुषांगिक संशोधन जरूरी हो गया है। इसलिये कार्याधिकारी को यहां रखने के लिये मैंने संशोधन उपस्थित किया है।

श्री अध्यक्ष—अब क्या माननीय प्रतापसिंह जी संशोधन नम्बर १६३–कक को पेश करेंगे?

श्री अब्दुल रऊफ लारी—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं निम्न संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ४० के उप-खंड (१) की अंतिम पंक्ति में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय—

"और उन्हें जिला परिषद् स्वीकार करे।"

मान्यवर, इसमें जिलाधीश गलत छप गया है इसलिये इसको जिला परिषद् ठीक कर लिया जाय।

मान्यवर, दूसरा एक संशोधन है १६३–ककक, जिसे भी मैं आपकी आज्ञा से पेश करता हूं। मैं आपकी आज्ञा से निम्न संशोधन पेश करता हूं कि खंड ४० के उप-खंड (२) के शब्द "नियत की जाय" के पूर्व शब्द "जिला परिषद् की सम्मति से" जोड़ दिये जायं।

मान्यवर, इसमें भी गलती से जिला परिषद् के स्थान पर जिलाधीश छप गया है। इसे ठीक कर लिया जाय।

इस प्रकार से अब इस खंड का यह रूप हो जायगा:

"धारा ३९ की उप-धारा (१) के अधीन सृजित वित्त अधिकारी, अभियन्ता और कर अधिकारी के पदों पर तथा उक्त धारा की उप-धारा (२) के अधीन सृजित समस्त पदों पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की अर्हतायें वे होंगी जो नियत की जायं और उन्हें जिला परिषद् स्वीकार करे।"

दूसरा उप-खंड इस प्रकार हो जायगा:

"परिषद् के अधिकारियों तथा अन्य सेवकों की उपलब्धियां तथा सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी जो जिला परिषद् की सम्मति से नियत की जायं।"

मान्यवर, इस संबंध में मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि जिला परिषद् को उन्होंने विकेन्द्रीकरण का रूप दिया है और बार-बार यह घोषणा की है कि हम सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने जा रहे हैं और तमाम अधिकार इन छोटे-छोटे निकायों को देने जा रहे हैं। लेकिन मान्यवर, उन्होंने उनको इन धाराओं में इस तरह से बांध रखा है कि नियुक्तियों का सारा अधिकार राज्य सरकार के हाथ में रहेगा और जिला परिषद् से कोई मतलब न होगा। काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं अगर उन पर जिला परिषद् का कोई कंट्रोल न रहेगा या किसी किस्म की पाबन्दी न रहेगी तो वे कभी भी जिला परिषद् के मन के मुताबिक काम नहीं करेंगे और अपने मनमाने ढंग से काम करते रहेंगे। वे जिला परिषद् के नियंत्रण में नहीं रहेंगे। परिषद् की कोई वकअत उनकी नजर में नहीं रहेगी।

मान्यवर, ठीक ढंग से काम होने के लिये आवश्यक है कि कर्मचारियों में या तो देश प्रेम हो अथवा डर। आज के अधिकारियों में देश प्रेम तो रह ही नहीं गया है, न देश प्रेम है और न सेवा भाव। वे केवल डर से ही काम कर सकते हैं और इस डर को भी मंत्री जी इस धारा के मुताबिक अपने हाथ में ले रहे हैं। इस तरह से कोई कंट्रोल उन पर परिषद् का नहीं रहेगा और न कोई डरेगा। तो मेरी समझ में नहीं आता कि काम कैसे सुचारुरूप से चल सकता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने यह संशोधन रखा है और मुझे पूरी आशा है कि मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे। अगर दुर्भाग्यवश मंत्री जी इसे स्वीकार न करें तो मैं आपके द्वारा आदरणीय सदन से अनुरोध करूंगा कि अगर वह चाहता है कि जिला परिषद् सही मानों में काम कर सके तो वह इन संशोधनों को स्वीकार करे ताकि जिला परिषदों द्वारा जनता की सही रूप से वहां सेवा हो सके और जनता की भलाई के कार्य हो सकें। इन अधिकारियों के सम्बन्ध में जिला परिषदों के हाथों में कुछ अधिकार होना चाहिये कि वे उनकी नियुक्ति कर सकें और उनको निकाल भी सकें।

मैं जानता हूं कि यदि मंत्री जी के हाथों में ही यह अधिकार रहे तो कोई भी अपघात जनता के हितों का नहीं हो सकता लेकिन हमेशा तो वे रहेंगे नहीं, रहेगा तो उन्हीं के हाथों में जो अधिकारी लोग हैं, जिनका आधिपत्य शासन पर पूर्णरूपेण है और जो तरह तरह से अपना काबू रखने के लिये नियम बनाते हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि जनता के हित में यह संशोधन है। जो जनप्रतिनिधि चुनकर आयेंगे उनसे मंत्री जी क्यों घबड़ाते हैं और इतनी पाबन्दियां लगाने पर भी उन पर विश्वास क्यों नहीं करते? अगर अधिकार लेना ही चाहते हैं तो राज्य सरकार के हाथों में न दिलाकर इस सदन में उस अधिकार को लेना चाहिये था। मुझे आशा है कि संशोधन उचित है और वह मान लिया जायगा।

श्री जयराम वर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस खंड के अधीन जिला परिषद् के अधिकारियों और कर्मचारियों को अर्हताओं, सेवाओं की उपलब्धियों और अन्य शर्तों की व्यवस्था की गयी है और कहा गया है कि वह नियमों द्वारा नियुक्त किये जायेंगे। माननीय अवस्थी जी ने संशोधन रखा है कि यह सब बातें सेवा आयोग द्वारा तय हों। सभी जानते हैं कि सेवा की शर्तें सरकार तय करती है, उनकी अर्हताओं को सरकार तय करती है। यह सब तय करने का अधिकार सरकार को होता है, सेवा आयोग को नहीं। इस तरह की बात कहीं होती नहीं। अजीब तरह का संशोधन यहां उपस्थित किया गया है। इस तरह की बात कभी हो नहीं सकती।

दूसरा संशोधन यह है कि यह सेवा की शर्तें जिला परिषद् द्वारा तय हों, यानी यह कि उनको छूट दे दी जाय कि हर परिषद् अलग-अलग अधिकार रखे कि क्या योग्यतायें उनके कर्मचारियों की हों, क्या शर्तें सेवाओं की हों, यह सब अलग-अलग तय करें। तो प्रदेश में तो कोई यूनिफार्मिटी

[श्री जयराम वर्मा]

रहेगी नहीं। इसके अतिरिक्त यह मांग की गयी थी कि इसकी कुछ सर्विसेज को ट्रांसफरेबिल कर दिया जाय। इनकी अर्हतायें समान नहीं होंगी, इनकी उपलब्धि समान नहीं होगी और इनकी शर्तें समान नहीं होंगी तो कैसे इनकी सेवायें ट्रांसफरेबिल हो सकेंगी इसलिये इन शर्तों को मान लेना उचित नहीं है। इसलिये मैं इन संशोधनों को अस्वीकार करता हूं और जो आनुषंगिक संशोधन मैंने उपस्थित किया है सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह उसको स्वीकार करे।

भुवाली सैनीटोरियम की समिति के लिये चुनाव तिथि बढ़ाने की सूचना

श्री अध्यक्ष—अब यह कल होगा। मैं यह एक सूचना देना चाहता हूं। भुवाली सैनिटोरियम की समिति के लिये जो नामजदगी की तिथि मैंने रखी थी उसके लिये नरेन्द्रसिंह जी और मदन पांडेय जी ने भी इच्छा प्रकट की है कि इसका समय बढ़ा दिया जाय क्योंकि यह सम्भव है कि निर्विरोध चुनाव हो जाय तो इसलिये मैंने ३ रोज का समय बढ़ा दिया है। १६ सितम्बर, १९६० तक वापस लेने की तिथि अब रहेगी और १६ को जो चुनाव होने वाला था अगर आवश्यकता पड़ी तो १९ को होगा।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः
१३ सितम्बर, १९६०।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६८ पर)

लखनऊ, मेरठ, फैजाबाद, हापुड़, गोरखपुर, बस्ती व मनकापुर में कोल्ड स्टोरेज और औद्योगिक कार्यों की दरें

शहरों के नाम	दर
१—लखनऊ :	(क) कोल्ड स्टोरेज तथा अन्य औद्योगिक कार्य स्लाइडिंग स्केल (ए० सी०)— (१) पहले ६० यूनिट पर एक माह का प्रति बी० एच० पी०, प्रति यूनिट ११ नये पैसे । (२) ६० यूनिट के बाद ४० यूनिट तक एक माह का प्रति बी० एच० पी०, प्रति यूनिट १० न० पै० (३) १०० यूनिट से ऊपर प्रति बी० एच० पी०, प्रति माह ५ नये पैसे प्रति यूनिट । स्लाइडिंग स्केल डी० सी०— (१) पहले ६० यूनिट पर प्रति माह प्रति बी० एच० पी०, प्रति यूनिट १२ नये पैसे । (२) इसके बाद अगले ४० यूनिट तक प्रति माह प्रति बी० एच० पी०, १० नये पैसे प्रति यूनिट । (३) १०० यूनिट से ऊपर प्रति माह प्रति बी० एच० पी०, ६ नये पैसे प्रति यूनिट । (ख) टू पार्ट टैरिफ (ए० सी०)— प्रति माह प्रति बी० एच० पी०, निश्चित दर रु० ५.७५ नये पैसे इसके अतिरिक्त बिजली के खर्च (consumption) पर ५ नये पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से चार्ज किया जाता है । टू पार्ट टैरिफ (डी० सी०)— प्रति माह प्रति बी० एच० पी०, निश्चित दर रु० ६.२५ नये पैसे इसके अतिरिक्त बिजली के खर्च (consumption) पर ६ नये पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से चार्ज किया जाता है । नोट—निश्चित अवधि में बिल का रुपया जमा करने पर उपभोक्ता को ६ नये पैसे प्रति रुपया के हिसाब से छूट (rebate) दी जाती है । बड़े औद्योगिक कार्य के लिये— (३५ के० वी० ए० से ऊपर) कोई निश्चित दर नहीं । इन्स्टालेशन के आधार पर आपसी समझौते के अनुसार दर तय होती है ।
२—मेरठ : ३—हापुड़ :	(१) टू पार्ट टैरिफ रु० ६ प्रति बी० एच० पी०, प्रति माह एवं ९ पाई प्रति यूनिट इसके साथ ३ पाई प्रति यूनिट के हिसाब से छूट ।

शहरों के नाम	दर
	२—स्लाइडिंग स्केल
	(अ) ५०बी० एच० पी० से कम इन्स्टालेशन के लिये—
	पहले १,३२० यूनिट प्रति वर्ष प्रति बी० एच० पी०, २१ पाई less ३ पाई।
	दूसरे १,२०० यूनिट प्रति वर्ष प्रति बी० एच० पी०, १८ पाई less ६ पाई।
	बाद के ६०० यूनिट प्रति वर्ष प्रति बी० एच० पी०, १८ पाई less ११ पाई।
	३,४२० से अधिक यूनिट प्रति वर्ष प्रति बी० एच० पी० १८ पाई less १५ १/२ पाई।
	(बी) ५० बी० एच० पी० इन्स्टालेशन या उसके ऊपर के लिये—
	१,३२० यूनिट तक प्रति बी० एच० पी० प्रति वर्ष २१ पाई less ३ पाई।
	अन्यथा पहले १,३२० यूनिट पर प्रति बी० एच० पी० प्रति वर्ष २१ पाई less ४ पाई।
	दूसरे १,२०० यूनिट पर प्रति बी० एच० पी० प्रति वर्ष १८ पाई less ११ १/२ पाई।
	बाद के ६०० यूनिट पर प्रति बी० एच० पी० प्रति वर्ष १८ पाई less १३ १/२ पाई।
	३,४२० यूनिट के ऊपर प्रति बी० एच० पी० प्रति वर्ष १८ पाई less १७ १/४ पाई।
४—फैजाबाद :	क और ख दोनों के लिये—
	मासिक चार्ज ५.०० रु० प्रति बी० एच० पी० एवं १ आना प्रति यूनिट की दर से।
५—गोरखपुर :	क और ख दोनों के लिये—
	रु० ६ प्रति बी० एच० पी० निश्चित दर एवं रु० ०.१४ नये पैसे प्रति यूनिट की दर से छूट (rebate) रु० १.०० प्रति बी० एच० पी० यदि बिल के रुपये का भुगतान समय के भीतर कर दिया जाये।
	यह दर सभी मोटर जो कि एक बी० एच० पी० और उसके ऊपर हैं लागू होता है।
	Fractional एच० पी० मोटर के लिये ०.१४ नये पैसे एवं (plus) रु० ५ प्रति बी० एच० पी०। ०.०२ नये पैसे प्रति यूनिट छूट।
६—बस्ती :	सवा तीन आना प्रति यूनिट, तीन पाई प्रति यूनिट छूट।
७—मनकापुर (जिला गोंडा) :	कोल्ड स्टोरेज — तीन आने ६ पाई प्रति यूनिट औद्योगिक — चार आने प्रति यूनिट।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६० का उत्तर पीछे पृष्ठ १०१ पर)

झांसी कमिश्नरी में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बनने वाली सड़कों और पुलों का विवरण

जिला	द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित सड़कों और पुलों के नाम	लम्बाई	दिसम्बर, १९५९ तक कार्य की प्रगति	कार्य पूरा होने की सम्भावित तिथि
१	२	३	४	५
		मी० फ०		
झांसी	१—बांसी-जखौरा सड़क	९ ७	—	सितम्बर, १९६१
	२—बांसी-बार सड़क	७ ०	—	सितम्बर, १९६२
जालौन	**सड़कें**			
	१—हमीरपुर-कालपी सड़क	२ ०	कार्य पूरा हो गया	
	२—उरई-राठ सड़क	११ ०	कार्य पूरा हो गया	
	३—ऐट-कोटरा सड़क	७ ६	कार्य पूरा हो गया	
	४—बांगरा-रामपुरा सड़क	७ ५	—	सितम्बर, १९६१
	५—जालौन-कौंच सड़क	१५ २	—	जून, १९६२
	पुल			
	१—मोहानाघाट पर नावों के पुल का निर्माण।		कार्य पूरा हो गया	
बांदा	१—कर्वी-पहाड़ी राजापुर	१९ ३	१८ मील बने	जून, १९६१
	सड़कें			
	२—बांदा-हमीरपुर सड़क	८ ५	..	सितम्बर, १९६२
	३—बांदा-तिंदवारी सड़क	१४ ३	..	सितम्बर, १९६२
	४—अत्तर्रा-बुजुर्ग बबेरू सड़क	१९ ६	..	अक्तूबर, १९६३
	५—बरगढ़-बरगढ़ रेलवे स्टेशन से इलाहाबाद बांदा सड़क तक	३ ०	..	सितम्बर, १९६२
	६—चित्रकूट से कामतानाथ पहाड़ी तक	३ ०	..	उच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन होने के कारण कार्य रुका हुआ है।
	पुल			
	१—कर्वी पहाड़ी राजापुर सड़क के मील १८ में बाल्मीकि नदी पर पुल		३२ प्रतिशत कार्य हुआ	दिसम्बर, १९६१

जिला	द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित सड़कों और पुलों के नाम	लम्बाई	दिसम्बर, १९५९ तक कार्य की प्रगति	कार्य पूरा होने की सम्भावित तिथि
१	२	३	४	५
	सड़क			
हमीरपुर	१—हमीरपुर-कालपी सड़क	१ ०	कार्य पूरा हो गया	
	२—उरई-राठ सड़क	१८ ०	११ मील बनी	अक्तूबर, १९६१
	३—मौदहा-कपसा सड़क	१० ०		दिसम्बर, १९६२
	४—धगवां-जरिया सड़क	६ ०		दिसम्बर, १९६२
	५—गोंहंड-जरिया सड़क	५ ०		दिसम्बर, १९६२
	६—चरखारी-मुस्करा सड़क	१५ ५		दिसम्बर, १९६३
	७—मौदहा-बिवार सड़क	५ १		दिसम्बर, १९६२
	पुल			
	१—हमीरपुर में हमीरपुर काली सड़क पर यमुना नदी पर पावर बार्ज		कार्य पूरा हो गया	
	२—हमीरपुर में बेतवा और यमुना नदियों की क्रासिंग्स का सुधार		९९ प्रतिशत कार्य हुआ	मार्च, १९६० में कार्य पूरा हो गया
	३—हमीरपुर में बेतवा यमुना नदियों की क्रासिंग्स पर फैरीज का सुधार		कार्य पूरा हो गया	
	४—हमीरपुर में यमुना नदी पर रेल के पुल की डेकिंग			दिसम्बर, १९६२
	५—उरई-राठ सड़क पर बेतवा नदी के ऊपर पान्टून पुल का निर्माण			दिसम्बर, १९६२
	६—राठ-मुस्करा सड़क पर बर्मा नदी के ऊपर पुल का निर्माण			इस पुल की आवश्यकता पर विचार किया जा रहा है ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १६९ एल० ए०—१९६०—८४५ ।